सत्यमेव जयते

# पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव

पंच/सरपंच चुनाव के रिटर्निंग अधिकारियों तथा
पंच, सरपंच, जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य
चुनाव के मतदान अधिकारियों के लिये

# मार्गदर्शिका

(जहां मतदान मतपेटियों के माध्यम से होना है)

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर
**2015**

# प्रस्तावना

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण नियंत्रण व निर्देशन में कराये जाते हैं। ये चुनाव परम्परागत तरीके से मतपेटियों के द्वारा कराये जाते रहे हैं। आगामी चुनावों में भी कुछ जिलों जिनमें पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद् सदस्यों में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से करवाये जा रहे हैं, को छोड़कर शेष सभी चुनाव **मतपेटियों** के द्वारा ही करवाये जायेंगे।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव की प्रक्रिया अन्य चुनावों की प्रक्रिया से थोड़ी भिन्न है क्योंकि इन चुनावों में पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद् सदस्य चार पदों के लिए एक साथ चुनाव होते हैं। एक साथ इतने पदों के लिए चुनाव होने के कारण इस चुनाव में लगे रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान अधिकारी के लिए प्रक्रिया की पूर्ण एवं सटीक जानकारी रखना बहुत आवश्यक है।

इसी उद्देश्य से इस मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के समस्त सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करते हुए चुनाव प्रक्रिया बताई गई है। साथ ही इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के समय–समय पर जारी निर्देशों का संदर्भ भी विषयवार दिया गया है।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में अधिसूचना संख्या 1531 दिनांक 12.11.14 द्वारा संशोधन कर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों में भी अन्य चुनावों की भांति मतदाताओं को नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 दिनांक 8.12.14 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में खण्ड 'थ' प्रतिस्थापित कर यह प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अभ्यर्थी होने के लिए संबंधित व्यक्ति के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना आवश्यक होगा व उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नही जाता हो।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पुस्तिका का भली–भांति अध्ययन कर स्वयं को इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए तैयार कर लें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्व की भांति अच्छी तरह से करेंगे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के इस मूलभूत स्तर को अधिक सुदृढ़ एवं स्वस्थ बनाने में अपना योगदान कर एक सक्षम व अनुशासित राज्य कर्मचारी एवं भारतीय नागरिक होने का परिचय दें। मेरी इस हेतु आप सभी को शुभकामनाऐं है।

09 दिसम्बर, 2014

**रामलुभाया**
**राज्य निर्वाचन आयुक्त**
**राजस्थान, जयपुर**

# मार्गदर्शिका

(पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य
चुनाव के मतदान अधिकारियों तथा पंच–सरपंच
चुनाव के रिटर्निंग अधिकारियों के लिये)

## विषय सूची


| भाग | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | प्रारम्भिक | 1 |
| 2. | पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की मुख्य विशेषताएं | 2 |
| 3. | मतदान दल और रिटर्निंग अधिकारी | 10 |
| 4. | मतदान सामग्री | 22 |
| 5. | मतदान प्रक्रिया | 27 |
| 6. | रिटर्निंग अधिकारी (पंच/सरपंच) चुनाव के कर्तव्य | 37 |
| 7. | उप सरपंच चुनाव | 64 |
| **परिशिष्ट** | | |
| 1. | भारतीय दण्ड संहिता के उद्धरण | 71 |
| 2. | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से उद्धरण | 72 |
| 3. | राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 से उद्धरण | 82 |
| 4. | राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 से उद्धरण | 92 |
| 5. | मतपत्र अनुप्रमाणन बाबत् आयोग का आदेश | 133 |
| 6. | मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्री की सूची (चार चुनावों के लिये) | 134 |
| 7. | मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्री की सूची (पंच/सरपंच चुनाव के लिये) | 144 |
| 8. | मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्री की सूची (पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य चुनावों के लिये) | 147 |
| 9. | पंच/सरपंच मतपत्रों व एक्स्ट्रा स्लिपों के चुनाव चिन्हों के नमूने | 150 |
| 10. | मतदान बूथ का लेआउट (चारों चुनाव साथ हों तो) | 155 |
| 11. | मतदान बूथ का लेआउट (पंच/सरपंच चुनाव साथ हों तो) | 156 |
| 12. | मतदान बूथ का लेआउट (पं.स./जि.प. सदस्य चुनाव साथ हों तो) | 157 |
| 13. | मतदाता द्वारा आयु सम्बन्धी घोषणा का प्रारूप | 158 |
| 14. | मतदाताओं की सूची जिनसे आयु संबंधी घोषणा ली है | 159 |
| 15. | रिकार्ड जमा कराने के संबंध में मार्गदर्शन | 160 |
| 16. | उपाबन्ध–1 (स्वघोषणा) | 164 |
| 17. | विधानसभा सदस्य चुनाव में अपात्रतायें | 167 |
| 18. | अपराधों के लिये दोषसिद्धि पर अपात्रताओं संबंधी चार्ट | 169 |
| 19. | मानक हिन्दी वर्णमाला | 172 |
| 20. | अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. की सूची | 173 |
| 21. | मतपेटी खोलने, तैयार करने व बन्द करने की प्रक्रिया | 176 |
| 22. | मतदाता की पहचान हेतु वांछित दस्तावेजों के संबंध में आयोग की अधिसूचना | 186 |

# मार्गदर्शिका
## पंच एवं सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य का चुनाव

## भाग–1
## प्रारम्भिक

(1) **संविधान में 73 वें संशोधन के उपरान्त** पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में ग्राम पंचायत के वार्ड पंच, ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य के लिए एवं जिला परिषद् सदस्य के लिए यानि सभी 4 स्थानों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। इन चुनावों में विभिन्न स्तरों पर सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षित/चिन्हित हैं जिन पर चुनाव लड़ने के लिए संबंधित वर्ग के मतदाता ही पात्र होंगे।

(2) यह मार्गदर्शिका राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा चुनावों के संचालन के संबंध में निम्नांकित विधिक उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए बनायी गयी है फिर भी यदि कहीं कानूनी प्रावधानों व मार्गदर्शिका में भिन्नता पायी जावे तो कानूनी प्रावधानों को ही माना जावेः–

(i) भारतीय दण्ड संहिता, 1860

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

(iii) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

(iv) राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

उक्त विधिक प्रावधानों के उद्धृत अंश आपके अध्ययन हेतु क्रमशः परिशिष्ट 1, 2, 3 और 4 पर है।

(3) पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया में अनेक बातों में विधानसभा/लोकसभा/नगरपालिका चुनावों से एकरूपता होते हुये भी कई बातों मे भिन्नता भी है जो मार्गदर्शिका में आगे के भागों के अध्ययन से स्पष्ट होगी।

(4) यह मार्गदर्शिका पंच व सरपंच चुनाव के लिये नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों और पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य चुनाव के लिये नियुक्त मतदान अधिकारियों (जो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं) के मार्ग दर्शन हेतु बनायी गयी है।

# भाग–2
# पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की मुख्य विशेषतायें

(1) पंच/सरपंच चुनाव एवं पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य चुनावों की प्रक्रिया में अन्य चुनावों की प्रक्रिया से कई भिन्नतायें हैं जिन्हें वर्णित करते हुये पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की मुख्य विशेषताओं का विवरण पुस्तिका के इस भाग में दिया गया है, ताकि कोई भ्रांति नहीं रहे।

(2) आपको पंचायत मुख्यालय पर एक से अधिक पदों के लिए भिन्न–भिन्न पदनामों से चुनाव कराना होगा, उनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

| क्र. स. | निर्वाचन का नाम | पद का नाम | नियम जिसके अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आपकी नियुक्ति की जायेगी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | पंचायत में पंच, सरपंच का चुनाव | रिटर्निंग अधिकारी | नियम 23(2) तथा 56(1) |
| 2. | पंच–सरपंच का चुनाव | मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) | नियम 31 सपठित नियम 56(1) |
| 3. | उप सरपंच का चुनाव | रिटर्निंग अधिकारी | नियम 23(2) तथा 65 |
| 4. | पंचायत समिति/ जिला परिषद् सदस्य का चुनाव | मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) | नियम 31 सपठित नियम 58 |

(3) पंच व सरपंच चुनाव के लिये नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी के कर्त्तव्य एवं शक्तियां नियम 24 के अन्तर्गत बतायी गयी है और नियम 24–क के अन्तर्गत मतदान अधिकारियों के कर्त्तव्य व शक्तियां बतायी गयी हैं।

(4) चारों चुनाव साथ होने पर पंच, सरपंच चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन एवं जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन के लिए मतदान के दौरान भी नियम 24 में बताये गये कर्त्तव्यों का पालन किया जायेगा। यदि केवल पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य का पृथक से चुनाव होता है तो मतदान केन्द्र की सुचारु व्यवस्था के लिये नियम 24–क में बताये कर्त्तव्यों का पालन मतदान अधिकारी करेगा।

**(5) पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य चुनाव सम्पन्न कराने हेतु आपको दिये गये नियुक्ति आदेश में निम्नांकित विवरण मिलेगाः–**

(i) ग्राम पंचायत का नाम तथा उन पंचायत समितियों/जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों के क्रम संख्यांक, जिनके आपको चुनाव कराने हैं।

(ii) प्रत्येक मतदान बूथ के लिए नियुक्त मतदान दल के सदस्यों के नाम व उनके विभागीय पद।

(iii) प्रत्येक बूथ में जिन वार्डों के मतदाता मत देंगे उन वार्डो की क्रम संख्यांक।

(iv) पंचायत मुख्यालय पर जो भवन मतदान बूथ के लिये निर्धारित किये गये हैं उसका नाम।

(v) मतदान की तारीख।

**(6) रिटर्निंग ऑफिसरः—** पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23(2) के अन्तर्गत नियुक्त किये जाऐंगे। पंच, सरपंच चुनाव के लिए नियुक्त उक्त रिटर्निंग अधिकारी ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर निर्वाचन कार्य सम्पन्न करेगा। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58(2) के अन्तर्गत की जाती है जिसका मुख्यालय पंचायत समिति स्तर पर होगा। जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसका मुख्यालय जिला स्तर पर रहेगा। पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी पंच/सरपंच चुनाव के नाम निर्देशन पत्रों को लेने, उनकी जांच करने, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची बनाने एवं मतपत्र तैयार कराने, मतदान की व्यवस्था की देख रेख करने, मतगणना कराने एवं उनका परिणाम घोषित करने का कार्य करेगा। यदि चारों पदों के चुनाव एक साथ होते हैं अथवा एक ही मतदान दल द्वारा अलग अलग दिवसों में मतदान कराया जाता है तो उक्त कार्यों के अलावा वह जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए भी मतदान की देख रेख करेगा। पंच—सरपंच चुनाव का रिटर्निंग अधिकारी अपने पंचायत क्षेत्र में नियुक्त किये गये मतदान दलों को मतदान सामग्री जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर उपलब्ध करायेगा। यदि पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिये मतदान पंच/सरपंच चुनावों के साथ—साथ नहीं होता और पृथक् से होता हैं तो पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य चुनावों के लिये मतदान सामग्री लेने का कार्य मतदान अधिकारी करेगा।

**(7) मतदान दल में अधिकारीः—** विधानसभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनाव में जो कार्य पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी करते हैं, वहीं कार्य पंचायत मुख्यालय पर स्थापित प्रत्येक मतदान बूथ पर क्रमशः मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी करेंगे। पंचायत चुनाव में मतदान अधिकारी ही पीठासीन अधिकारी के रूप में संबंधित मतदान बूथ पर कार्य करेगा। मतदान अधिकारी की शक्तियां व कर्त्तव्य नियम 24—क में बताये गये हैं।

(8) **मतदान बूथः**— विधानसभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनावों में मतदान दल प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त किया जाता है परन्तु पंचायत चुनाव में मतदान दल प्रत्येक मतदान बूथ के लिए नियुक्त किया जायेगा। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक ही मतदान केन्द्र होता है जो सामान्यतः पंचायत मुख्यालय से बाहर नहीं होता। एक मतदान केन्द्र को एक से अधिक मतदान बूथों में विभाजित किया जाता है। पंच/सरपंच चुनाव में वार्ड को तोड़ा नहीं जावेगा, प्रत्येक मतदान बूथ पर पूरे—पूरे कुछेक वार्डों के मतदाता मतदान करेंगे। मतदान केन्द्र एवं मतदान बूथ की सूची नियम 30(3) के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान से कम से कम एक दिन पूर्व प्रकाशित की जायेगी। मतदान केन्द्र/मतदान बूथ की सूची आपको चुनाव सामग्री के साथ—साथ जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त होगी जिनमें पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए नियम 30(3) के अन्तर्गत नोटिस आपको ही संबंधित प्रपत्र  पर तैयार कर प्रकाशित कराना है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन एवं जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन के लिए मतदान बूथों की सूची का प्रकाशन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा इसी भॉति किया जायेगा जिसके नोटिस का प्ररूप आपको चुनाव सामग्री के साथ प्राप्त होगा उसे भी मतदान अधिकारी अपने बूथ पर यथास्थान प्रकाशित करने की व्यवस्था करावें।

(9) **मतदान स्थान व भवनः**— नियमों के अनुसार मतदान केन्द्र  के लिए भवन का चयन जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार रिटर्निंग अधिकारी कर सकता है परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से जिस भवन में मतदान होगा उसका विवरण मतदान दल के नियुक्ति प्रपत्र  में पहले ही दे दिया जाता है जिससे आपको कोई कठिनाई नहीं हो। नियम 30(3) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर मतदान दिन के कम से कम एक दिन पहले जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र के लिए पूर्व निर्धारित भवनों के नाम की सूचना पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायेगा। यदि पंचायत कार्यालय उपलब्ध नहीं है तो यह सूचना मतदान केन्द्र के भवन पर चस्पा करायी जायेगी।

(10) **मतगणनाः**— विधानसभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनावों में मतगणना मतदान केन्द्रों पर नहीं होती है परन्तु पंचायत चुनावों में पंच एवं सरपंच के लिए मतगणना पंचायत मुख्यालय पर मतदान केन्द्र पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् की जायेगी। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए एवं जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन के लिए मतगणना पंचायत मुख्यालय पर नहीं होगी बल्कि जिला मुख्यालय पर की जायेगी जिसके लिए मतपेटियॉ मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् जिला मुख्यालय पर पहुॅचाने की व्यवस्था होगी।

**(11) निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता व गणन अभिकर्ताः**— जहां विधान सभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनावों में प्रत्येक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता व गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार है वहां पंचायत चुनाव में जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन में ही उम्मीदवार को एक निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक मतदान बूथ में एक मतदान अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता नियुक्त करने के अधिकार हैं। सरपंच पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को अधिकतम दो गणन अभिकर्ता तथा जितने मतदान बूथ हैं उतनी संख्या में मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने के अधिकार हैं लेकिन वार्ड पंच के चुनाव के उम्मीदवार को निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वार्ड पंच के चुनाव में उम्मीदवार स्वयं ही हर जगह उपस्थित रहने में समर्थ होता है। सरपंच पद के अभ्यर्थी को भी निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार नहीं है।

**(12) प्रतिभूति निक्षेप राशिः**— पंच के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराने का भी प्रावधान नहीं है, लेकिन सरपंच पद के लिए उम्मीदवार को निक्षेप राशि नियम 56(3) के अन्तर्गत नाम निर्देशन पत्र  के साथ जमा कराना आवश्यक है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि 500/— रु. एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये तथा महिला उम्मीदवार के लिए 250/— रु. प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराना आवश्यक है। यह प्रतिभूति निक्षेप राशि लौटाने योग्य है, लेकिन चुनाव हार जाने पर यदि किसी अभ्यर्थी को डाले गये कुल वैध मतों के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त हुये हैं तो उसकी प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी।

**(13) मतपेटियांः**— वर्ष 1988 के पंचायत चुनावों तक पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए ही मत डाले जाते थे और जिनकी मतगणना भी पंचायत मुख्यालय पर ही मतदान समाप्ति के पश्चात् की जाती थी जिसके लिए एक पेटी ही पर्याप्त रहती थी। एक पेटी के भरने के पश्चात दूसरी या तीसरी पेटी उपयोग में ली जाती थी किन्तु अब यदि चारों चुनावों के लिए मतदान एक साथ हो तो एक मतदाता 4 बार मत डालेगा अर्थात् पंच चुनाव के लिए, सरपंच चुनाव के लिए, पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए एवं जिला परिषद् सदस्य चुनाव के लिए। पंच व सरपंच चुनाव के मतों की गणना पंचायत मुख्यालय पर ही मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् की जायेगी लेकिन पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य चुनाव के लिए डाले गये मतों की गणना जिला मुख्यालयों पर कुछ दिन बाद की जायेगी। ऐसी स्थिति में पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए पृथक से एक मतपेटी में मत डाले जायेंगे जिसके भरने के बाद दूसरी या तीसरी पेटी काम में ली जायेगी। इसी

प्रकार पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन के लिए पृथक् से एक पेटी रखी जायेगी जिसके भरने के बाद दूसरी या तीसरी पेटी उपयोग में ली जायेगी। इस प्रकार चारों चुनाव एक साथ होने पर मतदान बूथ में मतदान के समय दो पेटियां रहेंगी, जिसमें से एक मतपेटी में पंच व सरपंच चुनाव के मतपत्र डाले जायेंगे और दूसरी मतपेटी में जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के मतपत्र डाले जायेंगे। सभी प्रकार के मतपत्र भिन्न–भिन्न रंग के हांगे, यानी पंच चुनाव के मतपत्र पिंक कलर, सरपंच चुनावों के मतपत्र सफेद कलर, पंचायत समिति सदस्य चुनाव के मतपत्र नीले कलर और जिला परिषद् सदस्य चुनाव के मतपत्र पीले कलर में होंगे। पंच, सरपंच चुनाव की मतगणना एक साथ होगी, जिसमें मतपत्रों को अलग–अलग कलर से छंटनी किया जाना आसान होगा। इसी प्रकार जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए मतगणना भी साथ–साथ होगी जिनके मतपत्रों को भी अलग–अलग रंग से छंटनी किया जाना आसान होगा। मतदान बूथ में स्थित दोनों प्रकार की मतपेटियों को अलग–अलग प्रकार के लेबल लगाये जायेंगें जिससे कि मतपेटियों की पहचान की जा सके। यदि पंच/सरपंच चुनाव ही होते हैं तो एक मतपेटी और पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य चुनाव ही होते हैं, तो एक मतपेटी काम में ली जायेगी।

पंच/सरपंच चुनाव, या जिला परिषद सदस्य/पंचायत समिति सदस्य चुनाव, जैसी भी स्थिति हो, के मतदान के लिये बडी साईज की एक मतपेटी ही पर्याप्त है, जिसे आप पहले काम में लेवें और यदि मतपटी भर जावे, तो आप छोटी मतपेटी काम में लेवें।

नोटः– यह भी निर्देश आपको दिये जा सकते हैं कि जिला परिषद सदस्य के मतदान हेतु पृथक मतपेटी काम में ली जावे और पंचायत समिति सदस्य के मतदान हेतु पृथक मतपेटी काम में ली जावे। यदि ऐसी स्थिति होगी तो इस विषय में सूचना आपको जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जायेगी।

**(14) स्वयं उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करनाः–** जहां अन्य चुनावों में उम्मीदवार अपना नाम निर्देशन पत्र अपने प्रस्तावक द्वारा भी प्रस्तुत कर सकता है वहां पंच एवं सरपंच चुनाव में उम्मीदवारों को अपने नाम निर्देशन पत्र को स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा विहित रीति से प्रस्तुत हुआ नहीं मानकर यह खारिज कर दिया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नाम वापसी का नोटिस भी स्वयं ही उपस्थित होकर देना होगा।

**(15) जांच कार्य को स्थगित (adjourn) नहीं करनाः–** पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन पत्रों की जांच (scrutiny) उसी दिन समाप्त की जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर को जांच कार्य दूसरे दिन के लिए स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है।

**(16) चुनाव चिन्ह का स्वतः आवंटनः–** विधानसभा व अन्य चुनावों की तरह पंच एवं सरपंच के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार जरूर है, पर इसकी प्रक्रिया विधानसभा व अन्य चुनावों से पूर्णतया भिन्न है। पंच व सरपंच चुनावों में रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक वार्ड से या सरपंच के लिये खड़े होने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी देवनागरी लिपि में हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार लिख देंगे और उसे संबंधित प्रपत्र –5 (चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची) में उसी क्रम से लिख देंगे। प्रपत्र–5 में पहले से ही चुनाव चिन्ह छपे हुये हैं। पंच चुनाव के लिए पृथक् चुनाव चिन्ह प्रपत्र–5 में छपे हुये हैं और सरपंच चुनाव के लिए पृथक् चुनाव चिन्ह प्रपत्र–5 में छपे हुये हैं। अतः प्रथम क्रम के पहले उम्मीदवार को पहला चुनाव चिन्ह व दूसरे क्रम के उम्मीदवार को दूसरा और इसी क्रम में सभी को चुनाव चिन्ह स्वतः ही आवंटित हो जायेंगे। सरपंच चुनाव के लिए मुद्रित किये गये प्रपत्र–5 में 10 चुनाव चिन्ह तथा पंच चुनाव से संबंधित मुद्रित प्रपत्र–5 में भी 5 चुनाव चिन्ह् मुद्रित हैं, यदि इनमें से किसी चुनाव में इससे अधिक अभ्यर्थी चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में चिन्ह और जोड़ने होंगे जो अतिरिक्त स्लिपों के प्रयोग करते हुये जोडे जा सकते हैं, जिनके उपयोग की प्रक्रिया आगे बतायी जायेगी लेकिन यह विशेष ध्यान रखना है कि पंच, सरपंच चुनाव की (प्रपत्र –5 में) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित कोई चुनाव प्रतीक तो नहीं है।

**(17) अमिट स्याहीः–** अन्य चुनावों की भांति इन चुनावों में भी अमिट स्याही प्रयोग में ली जायेगी। नियम 38 के अनुसार बांये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायी जाती है, लेकिन जब पंच–सरपंच चुनाव पृथक चरण मे हो और पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य चुनाव पृथक चरण में हो तथा दोनों चरणों के मध्य कुछ दिनों या सप्ताहों का ही अंतर हो तो पहले चरण में हुये चुनावों में लगी हुई स्याही का निशान मतदाता की अंगुली पर रहता है और इससे दूसरे चरण के चुनाव में भ्रांति न हो, इसलिये दूसरे चरण के चुनाव में मतदाता के दायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाया जायेगा। और यदि प्रथम चरण में पुर्नमतदान हुआ तो बांये हाथ की मध्यमा (Middle finger) पर तथा द्वितीय चरण के चुनाव में पुर्नमतदान होता है तो दांये हाथ की मध्यमा (Middle finger) पर अमिट स्याही का निशान लगाया जायेगा।

**(18) मतपत्रों का अनुप्रमाणनः–** प्रत्येक मतपत्र निर्वाचक को जारी किये जाने से पूर्व अनुप्रमाणित किये जाने का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतपत्रों को अनुप्रमाणित करने के लिए निर्देश जारी किये हैं (सां.आ.सं.–8/94 दिनांक 27.10.94) जिसके अनुसार मतपत्र की पीठ पर मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर किया जाना एवं सुभिन्नकारी चिन्ह रबर स्टाम्प से लगाया जाना आवश्यक है।(देखें परिशिष्ट–5)

**(19) मतपत्रों का स्वरूपः–** विधानसभा/लोकसभा/नगर पालिका चुनावों में जहां चुनाव मतपेटियों से हो तो, वहां मतपत्रों पर प्रतिपर्ण (Counterfoil) भी रखने के प्रावधान है, किन्तु पंचायत चुनावों में मतपत्रों पर कोई प्रतिपर्ण नहीं है। मतदाता को मतपत्र उसके कहीं हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त किये बिना ही, दे दिये जायेंगे। मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी मतदाता को मतपत्र देते समय चिन्हित मतदाता सूची पर संबंधित मतदाता की प्रविष्टि के आगे मतपत्र का क्रम संख्यांक अवश्य अंकित करेगा, लेकिन किसी मतदाता विशेष को जारी किये गये मतपत्र के क्रम संख्यांक को नोट किये जाने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी।

**(20) मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्युः–** पंचायत चुनावों में किसी उम्मीदवार की मतदान समाप्त होने के पहले मृत्यु हो जाने पर भी चुनाव स्थगित नहीं होगा, लेकिन किसी अभ्यर्थी की मृत्यु होने के परिणाम स्वरूप किसी पद के लिये चुनाव लडने वाला एक ही अभ्यर्थी शेष रह जाता है तो रिटर्निग अधिकारी उस पद के चुनाव को स्थगित कर देगा। (नियम 73)

**(21) अन्धे एवं अपाहिज मतदाताओं को मत अंकित करने में सहायताः–** विधानसभा चुनावों में प्रिसाइडिंग अधिकारी अन्धे व अपाहिज मतदाताओं को मतपत्र पर मत अंकित करने में कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसे मतदाताओं को अपना मत अपने साथी द्वारा अंकित करवाने का अधिकार है किन्तु पंचायत चुनावों में पोलिंग अधिकारी ही ऐसे अन्धे व अपाहिज मतदाताओं को मत अंकित करने में सहायता देंगे। (नियम 41) पंचायत चुनावों में साथी की सहायता से मत देने का प्रावधान नहीं है।

**(22) चिन्हित मतदाता सूचीः–** अन्य चुनावों में मतपत्र का क्रमांक निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में अंकित नहीं किया जाता, लेकिन पंचायत चुनावों में सहायक मतदान अधिकारियों को चिन्हित मतदाता सूची में मत देने वाले प्रत्येक मतदाता के नाम के सामने उस मतपत्र की क्रम संख्या लिखनी होगी जो उसे दिया जायेगा ।(नियम 39)

**(23) चैलेन्ज फीः–** पंचायत चुनाव में मतदान बूथ पर किसी उम्मीदवार द्वारा मतदाता के पहचान को चैलेन्ज करने के पहले चैलेन्ज फी जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

**(24) शपथः**— धारा 24 एवं नियम 75 के प्रावधानों के अंतर्गत पंच, सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, और पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्यों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान निर्धारित प्ररूप—11 में लेना आवश्यक है। यह ध्यान देने योग्य है कि उप सरपंच चुनाव में निर्वाचित पंच एवं सरपंच तथा प्रधान/प्रमुख चुनाव में पंचायत समिति/जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य तभी भाग ले सकेंगे जब कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया एवं निर्धारित प्ररूप में शपथ या प्रतिज्ञान ले लिया हो।

**(25) निविदत्त मतः**— नियम 44 के अनुसार निविदत्त मतपत्र द्वारा मत देने वाले व्यक्ति के मामले रिटर्निंग अधिकारी या पोलिंग ऑफिसर, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निपटाये जायेंगे।

**(26) आरक्षित सीटों का चक्रानुक्रम से आवंटनः**— पंचायती राज संस्थाओं में सभी पदों में अनु.जातियों/जनजातियों/अ.पि.वर्गो/महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों को चक्रानुक्रम से बदलने का प्रावधान है यानि जो सीट गत आम चुनाव के समय जिस श्रेणी के लिये आरक्षित थी अब उसमें परिवर्तन होगा। अब आगामी चुनाव में कौन सी सीट किस श्रेणी के लिये आरक्षित हुयी है, इसकी लिखित जानकारी आपको सामग्री लेते समय जिला निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी।

# भाग–3
# मतदान दल और रिटर्निंग अधिकारी

**(1) मतदान दल का गठनः–** (i) जहां चारों पदों के चुनाव एक साथ हो तो प्रत्येक मतदान बूथ के लिए 7 व्यक्तियों का एक दल नियुक्त किया जायेगा जिसमें निम्न पद वाले व्यक्ति होंगेः–

| | |
|---|---|
| (क) मतदान अधिकारी – एक | (विधानसभा चुनावों में नियुक्त पीठासीन अधिकारी के तुल्य) |
| (ख) सहायक मतदान अधिकारी– 6 | (विधानसभा चुनावों में नियुक्त पोलिंग ऑफिसर के तुल्य सामान्यतः 5 तृ.श्रे.क. तथा 1 च.श्रे.क. होंगे) |

(ii) जहां चारों चुनाव एक साथ नहीं हों तथा एक समय पर पंच/सरपंच चुनाव हो अथवा जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य चुनाव हो तो सहायक मतदान अधिकारी 4 ही होंगे।

**(2) मतदान दल के सदस्यों से पहचानः–** ग्राम पंचायत का प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर अपने समस्त मतदान दलों के मतदान तथा सहायक मतदान अधिकारियों से अपने गन्तव्य स्थान को जाने से पहले एक दूसरे से मिलकर जान पहचान कर लें जिससे एक तरह से आत्मीयता पैदा हो जाये।

**(3) प्रशिक्षण (Training):–** जिला निर्वाचन अधिकारी आपको व आपके मतदान अधिकारियों को समस्त प्रक्रिया को समझाने हेतु कम से कम एक बार बुलायेंगे। आपसे आग्रह है कि आप इन प्रशिक्षण अवसरों पर अवश्य उपस्थित हों जिससे आप समस्त चुनाव प्रक्रिया से पूर्णतया भिज्ञ हो जायें। हर चुनाव की अपनी–अपनी विशिष्टताएं होती हैं और पंचायत चुनावों में कई प्रकार की भिन्नतायें हैं जिसके समझे बिना न केवल आपको कठिनाई होगी बल्कि चुनाव कार्य पर विपरीत प्रभाव भी पडेगा।

**(4) पंच/सरपंच चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्य कर्त्तव्यः–**

(क) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी लोक सूचना के अनुसार तथा मतदान दिन के एक दिन पूर्व, यथा निर्धारित स्थान व समय पर पंच/सरपंच पदों के लिए चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों केः–

(i) निर्धारित प्ररूप में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना,

(ii) इनकी जांच करना,

(iii) नाम वापसी के नोटिस दो प्रतियों में प्राप्त करना,

(iv) प्ररूप–5 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची बनाना, तथा

(v) मतपत्र फार्मो पर यथा निर्दिष्ट क्रम में उम्मीदवारों के नाम लिखना व अन्य कार्य करना।

(ख) चारों चुनाव साथ होने पर अथवा एक ही मतदान दल द्वारा सम्पन्न कराये जाने पर पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त मतदान सामग्री प्रत्येक मतदान बूथ के मतदान अधिकारी को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वितरित हो गयी है, यह सुनिश्चित करना, तथा पंच–सरपंच चुनाव की सामग्री जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर मतदान अधिकारी को वितरित करना।

(ग) मतदान के दिन मतदान हेतु शांति व्यवस्था बनाये रखना, प्रत्येक मतदान दल के सहायक मतदान अधिकारियों में उनकी योग्यता व क्षमता के अनुरूप कार्य बांटना तथा नियमानुसार अन्य कार्य करना।

(घ) जहां चारों चुनाव एक साथ हैं या एक ही मतदान दल द्वारा सम्पन्न कराये जाएें, तो मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन एवं जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन की मतपेटियों को सील करवाकर एवं अन्य निर्वाचन कागजात तैयार करवाकर जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जमा करवाने की व्यवस्था करना।

(ङ) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए मतगणना करवाना एवं पंच व सरपंच चुनाव का परिणाम घोषित करना।

(च) पंच व सरपंच चुनावों के परिणाम की घोषणा के यथासंभव तुरन्त पश्चात् पंच व सरपंच पदों के लिए निर्वाचित घोषित व्यक्तियों को निर्धारित प्ररूप में शपथ या प्रतिज्ञान दिलवाना।

(छ) नियम 30 (3) के तहत मतदान के कम से कम एक दिन पहले जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित मतदान केन्द्र/मतदान बूथों के लिए निर्धारित मतदान भवनों के नाम की सूचना पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर और पंचायत कार्यालय न होने की स्थिति में मतदान केन्द्र भवन पर चस्पा करना। जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए मतदान बूथों के लिए चयनित मतदान बूथों के भवनों के नाम की नियम 30 (3) की सूचना भी इसी प्रकार चस्पा करना।

**(5) मतदान अधिकारी के कर्तव्यः–** (i) मतदान बूथ में पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के चुनावों के लिए मतदाताओं द्वारा मत देने की समुचित व्यवस्था करना। मतदान अधिकारी की देख–रेख व निगरानी में ही प्रत्येक पोलिंग बूथ में मतदान होगा तथा मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य करीब–करीब वहीं होंगे जो विधानसभा व नगरपालिका चुनावों में पीठासीन अधिकारी के होते हैं।

(ii) अन्धे तथा अपाहिज मतदाताओं को उनकी इच्छानुसार मत अंकित करने में सहायता करना,

(iii) अपने बूथ में टेन्डर मतपत्र द्वारा मतदान एवं चैलेन्ज मतों के मामलों को तय करना,

(iv) उम्मीदवारों द्वारा चेलेन्ज किये गये मतदाताओं के मामलों को निपटाना,

(v) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिये गये आदेशों की विधि संगत पालना करना,

(vi) मतपत्रों की पीठ पर पूरे हस्ताक्षर करना एवं सुभिन्नकारी चिन्ह लगाना। मतदान के समय भी सहूलियत के अनुसार हस्ताक्षर कर लेवे, लेकिन 50 मतपत्रों से अधिक मतपत्र हस्ताक्षरित न रहें। बाद में जरूरत के अनुसार ही हस्ताक्षर करे, ताकि हस्ताक्षरित मतपत्र मतदान समाप्ति पर कम से कम शेष रहे।

(vii) यह सुनिश्चित करना कि मतदाता पंच व सरपंच मतपत्रों को एक पेटी में डाले तथा पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन एवं जिला परिषद सदस्य निर्वाचन के मतपत्रों को एक पृथक् पेटी में डालें।

(viii) पंच, सरपंच जिला परिषद् सदस्य और पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए मतदाताओं को जारी किये जाने वाले **मतपत्र की क्रम संख्यांक निर्वाचक नामावलियों की चिन्हित प्रति, जो प्रत्येक चुनाव की पृथक्–पृथक् होगी, में मतदाताओं के नाम के सामने अंकित करना।**

(ix) मतदान अधिकारी सहायक मतदान अधिकारियों के कार्य पर भी निगरानी रखेगा और यदि किसी सहायक मतदान अधिकारी के पास कार्य अधिक है और उसके कार्य निष्पादन की गति धीमी हो तो वह उसे आवश्यक मदद भी करेगा।

(x) नियम 24–क में वर्णित व्यक्तियों के सिवाय अन्य को मतदान बूथ से बाहर करेगा।

(xi) यदि जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य चुनाव ही हो रहे हैं तो उपरोक्त पैरा (4) में पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य चुनाव के संबंध में जो कर्त्तव्य बताये गये हैं, उन सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन करना।

**(6) सहायक मतदान अधिकारियों के कर्तव्यः–** जहां चारों पदों के चुनाव एक साथ एक मतदान दल द्वारा कराये जायेगें तो वहां 6 सहायक मतदान अधिकारी होगे और जहां दो–दो पदों के चुनाव ही एक साथ हो तो उस स्थिति में 4 सहायक मतदान अधिकारी होगे। दोनो ही स्थितियों में सहायक मतदान अधिकारियों के कर्तव्य निम्न प्रकार होगे।

**(क) चारों पदों के चुनाव एक साथ होने पर सहायक मतदान अधिकारियों के कर्त्तव्य :–**

(i) **पहला सहायक मतदान अधिकारी (पहचान)**:– (i) इसके पास कार्यकारी मतदाता सूची होगी और बॉल पैन होगा।

(ii) वह मतदाता की पहचान के लिये उत्तरदायी होगा।

(iii) सामान्यतः मतदाता किसी उम्मीदवार के खेमे से पहचान पर्ची लाता है उसके आधार पर यह अधिकारी मतदाता का नाम कार्यकारी मतदाता सूची में ढूंढता है। परन्तु यदि कोई मतदाता अपने साथ पहचान पर्ची नहीं लाये तो भी इस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह मतदाता का नाम ढूंढे और पर्ची नहीं होने के कारण मतदाता को लौटावे नहीं। पहचान पर्ची पर किसी उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह मुद्रित करना कानूनी अपराध है।

(iv) राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की पहचान हेतु 19 दस्तावेज अधिसूचित किये हैं। (देखें परिशिष्ट–22, 23 व 24) अतः प्रथम सहायक मतदान अधिकारी मतदाता से मतदाता फोटो पहचान पत्र (Voter ID Card) तथा इसके उपलब्ध नही होने की स्थिति में उक्त अधिसूचित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहेगा और उसके आधार पर पहचान स्थापित करेगा और तत्पश्चात यह अधिकारी प्रत्येक मतदाता की प्रविष्टियों को जोर से बोलेगा जिससे मतदान क्रम में बैठे सभी अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता सुन लें और वे मतदाता की पहचान को यदि चैलेन्ज करना चाहें तो कर सकें। इस सहायक मतदान अधिकारी के पास से क्लियरेन्स मिल जाने के बाद फिर उस मतदाता को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता।

(v) जो मतदाता अपनी पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्र से कराये उनके संबंध में कार्यकारी मतदाता सूची में उनके नाम के पहले 'E' शब्द अंकित करें, और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पहचान कराने वाले मतदाताओं के नाम के पहले उक्त प्रकार का कोई अंकन नहीं करे। इस प्रकार मतदान की समाप्ति के बाद यह गणना करने में आसानी रहेगी कि कितने मतदाताओं ने फोटो पहचान पत्र से मत दिये हैं और कितनों ने अन्य दस्तावेजों के आधार पर की गयी पहचान

के बाद मत दिये हैं। यह सूचना पीठासीन अधिकारी की डायरी (जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्य चुनाव) में अंकित की जायेगी। पंच / सरपंच चुनाव के मतदान के संबंध में ऐसी सूचना आप Form of Statistics में पूर्ति हेतु नोट कर देवें।

(vi) यह अधिकारी मतदाता सूची में उस मतदाता की पूरी प्रविष्टि को रेखांकित कर देगा व स्त्री मतदाता के नाम को टिक (√) कर देगा तथा मतदाता सूची में अन्य के रूप में अंकित मतदाता की स्थिति में स्टार (*) का चिन्ह नाम के सामने अंकित कर देगा ताकि मतदान के अन्त में मतदान करने वाले स्त्री / पुरूषों एवं अन्य के रूप में अंकित मतदाताओं के आवश्यक आंकड़े एकत्रित किये जा सकें।

(vii) प्रथम सहायक मतदान अधिकारी यह भी देखेगा कि मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान तो नहीं है।

(viii) मतदाता द्वारा यदि पहचान पर्ची नहीं लायी गयी है तो यह अधिकारी सादा पर्ची पर मतदाता के वार्ड का क्रमांक व मतदाता क्रमांक लिख देगा। इस पर्ची या पहचान पर्ची से वह दूसरे सहायक मतदान अधिकारी को और इसके बाद तीसरे सहायक मतदान अधिकारी को दे देगा।

**II. दूसरा सहायक मतदान अधिकारी (पंच मतपत्र)**:– (i) इसके पास निम्नलिखित सामग्री होगी:–

(क) चिन्हित मतदाता सूची (पंच)

(ख) पंच मतपत्र प्रत्येक वार्ड के अलग–अलग (पहले से मोड़े हुये)

(ग) बॉलपैन।

(ii) पहले सहायक मतदान अधिकारी से प्राप्त पहचान पर्ची की सहायता से उस मतदाता के नाम को चिन्हित मतदाता सूची (पंच) में रेखांकित करेगा व यदि स्त्री मतदाता है तो उसे टिक (√) कर देगा तथा मतदाता सूची में अन्य के रूप में अंकित मतदाता की स्थिति में स्टार (*) का चिन्ह नाम के सामने अंकित कर देगा। साथ ही साथ पंच मतपत्र की संख्या के अन्तिम 3 अंक उसके नाम के आगे लिखेगा। तत्पश्चात मोडे हुए मतपत्र को खोल कर मतदाता के दायें हाथ में देगा व पर्ची / पहचान पर्ची तीसरे सहायक मतदान अधिकारी को दे देगा।

**III. तीसरे सहायक मतदान अधिकारी (सरपंच मतपत्र)**:– (i) तीसरे सहायक मतदान अधिकारी के पास निम्नांकित सामग्री होगी:–

(क) चिन्हित मतदाता सूची (सरपंच)

(ख) बॉलपैन

(ग) सरपंच मतपत्र (पहले से मुड़े हुए)।

(ii) यह सहायक मतदान अधिकारी ''सरपंच मतपत्र'' कहलायेगा। यह पहचान पर्ची की सहायता से उसी तरह से उस मतदाता के नाम को चिन्हित मतदाता सूची में रेखांकित कर देगा तथा स्त्री मतदाता के नाम को टिक (√) करेगा तथा मतदाता सूची में अन्य के रूप में अंकित मतदाता की स्थिति में स्टार (*) का चिन्ह नाम के सामने अंकित कर देगा। साथ ही साथ सरपंच मतपत्र के अंतिम 3 अंक उसके नाम के आगे लिखेगा। उदाहरणार्थ यदि मतदाता को दिये जाने वाले मतपत्र की संख्या 1,00,331 हो तो केवल अंतिम 3 अंक यानी 331 ही लिखेगा जिससे समय की बचत हो, लेकिन जहां मतपत्र क्रम संख्या में अंतिम तीन अंक शून्य हो तो वहां पूरी संख्या लिखी जायेगी। तत्पश्चात उसे पहले से ही मोड़े हुये मतपत्र को खोलकर मतदाता को दायें हाथ में ही दिया जायेगा। इसके बाद पहचान पर्ची पांचवें सहायक मतदान अधिकारी के पास पहुंचा दी जायेगी।

**IV. चौथा सहायक मतदान अधिकारी**:– चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी पंच–सरपंच मतपेटी का प्रभारी होगा, इसके पास निम्नलिखित सामग्री होगीः–

(i) अमिट स्याही की शीशी–गीली रेत में रखी हुई

(ii) ऐरोक्रास मार्कसील–तीन

(iii) बैंगनिया रंग का स्टाम्प पैड–एक

(iv) कागज की शीट

(v) सीलबन्द मतपेटी (पंच, सरपंच दोनों के लिए एक) ज्योंही मतदाता अपने दायें हाथ में पंच मतपत्र और सरपंच मतपत्र लेकर आवे तब चौथा मतदान अधिकारी उन्हें पहले अपने पास रख लेगा तत्पश्चात उस मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी, (अंगूठे के पास वाली अंगुली) के नख के बिल्कुल ऊपर वाले कोमल चमड़ी पर अमिट स्याही का निशान इस तरह लगायेगा जिससे अमिट स्याही चमडी व नख पर फैल जाये। स्त्री मतदाता के हाथ को न छूयें। स्त्री मतदाता को अपनी अंगुली टेबिल पर रखने को कहें और उसके बाद निशान लगा दें। निशान लगाने के बाद दोनों मुड़े हुये मतपत्र (पंच एवं सरपंच) मतदाता के दायें हाथ में ही दें जिससे अमिट स्याही का निशान मतपत्र पर नहीं आ जावे। यदि मतदाता अमिट स्याही का निशान लगवाने से मना करे या उसके हाथ की अंगुली पर पहले से ही अमिट स्याही

का निशान लगा हुआ हो तो उसे मतपत्र नही दिया जावे। ऐसे मतदाता को पोलिंग ऑफिसर के सुपुर्द कर दें और आप अपने कार्य में लग जायें। साधारणतया ऐसा होने की संभावना नहीं है क्योंकि सबसे पहला सहायक मतदान अधिकारी मतदाता की अंगुली देख कर ही आगे भेजेगा। चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी जब अमिट स्याही का निशान मतदाता की बायीं हाथ की तर्जनी के ऊपर लगाये और उसे थोडा समय सूखने को भी देवें जिससे कि स्याही का निशान मिटे नहीं। पंच एवं सरपंच मतपत्रों को देने के साथ–साथ चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी ऐरोक्रास मार्कसील पर दोनों तरफ के क्रॉसों पर स्टाम्प पेड से स्याही लगाकर इसे ऐरोक्रास सील भी दे दें। यदि मतदाता मत अंकित करने की विधि समझना चाहे तो उसे कोरे कागज पर एक निशान लगाकर भी समझा दें, अन्यथा नहीं। मतदाता को यह जरूर बतावें कि पर्दे (वोटिंग कम्पार्टमेंट) में से दोनों मतपत्रों पर मत अंकित कर अलग–अलग मोडकर लावें, जिससे उसका मत गुप्त रहे। मतदाता को यह समझावें कि मतपत्र पंच व सरपंच वाली मतपेटी में ही डालने हैं और ऐरोक्रास सील वापस करनी है। मतदाता पंच व सरपंच मतपत्र जब दूसरे व तीसरे सहायक मतदान अधिकारी से लायेगा तो उसके हाथ में पहचान पर्ची भी होगी जिसे वह पांचवें सहायक मतदान अधिकारी को जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य के मतपत्र को प्राप्त करने के लिये देगा तो ऐसी पहचान पर्ची के लिये मतदाता को समझा दें कि वह पांचवें सहायक मतदान अधिकारी को ही ले जाकर देवें लेकिन पांचवें सहायक मतदान अधिकारी के पास जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि मतदाता ने पंच व सरपंच मतपत्र पंच/सरपंच वाली मतपेटी में डाल दिये हैं।

यह भी सुनिश्चित कर लें कि मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान उभर गया है। यदि स्याही का निशान उभरा हुआ नहीं पाया जावे तो स्याही का निशान पुनः लगा दें, इसके बाद मतदाता को पांचवें सहायक मतदान अधिकारी के पास जाने के लिये कह दें।

**v. पांचवा सहायक मतदान अधिकारी (जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य मतपत्र)ः–** इस सहायक मतदान अधिकारी के पास निम्नलिखित सामग्री होगीः–

(i) चिन्हित मतदाता सूची (जिला परिषद् सदस्य)

(ii) चिन्हित मतदाता सूची (पंचायत समिति सदस्य)

(iii) बॉलपैन

(iv) जिला परिषद् सदस्य मतपत्र (पहले से मुड़े हुये)

(v) पंचायत समिति सदस्य मतपत्र (पहले से मुड़े हुये)।

उक्त सहायक मतदान अधिकारी को काफी तत्पर होना चाहिये क्योंकि यह पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य दोनों ही निर्वाचनों के मतपत्रों का प्रभारी होगा। मतदाता पंच व सरपंच के मतपत्रों को चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी के पास रखी हुई पंच, सरपंच वाली मतपेटी में डालकर जब इस पॉचवें सहायक मतदान अधिकारी के पास आयेगा तो मतदाता उसके पास वाली पहचान पर्ची को उक्त पांचवें सहायक मतदान अधिकारी को बतायेगा। पॉचवां सहायक मतदान अधिकारी मतदाता द्वारा लाई गई पहचान पर्ची के आधार पर चिन्हित मतदाता सूची में उसका नाम देखेगा। पॉचवें सहायक मतदान अधिकारी के पास दो चिन्हित मतदाता सूची होंगी। एक जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन के लिए चिन्हित मतदाता सूची दूसरी पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए चिन्हित मतदाता सूची। दोनों ही चिन्हित मतदाता सूचियों में पांचवां सहायक मतदान अधिकारी उक्त मतदाता का नाम चिन्हित कर देगा और उसे जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन का मतपत्र तथा पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन का मतपत्र जो कि दोनों ही मुड़े हुये होंगे, देगा। साथ ही साथ जिला परिषद् सदस्य मतपत्र की एवं पंचायत समिति सदस्य मतपत्र की संख्या के अंतिम तीन अंक संबंधित चिन्हित मतदाता सूची में मतदाता के नाम के आगे लिखेगा, जैसे यदि मतदाता को दिये जाने वाले मतपत्र की क्रम संख्या 100001 हैं तो केवल अंतिम तीन अंक यानि 001 ही लिखेगा जिससे समय की बचत हो, पर जहॉ इस संख्या में अंतिम तीन अंक शून्य हो तो पूरी संख्या लिखी जायेगी। दोनों चिन्हित मतदाता सूचियों में संबंधित मतपत्रों की क्रम संख्यांक अंकित करने के बाद ही उक्त पांचवॉ सहायक मतदान अधिकारी पहले से ही मुड़े हुये दोनों प्रकार के मतपत्रों को खोलकर मतदाता को दे देगा और पहचान पर्ची मतदाता से लेकर फाड देगा, तत्पश्चात उसे छठे सहायक मतदान अधिकारी के पास जाने के लिए कहेगा।

**VI. छठा सहायक मतदान अधिकारी (प्रभारी जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य मतपेटी)**:– छठा सहायक मतदान अधिकारी चतुर्थ श्रेणी संवर्ग का होगा, जिसके पास निम्नलिखित सामग्री होगीः–

(i) ऐरोक्रॉस मार्क सील (कम से कम तीन)

(ii) बैंगनियां रंग का स्टाम्प पैड (एक)

(iii) कागज की शीट

(iv) सीलबन्द मतपेटी (एक)

छठा सहायक मतदान अधिकारी जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिये बनाये गये वोटिंग कम्पार्टमेन्ट/पर्दे के बाहर बैठेगा। ज्योंही मतदाता पांचवें सहायक मतदान अधिकारी से जिला परिषद् व पंचायत समिति सदस्य के मतपत्रों को लेकर छठे सहायक मतदान अधिकारी के पास आवे तो उसे दोनों क्रॉसों पर स्याही लगी हुई ऐरोक्रॉस सील दी जावे। यदि मतदाता मत अंकित करने की विधि समझना चाहे तो छठा सहायक मतदान अधिकारी उसे एक कोरे कागज पर निशान लगाकर समझा देगा, अन्यथा नहीं। मतदाता को यह जरूर समझावें कि वोटिंग कम्पार्टमेन्ट/पर्दे में दोनों मतपत्रों पर मत अंकित कर अलग–अलग मोडकर लावें जिससे कि उसका मत गुप्त रहे। उसे यह भी समझा देवें कि मतपत्र जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य की मतपेटी में ही डालने हैं। यह मतपेटी छठे सहायक मतदान अधिकारी के पास रखी हुई होगी। मत अंकित करने के बाद सील भी वापस करनी है।

**(ख) केवल पंच व सरपंच चुनाव होने पर सहायक मतदान अधिकारियों के कर्तव्यः–**

**I. पहला सहायक मतदान अधिकारी (पहचान):–** इसके कर्त्तव्य भी वहीं होंगे और सामग्री भी वहीं होगी जैसा कि इस पैरे के उपरोक्त मद (क) में पहले सहायक मतदान अधिकारी के बताये गये है।

**II. दूसरा सहायक मतदान अधिकारी (पंच मतपत्र)**:– इसके पास भी वही सामग्री होगी और वहीं कर्त्तव्य होंगे, जैसा कि इस पैरे (6) के उपरोक्त मद (क) में बताये गये हैं। किन्तु पंच मतपत्र की संख्या के अंतिम 3 अंक के बजाय अंतिम 4 अंक चिन्हित मतदाता सूची में मतदाता के नाम के आगे अंकित करेगा।

**III. तीसरा सहायक मतदान अधिकारी (सरपंच मतपत्र)** :– इसके पास भी वही सामग्री होगी और वहीं कर्त्तव्य होंगे, जैसा कि इस पैरे (6) के उपरोक्त मद (क) में बताये गये हैं। किन्तु चिन्हित मतदाता सूची में मतदाता के नाम के आगे अंतिम 3 अंक के बजाय अंतिम 4 अंक अंकित किये जायेंगे और वह पहचान पर्ची मतदाता से लेकर फाड़ देगा तथा मतदाता को चौथे सहायक मतदान अधिकारी के पास भेज देगा।

**IV. चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी (अमिट स्याही एवं मतपेटी)**:– (i) इसके पास निम्नांकित सामग्री होगी :–

(क) अमिट स्याही की शीशी (गीली रेत में रखी हुई)

(ख) ऐरोक्रास मार्क सील (कम से कम तीन)

(ग) स्टॉम्प पैड . एक

(ध) कागज की सीट – एक

(ङ) सील बन्द मतपेटी – एक

(ii) यह सहायक मतदान अधिकारी (अमिट स्याही एवं मतपेटी) कहलायेगा। ज्योंही मतदाता दोनों मत पत्र लेकर आवे, तब यह अधिकारी उन्हें पहले अपने पास रख लेगा। तत्पश्चात उस मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी (अंगूठे के पास वाली अंगुली) के नख के बिल्कुल ऊपर वाले कोमल चमड़ी पर अमिट स्याही का निशान इस तरह लगायेगा जिससे अमिट स्याही चमड़ी व नख पर फैल जाये। स्त्री मतदाता के हाथ को न छूवें। उन्हें अपनी अंगुली टेबिल पर रखने को कहें। तत्पश्चात निशान लगा दें। निशान लगाने के बाद दोनों मुड़े हुए मतपत्र उसके दायें हाथ में ही दें जिससे अमिट स्याही का कोई निशान मतपत्र पर नहीं आ जावे। यदि मतदाता अमिट स्याही का निशान लगवाने से इन्कार करे या उसके हाथ की अंगुली पर पहले से ही अमिट स्याही का निशान लगा हुआ हो तो मतपत्र न देवें। ऐसे मतदाता को पोलिंग ऑफिसर के सुपुर्द कर दें और आप अपने कार्य में लग जायें। साधारणतया ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि सबसे पहला सहायक मतदान अधिकारी मतदाता की अंगुली देखकर ही आगे भेजेगा।

(iii) यदि पंच–सरपंच चुनाव द्वितीय चरण के यानि पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के चुनाव का चरण सम्पन्न होने के बाद कुछ अंतराल पर होते है तो ऐसी स्थिति में दांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाया जायेगा क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव में बांयी तर्जनी पर लगा अमिट स्याही का निशान भी मौजूद हो सकता है।

(iv) यह मतदान अधिकारी पर्दे के बाहर बैठेगा। मतदाता की अंगुली के निशान लगाने और मुडे हुये दोनो मतपत्र मतदाता को देने के उपरान्त यह अधिकारी दोनों क्रॉसों (सिरों) पर स्याही लगी हुई ऐरोक्रॉस सील मतदाता को देगा। यदि मतदाता मत अंकित करने की विधि समझना चाहता है तो उसे कोरे कागज पर एक निशान लगाकर समझा दें, अन्यथा नहीं। मतदाता को यह जरूर कहें कि पर्दे में से दोनों मतपत्रों पर मत अंकित कर अलग–अलग मोड़ कर लावें जिससे उनका मत गुप्त रहे। यह भी कहें कि मत–पत्र इसी मतपेटी में डालने हैं व सील वापस करनी है। यह भी सुनिश्चित कर लें कि मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान उभर गया है। यदि स्याही का निशान उभरा हुआ नहीं पाया जावे तो पुनः लगा देवें।

## (ग) केवल पंचायत समिति व जिला परिषद् सदस्य का चुनाव होने पर सहायक मतदान अधिकारियों के कर्तव्यः—

यदि मतदान दल को केवल पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य का ही चुनाव कराना है तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रिटर्निंग अधिकारी (पंच/सरपंच चुनाव) नहीं होगा। मार्गदर्शिका में जिला परिषद् सदस्य व पंचायत समिति सदस्य चुनावों के संबंध में पंच—सरपंच चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी के लिये भी कुछ कर्त्तव्यों को वर्णित किया गया है, अतः उन कर्त्तव्यों का पालन भी यहां मतदान अधिकारी करेगा। सहायक मतदान अधिकारियों के बीच कार्य का विभाजन निम्न प्रकार से होगाः—

I. **पहला सहायक मतदान अधिकारी (पहचान)**ः— इसके पास वही सामग्री होगी और वही कर्तव्य होंगे जैसाकि उपरोक्त मद (क) एवं (ख) में बताया गया है।

II. **दूसरा सहायक मतदान अधिकारी (पंचायत समिति सदस्य मतपत्र)**ः— यह सहायक मतदान अधिकारी पहचान पर्ची की सहायता से मतदाता सूची में मतदाता का नाम देखेगा। चिन्हित मतदाता सूची में मतदाता का नाम रेखांकित कर देगा यदि मतदाता स्त्री है तो उसके नाम पर टिक (√) लगायेगा तथा मतदाता सूची में अन्य के रूप में अंकित मतदाता के लिए स्टार (*) का चिन्ह नाम के आगे अंकित कर देगा। तत्पश्चात मतदाता को पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन का मतपत्र जो मुड़ा हुआ होगा, दे देगा तथा मतपत्र की संख्या के अंतिम 4 अंक (डिजिट) मतदाता सूची में मतदाता के नाम के आगे जैसे यदि मतदाताओं को दिये जाने वाले मतपत्र की क्रम संख्या 100001 है तो केवल अंतिम 4 अंक, यानी 0001 ही लिखेगा जिससे समय की बचत हो, परन्तु जहां यह संख्या इस प्रकार की हो कि एक अंक संख्या हो, शेष सभी शून्य हो तो पूरी संख्या लिखी जायेगी, जैसे क्रम संख्या 2,00,000 हो तो पूरी संख्या लिखी जायेगी। मतपत्र की क्रम संख्या अंकित करने के बाद ही उक्त मतदान अधिकारी पहले से ही मुड़े मतपत्र को खोलकर उस मतदाता को दे देगा, व पहचान पर्ची तीसरे सहायक मतदान अधिकारी को दे देगा।

III. **तीसरा सहायक मतदान अधिकारी (जि.प. सदस्य मतपत्र)**ः— यह सहायक मतदान अधिकारी पहचान पर्ची की सहायता से उसी तरह से मतदाता के नाम को रेखांकित कर देगा तथा स्त्री मतदाता हो तो उसके नाम को टिक (√) कर देगा तथा मतदाता सूची में अन्य के रूप में अंकित मतदाता के लिए स्टार (*) का चिन्ह नाम के आगे अंकित कर देगा। मतपत्र की क्रम संख्या के अंतिम 4 अंक उसके नाम के आगे लिखेगा। जैसा कि दूसरे मतदान अधिकारी के लिये दिये गये उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। अंत में पहचान पर्ची मतदाता से लेकर फाड़ देगा।

IV. **चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारीः–** (i) इस अधिकारी के पास निम्नलिखित सामग्री होगी

(क) अमिट स्याही की शीशी

(ख) ऐरो क्रॉस मार्क सील (कम से कम तीन)

(ग) स्टाम्प पैड – एक

(घ) कागज की सीट – एक

(ङ) सील बन्द मतपेटी

(ii) ज्योंही मतदाता अपने हाथ में जिला परिषद् मतपत्र और पंचायत समिति मतपत्र लेकर आवें तब यह सहायक मतदान अधिकारी अपने पास मतपत्रों को रख लेगा, तत्पश्चात उस मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी के नख के बिल्कुल ऊपर कोमल चमड़ी पर अमिट स्याही का निशान इस तरह लगायेगा जिससे अमिट स्याही चमड़ी व नख पर लग जाये। निशान लगाने के बाद दोनों मतपत्र मतदाता के दायें हाथ में दे देगा। यदि मतदाता अमिट स्याही का निशान लगवाने से मना करे या उसके हाथ की अंगुली पर पहले से ही निशान लगा हो, तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाए। ऐसे मतदाता को मतदान अधिकारी के सुपुर्द कर दें।

(iii) यदि प्रथम चरण में पंच–सरपंच चुनाव होने के उपरान्त दूसरे में पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होता है तथा दोनो चरणों के मध्य अंतराल भी कम है तो पिछले चरण के चुनाव में बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का लगा हुआ निशान भी हो सकता है, अतः भ्रांति न रहे इसलिये द्वितीय चरण में होने पर इन चुनावों में दांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाया जायेगा।

(iv) अमिट स्याही का निशान लगाने और दोनो मतपत्रों को मतदाता को वापिस सौपने के बाद यह अधिकारी ऐरोक्रॉस मार्कसील पर दोनों तरफ के क्रासों पर स्टाम्प पैड से स्याही लगाकर ऐरोक्रॉस सील मतदाता को देगा। यदि मतदाता मत अंकित करने की विधि समझना चाहे तो उसे कोरे कागज पर निशान लगाकर समझाया जा सकता है। मतदाता को यह जरूर बतावें कि वोटिंग कम्पार्टमेंट में से दोनो मतपत्रों पर मत अंकित कर अलग–अलग मोड़ लेवे जिससे उसका मत गुप्त रहे तथा मतपेटी मे डालकर ऐरोक्रास सील वापिस कर दें।

# भाग–4
# मतदान सामग्री

**(1) मतदान सामग्री को प्राप्त करनाः–** मतदान सामग्री का स्केल इस मार्गदर्शिका के परिशिष्ट–6, 7 व 8 पर दिया गया है, अतः उतना ही सामान लोहे की पेटी में या अन्य किसी थैले में मिलेगा। यह सुनिश्चित करलें कि आपको दिया गया सामान आपको आवंटित सामग्री के अनुरूप है। यह ध्यान रहे कि चुनाव सामग्री पंच–सरपंच चुनाव के लिये ग्राम पंचायत के लिये नियुक्त रिटर्निग अधिकारी को मिलेगी जिसे आप संबंधित मतदान अधिकारियों को वितरित कर दें। पंचायत समिति/जिला परिषद् चुनावों के लिये मतदान सामग्री मतदान अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त करेंगे।

**(2) मुख्य–मुख्य सामग्रीः–** निम्नांकित मतदान सामग्री आप या आपके मतदान अधिकारी सावधानी से संभाल लें क्योंकि ये वस्तुयें मतदान के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और आपकी या मतदान अधिकारी की ओर से थोडी भी लापरवाही आपके मतदान में बाधा खड़ी कर सकती हैः–

(i) **मतपेटियांः–** इन्हें एक–एक करके खोलें तथा वापस बन्द करके जांच लेवें।

(ii) **मतदाता सूचियांः–** (सात कार्यकारी प्रतियां) चारों चुनाव साथ होने पर आपको (रिटर्निंग अधिकारी) प्रत्येक मतदान बूथ के लिए संबंधित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों की केवल सात कार्यकारी प्रतियां मिलेंगी जिसमें से एक आपके पास रहेगी शेष 6 संबंधित मतदान बूथ पर प्रयोग में आयेगी। जो प्रति आपके पास रहेगी उसका प्रयोग आप नाम निर्देशनों पत्रों को प्राप्त करने व उनकी जांच करने हेतु करेंगे। आप यह देख लें कि प्रत्येक सूची पूर्ण है तथा एक जैसी है व वह रबड सील से या और किसी तरह से प्रमाणित है तथा यह भी देख लें कि इस सूची में पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित सभी वार्डो/निर्वाचन क्षेत्रों की मुद्रित मतदाता सूचियां संशोधन सूचियों सहित सम्मिलित कर ली गई हैं।

चारों चुनाव साथ नहीं हों और पंच/सरपंच चुनाव ही हो अथवा जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य चुनाव ही हो तो प्रति बूथ 4 कार्यकारी प्रतियां काम में आयेंगी। इसके अलावा पंच/सरपंच चुनाव की स्थिति में एक कार्यकारी प्रति रिटर्निंग अधिकारी के पास रहेगी।

**(3) मतपत्र** :– (i) आपको मतपत्र चार प्रकार के मिलेंगे जिसमें पंच मतपत्र गुलाबी (पिंक) रंग के होंगे, सरपंच मतपत्र सफेद रंग के होंगे, पंचायत समिति सदस्य मतपत्र नीले रंग के होंगे और जिला परिषद् सदस्य मतपत्र पीले रंग के होंगे।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त आपको पंच मतपत्र के लिए और सरपंच मतपत्र के लिए क्रमशः गुलाबी व सफेद रंग में चुनाव चिन्हों की अतिरिक्त स्लिपें भी दी जायेंगी। मतपत्रों एवं अतिरिक्त स्लिपों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) **पंच मतपत्र :– ये गुलाबी रंग के कागज पर हैं** तथा इसके पहले शेडेड एरिया में शब्द ''पंच चुनाव'' लिखे गये हैं। इनमें से 5 चुनाव चिन्ह क्रम से तथा तथा छटवें नंबर पर नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) एवं इसके लिए निर्धारित चिन्ह अंकित है – (1) पतंग (2) प्रेशर कूकर (3) कैंची (4) गैस सिलेण्डर (5) नारियल हैं (6) NOTA (उपर्युक्त में से कोई नहीं)।

ये आपको पंचायत सर्किल के कुल मतदाताओं की संख्या से कुछ ज्यादा मिलेंगे। यदि कुल मतदाता संख्या 918 है तो आपको 1,000 या इससे अधिक मत–पत्र फार्म देंगे क्योंकि आपको मतदान केन्द्र पर आने के बाद वार्डवार बांटने पडेंगे। यदि एक वार्ड में 102 कुल मतदाता हैं तो आप 110 मत–पत्र उस वार्ड के लिए दें। अतः जिला निर्वाचन अधिकारी आपको कुल मतदाता संख्या को 100 में राउण्ड कर मत–पत्र फार्म देंगे तथा आप प्रत्येक वार्ड की कुल मतदाता संख्या को 10 में राउण्ड कर देंगे।

(ख) **सरपंच मतपत्र :– ये सफेद कागज पर हैं** तथा इसके पहले शेडेड एरिया में 'सरपंच चनुाव' अंकित है व इनमें 09 चुनाव चिन्ह क्रम से तथा दसवें क्रम पर नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) तथा उसके लिए निर्धारित चिन्ह अंकित है – (1) बल्ला (2) अलमारी (3) गुब्बारा (4) ब्रुश (5) मोमबत्तियाँ (6) कैमरा (7) कोट (8) गैस का चूल्हा (9) बल्लेबाज (10) NOTA (उपर्युक्त में से कोई नहीं)। ये प्रत्येक बूथ के लिए आपको 10 में राउण्ड करके दिये जायेंगें।

**(4) चुनाव प्रतीकों की अतिरिक्त स्लिपेंः**– (i) ये दो रंगों में है। सफेद रंग में व गुलाबी रंग में। इनमें चुनाव चिन्हों का क्रम निम्न रूप में हैः–

<u>सफेद कागज की अतिरिक्त (प्रथम) स्लिप–(10 चिन्ह):– (सरपंच चुनाव के लिये)</u>

(1) कांच का गिलास (2) कप और प्लेट (3) चारपाई (4) छत का पंखा (5) लेटर बाक्स (6) अंगूठी (7) शटल (8) वायलिन (9) छड़ी (10) बाल्टी ।

<u>सफेद कागज की अतिरिक्त (द्वितीय) स्लिप–(10 चिन्ह):– (सरपंच चुनाव के लिये)</u>

(1) बैटरी टॉर्च (2) डीजल पम्प (3) केतली (4) हारमोनियम (5) स्टूल (6) मेज (7) टेबल– लैम्प (8) टेलीविजन (9) सीटी (10) बोतल।

**गुलाबी कागज की अतिरिक्त स्लिपः–(6 चिन्ह):– (पंच चुनाव के लिये)**

(1) सिलाई मशीन (2) डोली (3) ब्रीफकेस (4) प्रेस (5) टेलीफोन (6) आटो रिक्शा

(ii) उपरोक्तानुसार बताये गये चिन्ह इन अतिरिक्त स्लिपों में इसी क्रमानुसार हैं। आपकी सुविधा के लिये क्रमवार चुनाव चिन्हों के नाम व नमूने संलग्न परिशिष्ट 9 में भी बताये गये हैं। गुलाबी रंग की स्लिपें पंच चुनाव एवं सफेद रंग की स्लिपें सरपंच चुनाव के लिये हैं। लेकिन पंच चुनाव में किसी वार्ड में 11 से अधिक या सरपंच चुनाव में 29 से अधिक उम्मीदवार खडें हो जायें तो पंच चुनाव में सफेद रंग की तथा सरपंच चुनाव में गुलाबी रंग की अतिरिक्त स्लिपें भी काम में ली जावें।

(iii) ये अतिरिक्त स्लिपें दिखने में मत–पत्र जैसी ही हैं, फिर भी इनमें भिन्नतायें हैं:–

(क) चुनाव चिन्ह एक दूसरे से भिन्न हैं।

(ख) इनमें शब्द ''पंच चुनाव'' या ''सरपंच चुनाव'' अंकित नहीं है।

(ग) स्लिपों में पहले उम्मीदवार के खाने के ऊपर शेडेड क्षेत्र है, पर मतपत्रों में पहले उम्मीदवार के खाने के ऊपर शेडेड क्षेत्र नहीं है।

(iv) अतिरिक्त स्लिपों के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि पंच या सरपंच चुनाव में बढ़े हुए उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार ही अतिरिक्त स्लिपें लगायी जायें। अतिरिक्त स्लिप में से जितने चुनाव प्रतीक आपको वांछित है, उतने ही चुनाव प्रतीक क्रमानुसार ही उपयोग करें। यदि दो चिन्ह वांछित हैं तो प्रथम दो चिन्ह अतिरिक्त स्लिप से काट कर मत–पत्र के अंत में चिपकायें।

(v) चूंकि चुनाव चिन्हों का आवंटन उम्मीदवारों को हिन्दी वर्णमाला के अनुसार क्रम से स्वतः होता है, अतः अतिरिक्त स्लिपों एवं चुनाव चिन्हों के उपयोग का क्रम आप उपरोक्तानुसार ही रखें ताकि अनावश्यक विवाद की स्थिति न आये।

(vi) **I – पंच पद चुनाव हेतुः–**

(A) **जब चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5 से कम होः–**

मतपत्र में से नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के कालम को उसके उपर के शेडेड एरिया सहित अलग कर लिया जावेगा तथा जितने अभ्यर्थी खड़े हुए हैं के अतिरिक्त जो चुनाव चिन्ह मतपत्र मे शेष रह जाते हैं उनको भी मतपत्र से अलग कर दिया जावेगा तथा मतपत्र के भाग में पूर्व में अलग किये गये नोटा के कॉलम को चिपका दिया जावेगा।

(B) **जब चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5 से अधिक व 11 तक होः–**

मतपत्र में से नोटा के कॉलम को ऊपर के शेडेड एरिया सहित अलग कर लिया जावेगा तत्पश्चात् जितने अतिरिक्त चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या के अनुसार पंच पद के लिए उपलब्ध अतिरिक्त स्लिप में से चुनाव चिन्हों को अलग कर मतपत्र के भाग में चिपकाया जावेगा एवं इसके बाद अलग किये गये नोटा के कॉलम को इसके साथ चिपकाया जावेगा ताकि नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प व उसका चुनाव चिन्ह चुनाव लड़ने वाले अन्तिम अभ्यर्थी के बाद आ जाए।

(C) **जब चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 11 से अधिक होः–**

ऐसी स्थिति में प्रथम ग्यारह के अलावा आवश्यक अतिरिक्त चिन्हों के लिए सरपंच पद हेतु मुद्रित अतिरिक्त स्लिप प्रथम व अधिक आवश्यकता होने पर सरपंच पद की द्वितीय स्लिप का उपयोग किया जावेगा मतपत्र तैयार करने की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि, मतपत्र मे नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प चुनाव लड़ने वाले अंतिम अभ्यर्थी के बाद मे ही जोड़ा जाएगा।

**II – सरपंच पद चुनाव हेतुः–**

सरपंच चुनाव के मतपत्र चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार मतपत्र तैयार करने की विधि पंच चुनाव हेतु दर्शायी गयी विधि के अनुरूप ही होगी सिवाय इसके कि 9 चुनाव चिन्ह तक मतपत्र का उपयोग किया जावेगा, तथा इससे अधिक अभ्यर्थी होने पर आवश्कतानुसार पहले सरपंच हेतु सफेद कागज पर मुद्रित प्रथम अतिरिक्त स्लिप का तथा इसके बाद द्वितीय अतिरिक्त स्लिप का निर्धारित उपयोग किया जावेगा एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सख्या 29 से अधिक होने पर पंच पद के लिये गुलाबी रंग की अतिरिक्त स्लिपों का उपयोग किया जावेगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, मतपत्र मे नोटा (उपुर्यक्त में से कोई नहीं) का कॉलम चुनाव लड़ने वाले अंतिम अभ्यर्थी के बाद ही चिपकाया जाना हैं।

नोटः– **यदि नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के लिए निर्धारित चिन्ह NOTA के स्टीकर मुद्रित करवाकर मतदान दल को वितरित किये जाते हैं तो उस स्थिति में चुनाव लडने वाले अंतिम अभ्यर्थी के लिए आवंटित चुनाव चिन्ह के बाद वाले चुनाव चिन्ह पर नोटा के चिन्ह वाला स्टीकर चिपकाया जायेगा तथा दांयी ओर ''उपर्युक्त में से कोई नहीं'' वाक्यांश अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात शेष भाग को मतपत्र से हटा दिया जायेगा।**

**उदाहरण के लिए यदि पंच चुनाव में दो अभ्यर्थी खडे होते हैं तो मतपत्र में अंकित तीसरे चिन्ह (ब्रीफकेस) के ऊपर नोटा का स्टीकर चिपकाया जाना है तथा दायीं तरफ उपर्युक्त में से कोई नहीं शब्द अंकित किये जाने है। तत्पश्चात शेष भाग को मतपत्र से हटा दिया जायेगा। यही प्रक्रिया सरपंच के चुनाव के लिए भी अपनाई जायेगी।**

**(5) पंचायत समिति सदस्य मतपत्र :– यह मतपत्र नीले रंग के कागज पर मुद्रित होंगे,** इनमें अभ्यर्थियों के नाम और उन्हें आवंटित चुनाव चिन्ह मुद्रित मिलेंगे। मतपत्र पर अन्तिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) तथा उसके लिए निर्धारित चिन्ह मुद्रित होगा। इनकी संख्या प्रत्येक मतदान बूथ के कुल मतदाताओं की संख्या को 10 में राउण्ड कर मतदान अधिकारी को दी जायेगी अर्थात् यदि मतदान बूथ पर उक्त संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या 512 है, तो मतपत्र 520 दिये जायेंगे।

**(6) जिला परिषद् सदस्य मतपत्र :– यह मतपत्र पीले रंग के** कागज पर मुद्रित मिलेंगे जिन पर भी अभ्यर्थियों के नाम व उन्हें आवंटित चुनाव चिन्ह मुद्रित मिलेंगे मतपत्र पर अन्तिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) तथा उसके लिए निर्धारित चिन्ह मुद्रित होगा और यह भी उतनी ही संख्या में दिये जायेंगे जितने कि निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या को 10 में राउण्ड करने के बाद होती है, यानि किसी मतदान बूथ पर 512 मतदाता हों तो यह मतपत्र 520 उस मतदान बूथ के लिये दिये जायेंगे।

**(7) स्टाम्प पैडः**–ये पैड बैंगनियां रंग (Purple) के मिलेंगे ये निम्न काम के लिये प्रयोग में लिये जायेंगेः–

(i) ऐरोक्रास मार्क रबड स्टाम्प द्वारा मतपत्रों पर मत अंकित करने के लिए।

(ii) प्रत्येक मतपत्र की पीठ पर उसके दायीं तरफ सबसे ऊपरी भाग पर सुभिन्नकारी रबड सील का निशान लगाने हेतु। सील में अंकित होगा ''पं.रा.स.''।

(iii) वार्ड मतपत्रों के मुख पर वार्ड संख्या की नम्बर वाली रबड सील (Digit seal) लगाने हेतु।

**(8) अमिट स्याही की शीशीः**– आपको प्रत्येक मतदान बूथ पर एक शीशी मिलेगी, जिसे आप देख लें कि वह खाली तो नहीं है।

**(9) डिजिट सीलों का सैटः**– पंच चुनाव के लिए आपको जो मतपत्र दिये जायेंगे उनमें वार्ड संख्या अंकित करनी होगी जिसके लिए पंच चुनाव के मुख पर वार्ड संख्या के नम्बर वाली डिजिट रबड़ सील लगानी होगी जिस वार्ड का जो क्रम–संख्यांक है वहीं क्रम–संख्यांक डिजिट रबड़ सील से लगाना होगा। अधिकांशतः पंचायतों में 15 तक वार्ड हैं, लेकिन कुछ पंचायत ऐसी भी हैं जहॉं वार्डो की संख्या 15 से अधिक है। ऐसी स्थिति में आपकी पंचायत में जितने वार्ड हैं उतनी संख्या तक की डिजिट रबड़ सील का सैट आपको दिया जायेगा। सामग्री लेते समय आप सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक अंक की सील जिसकी आपको आवश्यकता है, वह मौजूद है।

**(10) एरोक्रॉस मार्क रबड सीलः**– आप यह देख लें कि जो आपको ऐरोक्रॉस मार्क रबड़ सीलें मिली हैं उनमें दोनों तरफ रबड़ चिपका हुआ है।

**(11) मतपेटीः**– यह सुनिशचित कर ले कि आपने सही और काम ली जा सकने वाली मतपेटियॉ प्राप्त कर ली है।

# भाग–5
# मतदान प्रक्रिया

**1. मतपत्र को मोड़नाः–** मत–पत्र ऐसे ढंग से मोड़े जायेंगे ताकि एक अभ्यर्थी के वोट का इम्प्रेशन दूसरे अभ्यर्थी के खाने मे ना आये। पहला मोड़ खड़ा (Vertical) होगा जिससे चुनाव चिन्ह उम्मीदवार के नाम पर आ जावे व मोड़े हुए मतपत्र की चौड़ाई दो इन्च (2′′) हो जावे। दूसरा मोड आड़ा (Horizental) होगा। यह इस तरह होगा कि सुभिन्नकारी चिन्ह (पं.रा.स.) आपको बाहर दिखता रहे। मोड़ सीधे होने चाहिए जिससे मतपत्र को स्लिट (सुराख) में आसानी से डाला जा सके। ऐसा करने से मतदाता मतदान कक्ष में मतपत्र उसी तरह मोड़ कर लायेगा जिससे मत की गोपनियता बनी रहेगी जो चुनाव की आधारशिला है [नियम 40(1)]।

**2. मतदान कर्मियों के बैठने की व्यवस्थाः–** चारो चुनाव साथ होने पर छह सहायक मतदान अधिकारी व मतदान अधिकारी मतदान बूथ के अन्दर इस प्रकार से बैठेंगे कि जिससे मतदाता सुगमता से मतदान कर सकें। प्रथम चार सहायक मतदान अधिकरी मतदान बूथ के अन्दर जाने वाले दरवाजे से सटे हुए बैठेंगे, उसके बाद थोड़े हटकर पांचवां सहायक मतदान अधिकारी बैठेगा। छठा सहायक मतदान अधिकारी मतदान बूथ के अन्दर दूसरी साइड़ में बैठेगा जिससे कि पंच/सरपंच वाली मतपेटी और जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य वाली मतपेटी दूर–दूर रहे और उनकी अलग–अलग पहचान स्पष्ट रहे। पंच/सरपंच के पृथक् तथा जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य के पृथक् चुनाव होने के स्थिति में पांचवा व छठा सहायक मतदान अधिकारी नहीं होगा। तब प्रथम तीन सहायक मतदान अधिकारी मतदान बूथ के अन्दर जाने वाले दरवाजें से सटे हुए बैठेंगे और चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी अन्दर दूसरी साइड में मतपेटी के पास बैठेगा। मतदान बूथ के कक्ष के आकार व उसकी स्थिति को देखते हुये मतदान बूथ के अन्दर की व्यवस्था सुव्यवस्थित किया जाना आवश्यक है, ताकि मतदाताओं की भीड़ अन्दर नहीं रहे। चारों चुनाव साथ होने, केवल पंच–सरपंच चुनाव होने या केवल पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य का चुनाव होने पर मतदान बूथ का मॉडल क्रमशः परिशिष्ट 10, 11 एवं 12 पर बताये गये है।

**3. मतपत्र का अधिप्रमाणनः–** मतपत्र की पीठ पर दॉयीं तरफ सबसे ऊपर सुभिन्नकारी चिन्ह लगाना न भूलें। साथ ही मतपत्र की पीठ पर संबंधित मतदान अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर होंगे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। (परिशिष्ट 5 भी देखे)

**4. अभ्यर्थियों व मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्थाः–** पंच एवं सरपंच के लिये चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को ही मतदान बूथ के अन्दर बिठा सकते हैं। इसके सिवाय सरपंच

उम्मीदवार द्वारा नियुक्त एक पोलिंग एजेन्ट भी मतदान बूथ में बैठ सकता है [नियम 56 (2), नियम 24 एवं नियम 69 (1)]। जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन में अभ्यर्थी एक मतदान केन्द्र पर एक मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। [नियम 69 (1)] इसके अतिरिक्त पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन का अभ्यर्थी पूरे निर्वाचन क्षेत्र में एक निर्वाचन अभिकर्ता भी नियुक्त कर सकता है और वह भी मतदान केन्द्र में प्रवेश कर सकता है। उपरोक्त अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं के सिवाय अन्य कोई व्यक्ति बिना आपकी इजाजत के मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सकता है [नियम 24 (2) (घ)]।

**5. मत देने का अधिकारः–** राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18–ग के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो वह वोट देने का हकदार है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक वार्डों में या निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज है तो वह पंचों के चुनाव में केवल एक ही वार्ड से तथा सरपंच चुनाव में केवल एक पंचायत के केवल एक ही वार्ड से, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में एक ही निर्वाचन क्षेत्र से और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र से अर्थात् प्रत्येक चुनाव में एक–एक बार ही अपना वोट दे सकेगा और यदि किसी भी चुनाव में वह एक से अधिक वोट देता है तो उस चुनाव में उसके सभी वोट निरस्त कर दिये जायेंगे।

कानूनी प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी जेल या पुलिस अभिरक्षा में है तो वह वोट नहीं दे सकेगा।

**6. मतदाता की पहचान हेतु दस्तावेजः–** राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता की पहचान हेतु कुछ दस्तावेज अधिसूचित किये हैं, मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत करना होगा और इसे प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में विहित किये गये वैकल्पिक फोटोयुक्त 19 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज उसे अपनी पहचान स्थापित करने हेतु प्रस्तुत करना होगा। किसी मतदाता के परिवार के मुखिया की पहचान भी इनमें से किसी दस्तावेज से स्थापित हो जाती है, और परिवार के अन्य सदस्य के साथ कोई दस्तावेज नहीं है, तो परिवार के अन्य सदस्य की पहचान मुखिया की पहचान के आधार पर उसके साथ आने पर की जायेगी। इस विषय में आयोग की अधिसूचना परिशिष्ट 22 पर देखें।

**7. मतदान की गोपनीयताः–** मतदान बूथ में कोई उम्मीदवार या उसका एजेन्ट मतदाता को दिये गये मतपत्र का नम्बर नोट नहीं करेगा [नियम 39 (3)]।

**8. मतपत्रों का लेखाः–** पंच व सरपंच चुनाव में मतपत्र का हिसाब रखने के लिए अलग से कोई प्रारूप नहीं है, क्योंकि मतदान से लगाकर मतगणना का समस्त कार्य अभ्यर्थियों के सामने एक ही दिन में सम्पन्न कर लिया जायेगा फिर भी पंच/सरपंच चुनावों में Form of Statistics में सुसंगत पैरों में इनका ब्यौरा अवश्य देना है। जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन में मतगणना, मतदान के दिन नहीं होगी और न ही पंचायत मुख्यालय पर होगी बल्कि मतदान के कुछ दिन बाद जिला मुख्यालय पर होगी। ऐसी स्थिति में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के मतपत्रों का हिसाब अलग से रखा जायेगा जिसके लिये मतपत्र के लेखा का पृथक से प्रारूप तैयार किया गया है, जिसमें मतपत्रों का लेखा–जोखा मतदान बूथवार मतदान अधिकारी द्वारा तैयार किया जावेगा, पंचायत समिति सदस्य चुनाव का मतपत्र लेखा लिफाफा पी–30 में व जिला परिषद् सदस्य चुनाव का मतपत्र लेखा लिफाफा पी–31 में रखा जायेगा जिसे सील नहीं करें।

**9. मतदान समाप्तिः–** विधानसभा व अन्य चुनावों की तरह मतदान की समाप्ति के लिये निर्धारित समय पर मतदान अधिकारी बाहर आकर जितने मतदाता पंक्ति में खड़े हैं उन्हें अपनी हस्ताक्षरित पर्ची दे दें, जिससे वे सब मतदान के लिये निर्धारित समय के बाद मतदान कर सकें। (नियम 46)

**10. निर्वाचन अपराध एवं मतदान प्रक्रिया सम्बन्धी नियमः–** निर्वाचन संबंधी अपराधों के प्रावधान परिशिष्ट–2 पर तथा मतदान संबंधी प्रक्रिया परिशिष्ठ–4 में नियम 23 से 48ख तक बतायी हुई है, जिनका अच्छी तरह से अध्ययन करना आवश्यक है।

**11. पेपर–सील लगानाः–** मतपेटी में पेपर सील भी लगायी जायेगी, जो पिंक पेपर सील है। ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की हुई हैं जिस पर क्रम संख्यांक भी होंगे। पिंक पेपर सील की लम्बाई 10'' है, जिसे कार्ड बोर्ड के टुकडे का उपयोग करते हुये मतपेटी पर लगाना है।

**12. मतपेटियों को तैयार करना व सीलबन्द करनाः–** मतदान अधिकारी मतदान प्रारम्भ के समय करीब 15 मिनट पहले मतदान बूथ पर उपस्थित उम्मीदवारों के समक्ष मतपेटियों के खाली होने का प्रदर्शन करने तथा खाली बताने के तुरन्त बाद मतपेटी तैयार करेगा। पेपर सील पर अपने पूरे हस्ताक्षर करेगा व उपस्थित उम्मीदवारों के हस्ताक्षर भी करवायेंगा। यदि कोई उपस्थित न हो या हस्ताक्षर नहीं करना चाहे तो भी मतपेटी समय पर ही उसी तरह से तैयार की जाकर रख दी जायेगी। मतपेटी की विन्डों से देखते हुये पेपर सील के भाग पर शब्द, ''पं.रा.सं.'' अंकित किये जायेंगे। तत्पश्चात विन्डो कवर व स्लिट कवर को तार से बांध दिया जायेगा। साथ ही साथ डोरे से भी दोनों बांधे जाकर सील कर दिया जायेगा। चार चुनाव होने की स्थिति में मतदान बूथ में

दोनों प्रकार की मतपेटियां होंगी, एक पंच/सरपंच चुनाव वाली, दूसरी जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य के चुनाव वाली। दोनों ही मतपेटियों को सील करने की अलग अलग ही व्यवस्था रहेगी। दोनों मतपेटियों कों एक साथ नहीं रखा जावे। चूंकि पंच, सरपंच वाली मतपेटी में मतों की गणना मतदान की समाप्ति के बाद उसी दिन पंचायत मुख्यालय पर होगी, अतः पंच/सरपंच वाली मतपेटी पर टेप या डोरी बांधने की जरूरत नहीं है और उसे थैले में भी बन्द करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिला परिषद् व पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन वाली मतपेटी पर टेप और डोरी बांधने की अतिआवश्यकता है और उसे कपड़े की थैली में भी सील करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिला परिषद् व पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन की मतपेटी जिला मुख्यालय पर मतगणना के लिये पहुंचायी जायेगी और उसकी मतगणना भी बाद में होगी। यह बात आप उपस्थित अभ्यर्थियों व उनके मतदान अभिकर्ताओं को भी अच्छी तरह से समझा दें। पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन के अभ्यर्थियों व उनके मतदान अभिकर्ताओं में से कोई अपनी सील लगाना चाहे और दस्तखत करना चाहे तो उसे भी इजाजत दी जावे।

**13. मतपेटियों पर लेबलः—** मतपेटियों के बाहर लेबल भी लगाया जायेगा जिससे कि मतपेटियों की पहचान स्पष्ट हो सकेः—

(अ) पंच व सरपंच मतपेटी पर जो लेबल चिपकाया जायेगा वह **सफेद कागज** पर होगा और उस पर निम्न विवरण अंकित होंगेः—

**मतपेटी का लेबल**

**पंच/सरपंच का चुनाव**

''सरपंच''

''वार्ड सदस्य''

1. पंचायत सर्किल का नाम....................................................

2. पंचायत सर्किल के वार्ड की संख्या....................................

3. मतदान बूथ की क्रम संख्या व नाम..................................

4. मतपेटी की क्रम संख्या.....................................................

[नियम 33(1) एवं 56(4)ख]

(ब) पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् के सदस्य वाली मतपेटी का लेबल **लाल रंग के कागज** पर निम्न प्रकार का होगाः—

## मतपेटी का लेबल

## पंचायत समिति/जिला परिषद् के सदस्य का चुनाव

1. जिला परिषद् का नाम.......................................................

2. पंचायत समिति का नाम....................................................

3. जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या....................

4. पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या.................

5. मतदान बूथ की क्रम संख्या व नाम.................................

6. मतपेटी की क्रम संख्या......................................................

[नियम 33(1) एवं नियम 58(5)]

यदि पंच/सरपंच चुनाव में बूथ पर 1 पेटी काम में आती है तो मतपेटी की क्रम संख्या 1/1 लिखी जायेगी। यदि दो मतपेटियां काम में आती हैं तो प्रथम मतपेटी पर 1/2, द्वितीय मतपेटी पर 2/2 अंकित किया जायेगा। दो से अधिक मतपेटियॉ उपयोग में आने पर इसी क्रम में क्रम संख्या अंकित की जायेगी। इसी प्रकार जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य चुनाव की मतपेटियों की क्रम संख्या भी पृथक् से अंकित की जावे।

**14. अपाहिज व अन्धे मतदाताओं की सहायताः—** प्रत्येक बूथ के पोलिंग ऑफिसर नियम 41 के प्रावधानों के अनुसार अन्धे, व अपाहिज मतदाताओं को उनके निवेदन पर मत कक्ष में जाकर उनकी इच्छानुसार मत अंकित कर मतपेटी में डाल देंगे। ऐसे मतदाताओं के विवरण लिखने हेतु कोई फार्म निर्धारित नहीं है, लेकिन नियमानुसार आप मतदाता सूची में उस मतदाता के नाम के सामने दो अक्षर ''अ अ'' लिख दें (नियम 41)।

**15. टेण्डर मतपत्र व टेण्डर मतपत्रों की सूची (नियम 44):—** (1) यदि सही मतदाता की जगह फर्जी मतदाता मत देकर चला जाये और सही मतदाता बाद में आवे तो उसे निविदत्त (टेण्डर) मतपत्र दिया जावेगा और उसे मतदान करने का अवसर दिया जायेगा। यह मतपत्र वही साधारण मतपत्र होगा, लेकिन अन्तर केवल इतना ही होगा कि—

(i) इस मतपत्र की पीठ पर स्वयं मतदान अधिकारी द्वारा शब्द ''टेण्डर्ड बेलट पेपर'' लिखे जाकर नीचे हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(ii) यह मतपत्र प्रयोग में लिये जा रहे सरपंच तथा पंच, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद् सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, के मतपत्रों में सबसे पिछला होगा।

(iii) मतदाता मत कक्ष (वोटिंग कम्पार्टमेन्ट) में जाकर मत अंकित कर पोलिंग ऑफिसर को दे देगा, मतपेटी में नहीं डालेगा।

(iv) प्ररूप VI में प्रविष्टि की जाकर मतदाता के हस्ताक्षर लिये जायेंगे।

(v) प्ररूप VI पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य, चारों ही निर्वाचनों के लिये अलग–अलग भरे जायेंगे। मतपत्रों के नम्बर प्ररूप VI के कालम 4 और 5 में लिखे जायेंगे।

(vi) साथ ही साथ चिन्हित मतदाता सूचियों में संबंधित मतदाता के नाम की प्रविष्टि के आगे ''टेण्ड'' लिख दिया जायेगा, जिससे मालूम पड़ जाये कि किसने टेण्डर मतपत्र द्वारा वोट दिया है।

(vii) टेण्डर्ड मतपत्र न तो मतपेटी में रखें जायेंगे और न ही गिने जायेंगे बल्कि अलग लिफाफे में रखे जायेंगे।

(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि चारों प्रकार के निर्वाचनों (पंच, सरपंच, जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य) में निविदत्त मतपत्रों की प्ररूप VI में पृथक्–पृथक् सूचियॉं पंच या सरपंच या पंचायत समिति सदस्य, या जिला परिषद सदस्य, जैसे भी स्थिति हो, के निविदत्त मतपत्रों के साथ अलग–अलग लिफाफों में बन्द की जायेगी। उक्त कार्य मतदान अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार मतदान केन्द्र पर निविदत्त मतपत्र सूची मय निविदत्त मतपत्रों के चार लिफाफे तैयार होंगे जो सीलबंद भी होंगे। (लिफाफा नं. पी–16, पी–17, पी–18, पी–19)।

**16. खराब एवं रद्द मतपत्र** (Spoilt and cancelled ballot papers):**–(नियम 42)**:– यदि किसी मतदाता का मतपत्र त्रुटिवश खराब हो जाये तो उसे दूसरा मतपत्र दे दिया जावे। चिन्हित मतदाता सूची में संबंधित प्रविष्टि के आगे दोनों मतपत्रों के नम्बर भी लिखे जायेंगे, यानि की मतदाता को जो पहले मतपत्र दिया गया था उसका नम्बर भी रहेगा और मतपत्र के खराब हो जाने पर दूसरा मतपत्र दिया गया है वे नम्बर भी अंकित किये जायेंगे। खराब मतपत्र की पीठ पर शब्द ''खराब–रद्द'' लिखकर निर्धारित लिफाफे में रख दें। यह कार्य स्वयं पोलिंग अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यह ध्यान रखे कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन के लिये ऐसे ''खराब–रद्द'' मतपत्र पृथक्–पृथक् लिफाफे में रखे जायेंगे। इस प्रकार एक

मतदान केन्द्र पर चार प्रकार के ''खराब–रद्द'' मतपत्रों के लिफाफे बनेंगे जो सीलबंद भी होंगे। लिफाफा (पी– 12, पी–13, पी–14, पी–15)।

**17. लौटाये गये–निरस्त किये गये मतपत्र** :(Returned and cancelled ballot papers) **(नियम 43)**:– नियम 43 में यह प्रावधान थे कि मतपत्र लेने के बाद कोई मतदाता मत अंकित नहीं करना चाहे तो उसे वापस ले लिया जायेगा और उसकी पीठ पर शब्द ''लौटाया– निरस्त'' लिखकर निर्धारित लिफाफे में बन्द कर दिया जायेगा। किन्तु अब इस प्रकार की कोई कार्यवाही मतदान केन्द्र पर नही की जायेगी क्योंकि अधिसूचना संख्या 1531 दिनांक 12.11.14 द्वारा नियम 43 को विलोपित कर दिया गया है व इसके स्थान पर नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) का विकल्प मतपत्र पर उपलब्ध करवाया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित मतदाता इस विकल्प का उपयोग कर सकता है।

**18. मतदाता की पहचान को आक्षेपित** (Challange) **करना**:– पंचायत चुनावों में न तो कोई चैलेंज लिस्ट बनेगी और न ही कोई चैलेंज फीस होगी। मतदान बूथ में मतदाता की पहचान हेतु राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा 19 दस्तावेज अधिसूचित किये हैं। यदि वह व्यक्ति आयोग द्वारा अधिसूचित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज अपनी पहचान हेतु नही दिखाता है और मतदान अधिकारी द्वारा या सहायक मतदान अधिकारी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तो उसे मतपत्र नहीं दिया जायेगा। मतदाता सूची में छपाई की गलती की वजह से मतदाता को मना नहीं किया जावे। यदि मतदाता की पहचान हो जावे तो उसे मत देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उसकी मतदाता के रूप में अयोग्यता के बारे में कोई ऐतराज नहीं उठाया जा सकता। उदाहरण के लिये यह नहीं कहा जा सकता है कि मतदाता पंचायत क्षेत्र का निवासी नहीं है या उसकी उम्र 18 साल के कम है। मतदाता की अपात्रता संबंधी आपत्तियों पर मतदान अधिकारी जांच नहीं कर सकता ।(नियम 37)

**19. अल्प आयु के प्रतीत होने वाले मतदाताओं से घोषणा प्राप्त करना:–** (1) जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह कानूनन वोट देने का अधिकार रखता है किन्तु ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसकी आयु आप बहुत ही अल्प समझते हैं तो उसके दावे के प्रति आपको निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के सन्दर्भ में साफ–साफ समाधान हो जाना चाहिये। यदि आपको प्रथम दृष्ट्या उसकी पहचान और उसके नाम के निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के बारे में समाधान है किन्तु उसे न्यूनतम आयु से कम का मानते हैं तो आप उस निर्वाचक से, जनवरी के प्रथम दिन जिसके सन्दर्भ से निर्वाचक नामावली तैयार/ पुनरीक्षित की गई है उसकी आयु के सम्बन्ध में एक घोषणा परिशिष्ट 13 में लेंगे। आप ऐसे निर्वाचक की घोषणा अभिप्राप्त करने से पूर्व उसे मिथ्या

घोषणा के लिये राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 18–क (परिशिष्ट–3) में विहित दण्डनीय प्रावधानों से अवगत करा दें।

(2) आप ऐसे मतदाताओं की भी सूची परिशिष्ट–14 में तैयार करें जिनसे आपने परिशिष्ट 13 में ऐसी घोषणाएं अभिप्राप्त की है। आपको उक्त परिशिष्ट 14 के भाग II में उन मतदाताओं की जिन्होंने उपरोक्त घोषणा करने से इन्कार कर दिया हो और बिना मतदान किये चले गये है एक सूची भी तैयार करनी चाहिये। मतदान की समाप्ति के पश्चात् उपरोक्त उल्लिखित सूची और घोषणाएं लिफाफा नं पी.1 (पंच–सरपंच चुनाव के लिये) तथा पी–39 (पं.स./जि.प. सदस्य चुनाव के लिये) तैयार करने हैं, जिन्हे सील नहीं किया जाये।

**20. व्यक्तिशः मतदानः–** पंचायत चुनावों में मतदान व्यक्तिगत रूप से और निश्चित किये गये मतदान बूथ पर ही मतपत्र द्वारा मत डालने का प्रावधान है यानि कि ड्यूटी बैलट पैपर, या प्राक्सी से मत देने का कोई प्रावधान नहीं है।(नियम 35) किन्तु इस नियम के तहत चुनाव ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को डाक मतपत्र द्वारा मत देने का प्रावधान है।

**21. अवचार के लिए मतदान केन्द्र से हटाया जाना (नियम 45):–** यदि कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र पर अवचार करता है या रिटर्निंग अधिकारी, या मतदान अधिकारी या किसी सहायक मतदान अधिकारी के विधिपूर्ण आदेशों का पालन नहीं करता है तो रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी ऐसे व्यक्ति को मतदान केन्द्र से बाहर कर देगा और ऐसा हटाया गया व्यक्ति मतदान केन्द्र के अन्दर दोबारा नहीं आ पायेगा। लेकिन, ऐसे व्यक्ति को मत डालने के अधिकार, से निवारित करने के प्रयोजनार्थ ऐसा नहीं किया जाये।

**22. मतदाताओं के प्रवेश को विनियमित करना – निःशक्तजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को मतदान के लिये प्राथमिकताः–** महिलाओं एवं पुरूष मतदाताओं की पृथक–पृथक पंक्तियां होनी चाहिये। एक बार में तीन या चार मतदाताओं को ही मतदान बूथ में महिला व पुरूष मतदाताओं की पंक्ति में से आने देवें। निःशक्तजन, बुजुर्गो एवं महिलाओं जिनके गोद में बच्चा हो, उन्हें पंक्ति में खड़े अन्य मतदाताओं से पहले प्रवेश की सुविधा देवें। विकलांग मतदाताओं को मतदान बूथ मे प्रवेश करने के लिए आवश्यक सहयोग भी करना चाहिए। निःशक्तजन, वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में प्राथमिकता देने के आशय के प्लेकार्ड सहज दृश्य स्थान पर लगावें।

**23. मतदान समाप्ति के बाद मतदान केन्द्रवार कागज पत्रों की तैयारीः–** (1) मतदान की समाप्ति पर मतदान अधिकारी को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सकें वह कागज पत्रों और लिफाफों को तैयार कर लेवें। मतदान अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों या उनके एजेन्टों की उपस्थिति में, जो कि

उपस्थित है उनके सामने मतदान केन्द्र पर प्रयोग में लाई गई प्रत्येक मतपेटी की यह देखने के लिए सुनिश्चत्ता करेगा कि वह खुली हुई तो नहीं है और उसके साथ छेड़छाड तो नहीं की गई है। साथ ही साथ प्रत्येक मतपेटी पर अपनी मोहर भी लगायेगा। इसके अतिरिक्त नियम 47 के उप नियम (1) के खण्ड (iii) के प्रावधानों के अंतर्गत वह प्रत्येक चुनाव के लिये 4 प्रकार के लिफाफे तैयार कर उन्हें मोहरबंद करेगा, नियम 43 के विलोपित हो जाने के कारण नियम 47 (1)(iii)डी में वर्णित लिफाफे तैयार नहीं किये जायेंगे। यानि पंच चुनावों के लिए भी 4 प्रकार के लिफाफे तैयार होंगे और वह सभी मोहरबन्द होंगे। सरपंच चुनाव में भी नियम 47 के प्रावधानों के अनुसार 4 प्रकार के लिफाफे तैयार करेगा और प्रत्येक को मोहरबन्द करेगा। इसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य चुनाव में और जिला परिषद सदस्य चुनाव में भी करेगा। इस प्रकार प्रत्येक मतदान बूथ पर 16 सीलबन्द लिफाफे तैयार होंगे। यह ध्यान रखा जावे कि चारों चुनाव एक साथ होने की स्थिति में भी प्रत्येक निर्वाचन के लिफाफे अलग–अलग ही रखें जावें क्योंकि पंच व सरपंच चुनावों के लिफाफे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा जिला कार्यालय पर अलग से जमा होंगे, लेकिन जिला परिषद् व पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन से संबंधित उक्त लिफाफे मतदान समाप्ति के बाद मतपेटियों के साथ–साथ ही अलग से जिला मुख्यालय पर पहुंचाये जाने की व्यवस्था होगी। जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचनों से संबंधित समस्त प्रकार के लिफाफों को पृथक् ही रखा जावें उन्हें पंच व सरपंच से संबंधित लिफाफों एवं कागजात में शामिल नहीं किया जावे। इसके अतिरिक्त जिला परिषद् व पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन की मतपेटी का भी विशेष ध्यान रखा जावे तथा उसकी सील को भी सुरक्षित रखने की व्यवस्था रखी जावे।

(2) नियम 47 में बताये गये मोहरबन्द लिफाफों के अतिरिक्त पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन से संबंधित निम्नांकित लिफाफे और तैयार होंगेः–

(i) महिला–पुरूष व अन्य वर्गवार मतदाताओं के सांख्यिकीय आंकड़ो का लिफाफा पी–2 (जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य दोनों के लिए एक),

(ii) मतपत्र लेखा फार्म (पंचायत समिति सदस्य के लिए पृथक (पी–30) तथा जिला परिषद् के सदस्य के लिये पृथक (पी–31)। उक्त फार्म दो–दो प्रतियों में तैयार होंगे, जिनमें से एक–एक लिफाफा नं. पी–30 एवं पी–31 में रखें जायेंगे और एक–एक फार्म मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) की डायरी के साथ लिफाफा नं. पी–38 में रखा जायेगा। पंच/सरपंच चुनाव में यह फार्म नहीं होगा, किन्तु मतपत्रों का हिसाब Form of Statistics (दोनों के पृथक–पृथक) में उल्लेखित किया जायेगा।

(iii) गुलाबी पेपर सील का लेखा एवं मतदान अधिकारी की घोषणा (जिला परिषद् और पंचायत समिति सदस्य दोनों के लिए एक) लिफाफा नं. पी–32

(iv) मतदान अधिकारी की डायरी–पी.38 (दोनो चुनावों की एक)

(v) मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व ऐसे मतदाताओं की सूची (पंच/सरपंच चुनाव में अन्य कागजात के साथ लिफाफा पी–1 में तथा जि.प./पं.स. सदस्य चुनाव में पृथक लिफाफा नं. पी–39 में)

(3) उपरोक्त के अलावा पंच सरपंच चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी को और भी लिफाफे सीलबंद या बिना सील किये हुये जमा कराने होंगे, जिनका विवरण परिशिष्ट 15 पर और भाग–6 में दिया गया है।

# भाग–6
# रिटर्निंग अधिकारी (पंच/सरपंच चुनाव) के कर्तव्य
## खण्ड–I

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994, के नियम 23 में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा पंच व सरपंच चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त होगा। पंच व सरपंच चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी की पंच व सरपंच के चुनाव की सम्पूर्ण व्यवस्था पर देख–रेख करने की जिम्मेदारी है। नियम 65 के अनुसार उप सरपंच चुनाव का रिटर्निंग अधिकारी भी वही है जो पंच/सरपंच चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी है। अतः उप सरपंच चुनाव का दायित्व भी आपका है। यदि पंच, सरपंच, जि.प. सदस्य व पं.स. सदस्य के चारों चुनाव एक साथ होते हैं तो जिला परिषद् व पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन से संबंधित कार्य की उस पंचायत क्षेत्र में सम्पूर्ण देख–रेख भी करेगा तथा चारों प्रकार के निर्वाचनों के लिए मतदान सुचारु रूप से कराने की व्यवस्था रिटर्निंग अधिकारी सुनिश्चित करेगा। मतदान सुचारु रूप से करवाने के अलावा उक्त रिटर्निंग अधिकारी के निम्नांकित कर्तव्य मुख्य व महत्वपूर्ण हैंः–

**(1) मतदान के पूर्व दिवस को –**

(i) उक्त रिटर्निंग अधिकारी पंचायत मुख्यालय पर मतदान तिथि से कम से कम एक दिन पहले पहुंचेगा। पहुंचते ही छपे हुए लेबिल नियम 30(3) के अंतर्गत पंचायत कार्यालय की जगह चिपकायें या मतदान केन्द्र जैसा लोक सूचना में दिया है और जहां आप नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे, चिपका कर प्रदर्शित करें। साथ ही इसे प्रत्येक बूथ की इमारत पर चिपकायें। नियम 30(3) का नोटिस एक स्वयं आपकी तरफ से दूसरा जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से होगा।

(ii) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोक सूचना में निर्दिष्ट भवन पर निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पंचायत मुख्यालय पर–(क) स्वयं उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन प्राप्त करना, (ख) उनकी जांच करना, (ग) नाम वापसी के नोटिस प्राप्त करना, (घ) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्ररूप–V में पंच व सरपंच दोनों की उनके संबंधित चुनाव–चिन्हों सहित तैयार करना, (ङ) प्ररूप–V के अनुसार पंच, सरपंच मतपत्र तैयार करना, (च) पंच मतपत्र पर वार्ड का नम्बर रबड़ डिजिट सील से अंकित करना, (छ) सभी मतपत्रों की पीठ पर सुभिन्नकारी चिन्ह् लगाना इत्यादि कार्य सम्पादित करेगा। चुनाव कार्यक्रम आपको जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अलग से दिया जायेगा फिर भी आपको निर्वाचन से संबंधित कार्य का समय निम्न प्रकार से बताया जा रहा हैः–

## मतदान की तारीख से एक दिन पहले

(a) नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति का समय 8 बजे प्रातः से 11 बजे प्रातः

(b) नाम निर्देशन पत्रों की जांच–11.30 बजे प्रातः से आरम्भ

(c) नाम वापिसी का अंतिम समय–3 बजे सायं तक

(d) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची तैयार करना एवं मतपत्र तैयार करना–3 बजे सायं से

(नोटः– उक्त कार्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन होता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी बतायेंगे)

## मतदान के दिन

(a) **मतदान का समयः**– 8 बजे प्रातः से सायं 5 बजे के मध्य (पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जि.प. सदस्य चारों के लिए)

(नोटः– मतदान के उक्त समय में परिवर्तन होता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी बतायेंगे)

(b) **मतगणनाः**– मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद उसी दिन (केवल पंच व सरपंच चुनाव की)

**(2) मतदान दिवस को –**

(i) मतदान के दिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित मतदान भवन/भवनों पर मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा प्रत्येक बूथ पर मतदान दल के सदस्यों में काम बांटना व सामान्य अधीक्षण करना,

(ii) मतदान समाप्ति के बाद पंच व सरपंच चुनाव की मतगणना की व्यवस्था करना व पंच व सरपंच चुनाव का परिणाम घोषित करना,

(iii) मतदान समाप्ति के बाद पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन से संबंधित समस्त कागज पत्रों को संबंधित मतदान अधिकारियों से तैयार करवाना,

(iv) जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य की मतपेटियों को पृथक् से सुरक्षित रखना तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्दिष्ट किये गये अधिकारी को सुपुर्द करना साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि जिला परिषद् सदस्य व पंचायत समिति के चुनाव वाली मतपेटी एवं उनसे संबंधित कागज पत्र किसी प्रकार से पंच/सरपंच चुनाव के मतपेटी या कागज पत्रों में शामिल तो नहीं हो गये हैं और पृथक् से पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं तथा इसे सुरक्षित अवस्था में ही जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि को उनके निर्देशानुसार सुपुर्द करना।

(v) पंचों व सरपंचों के चुनाव परिणाम घोषित होते ही पंच व सरपंच के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों को प्ररूप–XI जो कि छपा हुआ फार्म आपको दिया जायेगा, में शपथ दिलाना ताकि वे उप सरपंच के निर्वाचन के लिए होने वाली बैठक में शामिल हो सके।

(vi) उप सरपंच का चुनाव पंच/सरपंच चुनाव के अगले दिन पूर्वान्ह में आपको सम्पन्न कराना है। अतः पंच/सरपंच चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ ही साथ नव–निर्वाचित सरपंच/पंचों को उप सरपंच चुनाव का नोटिस जो कि इस मार्गदर्शिका के भाग–7 में बताया हुआ है, उसी समय देकर हस्ताक्षर प्राप्त किये जावें। यदि उप सरपंच चुनाव का कार्यक्रम जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्य किसी समय व तिथि पर रखा जाये तो तदनुसार कार्यवाही की जाये।

(vii) नाम निर्देशन पत्र व मतदान का समस्त रिकार्ड निर्धारित लिफाफे में बन्द कर और हस्ताक्षर कर सुरक्षित बन्द कर लेना।

**नोटः–** यदि पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य का ही चुनाव है तो मतदान अधिकारी उक्त संबंधित कर्त्तव्यों को सम्पन्न करेगा व मतदान समाप्ति पर मतपेटी व कागजात उसी दिन जमा करायेगा।

**(3) पंच/सरपंच चुनाव के मतदान के आगामी दिवस को –** पंच/सरपंच चुनाव के आगामी दिन आपको पूर्वान्ह में ही उप सरपंच का चुनाव सम्पन कराना है, और उसके तुरन्त बाद दोपहर में ही जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्देशित स्थान के लिए अपने मतदान दल के सदस्यों के साथ प्रस्थान करना है। यदि उस दिन आपका गन्तव्य स्थान जिला मुख्यालय है तो निर्वाचन कागजात यथा निर्दिष्ट रीति से जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जावे।

## खण्ड–II

पंच/सरपंच चुनाव में आप के द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया की जानकारी निम्नप्रकार हैः–

### (1) नाम निर्देशन

(क) नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति के संबंध में कानूनी प्रावधान निम्नाकित हैः–

**पंच चुनाव–**

(क) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19, 19 क, 19 ख, 20, 21 एवं 22

(ख) राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 से 54, 73 से 76

**सरपंच चुनाव**–

(क) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धाराऐं 19, 19 क, 19 ख, 20, 21, 22 एवं 26

(ख) राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 से 54, 56, 69 से 76

उक्त अधिनियम व नियम के आपके कर्तव्यों से संबंधित उद्धत अंश परिशिष्ट 3 एवं 4 पर है। कृपया आप प्रावधानों को सावधानी से समझकर पढ़ लें तथा अपने संशयों को रवाना होने से पहले प्रशिक्षण देने वालों से चर्चा कर दूर कर लें। पंचायत मुख्यालयों पर भी आप अपने संशय जोनल अधिकारी/मजिस्ट्रेट से दूर कर लें।

**(ख) निर्धारित फार्मः**– अन्य फार्मों के साथ निम्नलिखित मुद्रित फार्म आपको परिशिष्ट–6 अथवा 7 के अनुसार दिये गये हैंः–

(i) नाम निर्देशन पत्र (पंच व सरपंच) (प्ररूप–4 एवं इसके साथ प्ररूप 4घ तथा उपाबन्ध–I)

(ii) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप–9)

(iii) गणन अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप–10)

**नोटः**– (क) उपरोक्त में से प्ररूप–9 एवं 10 केवल सरपंच चुनाव के लिये है और पंच चुनाव से संबंधित नहीं है। साथ ही उपरोक्त प्ररूप चुनाव लडने के इच्छुक व्यक्ति को निःशुल्क ही वितरित करने हैं। आपको जहां चुनाव कराना है, आप वहां नाम निर्देशन–पत्रों को लेने, संवीक्षा करने व वापिसी की तारीख से पूर्व दिन को ही पहुॅच जायेंगे। आपके पहुॅचने के समय से ही आप नाम निर्देशन पत्रों को वितरण कर सकते हैं ताकि नाम निर्देशन–पत्रों भरने के इच्छुक व्यक्तियों को कठिनाई न रहे। नाम निर्देशन पत्र के साथ प्ररूप 4 घ जो अभ्यर्थी को सन्तानों, दोषसिद्धि एवं लंबित गंभीर आपराधिक प्रकरणों तथा सम्पति, के संबंध में घोषणा के लिये विहीत किया हुआ है संलग्न करना है। इसके अतिरिक्त उपाबन्ध–I (देखें परिशिष्ट 16) जो अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, सम्पत्ति, सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों की देयताओं आदि के संबंध में स्वघोषणा है, भी संलग्न कर देनी होगी जिनके फार्म भी आपको दिये गये हैं। इन्हें भी नाम निर्देशन पत्र के साथ सैट बनाकर आप अभ्यर्थी को देवें।

(ख) जहां तक कोशिश हो छपे हुये फार्म लिये जायें, परन्तु यदि फार्मो की कमी पड़ जाये तो हस्तलिखित या कार्बन की सहायता से फार्म की नकल कर अथवा टाईप किया हुआ अथवा फोटोस्टेट प्रति फार्म भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन विवरण हूबहू वही हो।

**(ग) नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति (नियम 25 से 29)**:– (क) आप सरपंच व पंच चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी की हैसियत से लोक सूचना में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्धारित स्थान, निर्धारित तारीख व निर्धारित समय पर ही नाम निर्देशन–पत्र प्राप्त करेंगे, जांच करेंगे व नाम वापसी के नोटिस प्राप्त करेंगे। यह सारा कार्य प्रत्येक मतदान के एक दिन पहले पूरा होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की जांच व अन्य कामों के लिए समय लोक सूचना द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने निर्धारित कर दिया है जिसका अलग से विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आपको देंगे। यह अति आवश्यक है कि आप पंच व सरपंच चुनाव के नाम निर्देशन–पत्र प्राप्ति के लिये निर्धारित दिन को जैसा भी मतदान का कार्यक्रम जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से मिले, लोक सूचना में निर्दिष्ट स्थान (गांव व भवन) में उपस्थित रहें। आप पंचायत मुख्यालय पर नाम निर्देशन–पत्र प्राप्ति की तारीख से एक दिन पहले अवश्य पहुंच जायें।

**(2) पंच, सरपंच चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार की पात्रतायें (धारा 19)–**

(i) **मतदाता के रूप में पात्रता**:– पंच व सरपंच पद के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति उसी पंचायत क्षेत्र (पंचायत सर्किल) के किसी वार्ड का मतदाता होना चाहिये जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, यह जरूरी नहीं है कि किसी वार्ड से पंच पद के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति उसी वार्ड का मतदाता हो। उदाहरण के लिये ग्राम पंचायत भगवानपुर के वार्ड नं. 5 की मतदाता सूची का मतदाता उसी पंचायत क्षेत्र के वार्ड नं.–8 से भी पंच पद का चुनाव लड़ सकता है व सरपंच पद का चुनाव भी लड़ सकता है।

किन्तु अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए जो वार्ड या सरपंच पद आरक्षित है उसमें उसी वर्ग का मतदाता चुनाव लड़ सकता है जिसके लिए वह वार्ड या सरपंच पद आरक्षित किया गया है। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 30.10.14 से अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में यह स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के चुनाव में विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के प्रमाण पत्र धारक मतदाता को भी पात्र माना जाये। इसके साथ ही जो वार्ड महिलाओं के लिये आरक्षित किया गया है उसमें कोई पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो वार्ड या सरपंच का पद आरक्षित नहीं किया हुआ है उसके लिये कोई भी जाति/वर्ग या महिला/पुरुष चुनाव लड़ सकता है।

(ii) **शैक्षणिक योग्यता**:– 1994 से पूर्व पंचायत चुनावों के समय सरपंच पद के लिए उम्मीदवार का साक्षर होना आवश्यक था लेकिन वर्ष 1994 में बने पंचायती राज अधिनियम के

प्रावधानों के अनुसार न तो सरपंच पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है और न ही वार्ड पंच के लिये शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता हैं।

(iii) <u>उम्र</u>: जो मतदाता नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के दिन 21 साल की उम्र का हो गया है वह पंच, सरपंच चुनाव लड़ सकता है। मतदाता सूची में उम्र केवल अनुमानित होती है। अतः इस सूची में अंकित उम्र नाम निर्देशन हेतु प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। नाम निर्देशन भरने की तारीख को जो असली उम्र होगी उसे माना जायेगा। यदि मतदाता सूची में 1–1–2009 को अनुमानित आयु 21 साल लिखी है पर उसके स्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार उम्र नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख, को 20 वर्ष 10 महिने होती है तो वह पंच व सरपंच पद के लिये योग्य नहीं माना जायेगा। यदि ऐसा तथ्य स्पष्ट हो जाये तो उसका नाम निर्देशन पत्र खारिज कर दिया जायेगा। मतदान के समय मतदाता सूची में अंकित उम्र को मताधिकार के लिये कोई चैलेंज नहीं कर सकता लेकिन उम्र का प्रभाव पात्रता पर पड़ता है तो चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार की इस उम्र को नाम निर्देशन पत्र की जांच के समय आक्षेपित किया जा सकता है, क्योंकि नाम निर्देशन पत्र में वास्तविक या असली उम्र लिखी जाती है, अनुमानित नहीं।

(iv) धारा 20 के अंतर्गत एक से अधिक पंचायती राज संस्थाओं में एक साथ सदस्यता रखने पर तो रोक है, लेकिन चुनाव लडने पर नहीं है।

(v) धारा 19 ख के अन्तर्गत किसी एक ही पंचायती राज संस्था के चुनाव में एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक है, अर्थात् कोई व्यक्ति–

(1) पंच निर्वाचन में एक से अधिक वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता,

(2) यदि सरपंच चुनाव लड़ रहा है तो पंच के लिये चुनाव नहीं लड़ सकता,

(3) पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन में एक से अधिक पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों से और जिला परिषद सदस्य निर्वाचन की स्थिति में एक से अधिक जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता।

यदि कोई व्यक्ति किसी एक पंचायती राज संस्था में एक से अधिक सीटों के लिए नामांकन दाखिल करता है लेकिन वह अभ्यर्थिता वापिसी के निर्धारित समय के भीतर उस संस्था में एक सीट को छोड़कर शेष अन्य सीटों से अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो सभी सीटों से उसकी अभ्यर्थिता वापिस होना मान लिया जायेगा। इस प्रकार अधिक सीटों पर नामांकन दाखिल करने पर उसका नामांकन संवीक्षा के समय तो निरस्त नहीं होगा, लेकिन नाम वापिसी के निर्धारित समय बाद किसी भी सीट से उसे निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी नहीं माना जायेगा।

(3) <u>पंच, सरपंच चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिये अपात्रतायें (धारा 19)</u> :–

निम्नलिखित अयोग्यताएँ धारण करने वाले व्यक्ति पंच व सरपंच चुनाव लड़ने के अयोग्य समझे जायेंगेः–

(a) राजस्थान विधानसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिये जो व्यक्ति अयोग्य है वह पंच व सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ सकता, लेकिन जहां विधानसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिये कम से कम उम्र 25 वर्ष होना जरूरी है, वहां पंच सरपंच के लिये उम्र 21 वर्ष होना ही पर्याप्त है [धारा 19 का खण्ड (क)]। राजस्थान विधानसभा सदस्य का निर्वाचन लड़ने के लिये पात्रताएं संविधान के अनुच्छेद 191, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, धारा 8–क, धारा 9, धारा 9–क, धारा–10 एवं धारा–10 क के प्रावधानों में बताई गई है (देखे परिशिष्ट 17) जिसके अनुसार संक्षिप्त में–

(i) भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला, किसी सक्षम न्यायालय से घोषित विकृतचित्त व्यक्ति, उन्मोचित, दिवालिया एवं ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, या जिसने विदेशी नागरिकता स्वैच्छिक रूप से स्वीकार कर ली हो या वह विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या आशक्ति को स्वीकार किया हुआ है, यदि विद्यमान किसी कानून के अधीन किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया हुआ है, तो वह संबंधित व्यक्ति अपात्र होगा (अनुच्छेद 191)। राजस्थान विधानसभा सदस्य (निरर्हता– निराकरण) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के मंत्री, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, संसदीय सचिव या अवर संसदीय सचिव, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता आदि के पद अनुच्छेद 191 के प्रावधानों में बताये गये लाभ के पद में शामिल नहीं हैं।

(ii) लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) में वर्णित अपराधों के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति, यदि उसे केवल जुर्माने से दण्डित किया गया है तो वह व्यक्ति ऐसी दोषसिद्धि तारीख से 6 वर्ष की अवधि के लिये अपात्र होगा और यदि उसे कारावास की सजा सुनाई गयी है तो वह दोषसिद्ध घोषित होने की तिथि से कारावास से मुक्त होने के बाद की 6 वर्ष अवधि तक अपात्र होगा। 1951 के उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में बताये गये अपराधों में यदि 6 माह या अधिक की सजा होती है या उपधारा (1) व (2) में वर्णित अपराधों से भिन्न किसी

अपराध में दो वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गयी हो तो दोषसिद्ध होने की तिथि से अपात्र होगा तथा कारावास से मुक्ति के बाद 6 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति चुनाव लडने के लिये अयोग्य माना गया है। उक्त धारा 8 की उपधारा (1), (2) या (3)के किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि की तारीख से ही अयोग्यता मान ली जायेगी, भले ही दोषसिद्धि के आदेश के विरूद्ध अपील या पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो अथवा दोषसिद्ध व्यक्ति जमानत पर छूटा हुआ हो तब भी उसकी कालावधि पूरी होने तक आपात्रता दूर नहीं मानी जायेगी (दोषसिद्धि के आधार पर निर्हरता के विवरण के लिये परिशिष्ट–18 भी देखे)।

(iii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 क, 9 एवं 10 क के अन्तर्गत अयोग्य घोषित किये गये व्यक्तियों की सूची जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होती है, की सुसंगत प्रविष्टियों की प्रति आपके संबंधित क्षेत्र के व्यक्तियों के संबंध में यदि कोई हो, तो सामग्री के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त हो जायेगी।

यदि उपरोक्त प्रावधानों के संबंध में आपको कोई शंका हो तो आप प्रशिक्षण के समय उसे दूर कर लें।

(b) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19के खण्ड (कक) तथा परंतुक (iक) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी चुनाव याचिका में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो वह संबंधित न्यायालय द्वारा ऐसे आदेश पारित किये जाने के छः वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अपात्र माना जायेगा।

(c) उक्त अधिनियम की धारा 19 के संशोधित खण्ड (ख) के अनुसार किसी स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय या किसी निगम, संस्था, उपक्रम या सहकारी समिति जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है अथवा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्त पोषित है, के अधीन कोई व्यक्ति वैतनिक पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति धारित करता है तो वह चुनाव लड़ने के लिये अपात्र होगा।

(d) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध होने के बाद वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य समझा जायेगा [धारा 19(ट)]। नैतिक अधमता वाले किसी दुराचार के कारण राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त (dismiss) किया हुआ व्यक्ति और लोक सेवा में नियोजन के लिये अयोग्य घोषित किया व्यक्ति भी पंच व सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकेगा [धारा 19(ग)]। इसी प्रकार किसी अपराध के

लिये किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति जिसे 6 माह या अधिक की सजा से दण्डित किया गया है और ऐसी सजा बाद में उलट न दी गयी हो अथवा उसमें छूट नहीं दी गयी हो अथवा अपराधी को माफ नहीं कर दिया गया हो तो वह व्यक्ति भी पंच व सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकेगा [धारा 19 (छ)]।

लेकिन पंचायती राज अधिनियम, 1994 की उक्त धारा 19(ट), 19(ग) तथा 19(छ) के उक्त प्रावधानों में बताये गये अपराधों में सजायाफ्ता व्यक्ति या डिसमिस किया हुआ व्यक्ति उसके दोष सिद्धि या, यथास्थिति, डिसमिस करने के आदेश की तारीख से 6 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिये पात्र हो जायेगा।

**नोटः**— राज्य सरकार द्वारा उक्त धारा 19 के खण्ड (ग) (छ) एवं (ट) की अयोग्यता को हटा देने के बावजूद भी यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, की धारा 8, 8 क, 9, 9क, 10 या 10 क के अंतर्गत कोई अपात्रता है तो अपात्रता ही मानी जायेगी।

(e) यदि कोई व्यक्ति नाम निर्देशन पत्रों की जांच के दिन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी (लोकल अथोरिटी) के अधीन पूरे समय का वैतनिक कर्मचारी हो, या पार्ट—टाईम वैतनिक कर्मचारी हो तो वह भी पंच/सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता।

**नोटः**— यदि उक्त प्रकार के कर्मचारी चुनावों में नाम निर्देशन पत्रों को भरें तो जांच के समय आप उनसे सक्षम अधिकारी द्वारा प्रसारित उनके त्यागपत्र की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति मांगे (ये आदेश नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तारीख से पहले वाले दिन का होना चाहिये, उसी दिन का नहीं) यदि प्रस्तुत नहीं करें तो आप उनका नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत कर दें और उक्त विवरण लिख दें।

(f) यदि उम्मीदवार किसी भी पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करता है तो वह भी पंच या सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता [धारा 19 (घ)]।

(g) यदि कोई व्यक्ति संबंधित पंचायती राज संस्था से, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी ठेके में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपने द्वारा या अपने भागीदार या नियोजक या अपने कर्मचारी के द्वारा कोई भी अंश या हित किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अंश या हित का स्वामित्व रखते हुए, रखता है तो वह पंच व सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता [धारा 19(ङ)] (धारा 19 का परंतुक (i) भी देखिये)

(h) धारा 19 के खण्ड (छछ) में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे किसी अपराध जो पांच वर्ष या अधिक की सजा से दण्डनीय है, के लिये किसी व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय द्वारा आरोप निर्धारित कर दिये गये हो और उसके विरूद्ध न्यायालय ने संज्ञान ले लिया हो तो ऐसा व्यक्ति निर्वाचन के लिये अपात्र माना जायेगा।

अभ्यर्थियों से उनकी दोषसिद्धि के संबंध में और उसके विरूद्ध विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों जिनमें आरोप निर्धारित हो, की सूचना प्रस्तुत करने हेतु घोषणा प्रत्येक अभ्यर्थी को प्ररूप 4 घ में प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि इस प्ररूप 4–घ में की गयी घोषणा से आपको यह जानकारी मिलती है कि अभ्यर्थी के विरूद्ध ऐसे किसी अपराध जो 5 वर्ष या अधिक की सजा से दण्डनीय है, के लिये न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है जिसमें न्यायालय ने आरोप निर्धारित (विरचित) कर दिये है और उसके विरूद्ध संज्ञान ले लिया है तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिये अपात्र माना जायेगा।

(i) शारीरिक अयोग्यताः– यदि कोई व्यक्ति कोढ़ी, अन्य शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से पीड़ित है, जो उसे कार्य करने के अयोग्य बनाते हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता [धारा 19 (च)]।

(j) यदि राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अधीन चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया हो तो वह पंच व सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता [धारा 19 (ज)]।

**नोटः**– यह सूची आपको जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जायेगी।

(k) यदि कोई व्यक्ति संबंधित पंचायत की ओर से या उसके विरुद्ध वकील के रूप में नियुक्त है तो चुनाव नहीं लड़ सकता [धारा 19(ञ)]।

**नोटः**– यदि किसी व्यक्ति ने पंचायत के पक्ष या विपक्ष में भूतकाल में मुकदमा लड़ा हो या पक्ष में लड़ने के लिये पहिले कभी पारिश्रमिक लिया हो तो वह अब अयोग्य नहीं माना जायेगा। भूतकाल में लिये गये पारिश्रमिक के लिये कोई व्यक्ति अयोग्य करार नहीं किया जा सकेगा।

(l) यदि किसी व्यक्ति ने संबंधित पंचायती राज संस्था (पंचायत) द्वारा अधिरोपित किसी भी कर, या फीस की धनराशि को उसके लिये मांग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो

महीने तक नहीं चुकाया है, तो वह व्यक्ति पंच/सरपंच चुनाव लड़ने का अपात्र हो जायेगा [धारा 19 (झ)]।

**नोटः–** (1) यदि किसी पूर्व पंच, पूर्व सरपंच ने अपने टेलीफोन या चाय पीने के पैसे पंचायत के बार–बार कहने पर भी नहीं दिये हो तो अपात्रता नहीं मानी जायेगी क्योंकि उपरोक्त धनराशि, टैक्स या फीस नहीं मानी जाती।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने कर या फीस, नाम निर्देशन पत्र भरने की तारीख से पहले–पहले जमा कराकर रसीद प्राप्त कर ली है, तो वह चुनाव लड़ने के योग्य होगा।

(m) **दो से अधिक संतान होनाः–** राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 (ठ) के प्रावधानों के अनुसार दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन दो से अधिक संतानों वाले किसी व्यक्ति को तब तक अयोग्य नहीं माना जायेगा जब तक कि दिनांक 23.4.94 को विद्यमान उसकी संतानों की संख्या (दि. 23.4.94 से दि. 27.11.95 तक की अवधि में पैदा हुयी केवल एक संतान को छोडकर) मे और वृद्धि नही हो जाती। इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख दिनांक 23.4.94 है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 23–4–94 को या उसके बाद जहां किसी दम्पत्ति के किसी पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसवों से केवल एक बच्चा हो वहां किसी एक ही पश्चात्वर्ती प्रसव से पैदा हुये बच्चों की किसी संख्या को एक समझा जायेगा।

किसी पंचायती राज संस्था के सरपंच/उपसरपंच/प्रधान/उप प्रधान/प्रमुख/उप प्रमुख के पद पर रहे हुये किसी व्यक्ति को पंचायती राज संस्था की बकाया राशि जमा कराने का नोटिस दिया गया हो, और उसने नोटिस की तिथि से दो माह के भीतर उक्त बकाया राशि जमा नहीं करायी हो, उसे नोटिस विधिवत तामिल भी हो गया हो तथा पंचायतीराज संस्था के निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो महीने पूर्व ऐसे व्यतिक्रमियों (defaulters) की सूची में राज्य सरकार ने उसका नाम शामिल कर सूची कलक्टर को भेजी हो तो वह व्यक्ति अपात्र होगा। लेकिन यदि ऐसा संरपंच/उपसरपंच/प्रधान/उपप्रधान/प्रमुख/उपप्रमुख नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व बकाया राशि जमा करा देता है तो वह अपात्र नहीं होगा। [धारा 19(ड़) एवं परंतुक (v)]

(n) अ.ज.जा. या अ.जा. या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीट से भिन्न वर्ग का व्यक्ति, चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होगा। [धारा 19(ढ)]

(o) महिला वर्ग के लिए आरक्षित सीट से अन्य व्यक्ति जो महिला नहीं है, चनुाव लड़ने के लिए अपात्र है।[धारा 19(ण)]

(p) अ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.व. से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में उस वर्ग से भिन्न वर्ग की महिला चुनाव नहीं लड़ सकती [धारा 19(त)]।

**राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 दिनांक 8.12.14 के द्वारा धारा 19 में संशोधन कर विद्यमान खण्ड p के बाद नवीन खण्ड q अन्तःस्थापित किया गया है जो इस प्रकार है –**

**"(q) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नही जाता हो।''**

**स्पष्टीकरण II - 1. "स्वच्छ शौचालय" से तात्पर्य तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जलबंद (Water sealed) शौचालय प्रणाली से हैं।**

**2. ''परिवार के सदस्य'' में व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और उसके साथ निवास कर रहे उसके माता–पिता अभिप्रेत है।**

**उक्तानुसार जिस व्यक्ति के घर में कार्यशील शौचालय नहीं हो तो तथा जिसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए जाता हो, वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होगा। इसके लिए घोषणा/अण्डरटेकिंग का प्रारूप आयोग द्वारा तैयार किया गया है। जिसे अभ्यर्थी से प्राप्त किया जाना है तथा जिसके लिए आपको आवश्यक होने पर अभ्यर्थी को मीमों भी दिया जाना है।**

**नोटः–** धारा 19 एवं 19–क पंचायती राज अधिनियम में बताई गई योग्यताएं/अयोग्यताएं पंच चुनाव के लिये बताई गई हैं, साथ ही उपरोक्त योग्यताएँ एवं अयोग्यताऐं धारा 26 (1) के अनुसार सरपंच पद के निर्वाचन के लिये भी मानी गई हैं।

(4) **नाम निर्देशन पत्र (प्ररूप 4) के साथ और उसके भाग के रुप में दोषसिद्धि, लंबित गंभीर आपराधिक प्रकरणों, संतानों एवं सम्पत्ति के ब्योरे की धोषणा प्ररुप 4–घ में प्राप्त करना** – नियम 25 के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना नाम निर्देशन पत्र (प्ररूप–4) प्ररूप–4घ के साथ विधिवत पूर्ति करते हुए और हस्ताक्षरित करते हुए या अंगूठा निशानी लगाते हुए रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिशः प्रस्तुत करना आवश्यक है। सन् 2010 से पूर्व अभ्यर्थी से अपनी संतानों के संबंध में,

दोषसिद्धि के संबंध में एवं विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों के संबध में पृथक से दो घोषणा पत्र प्राप्त किये जाते थे जिसके लिए आवश्यक होने पर अभ्यर्थी को मीमों भी दिये जाते थे लेकिन अब इनकी आवश्यकता नहीं है और इनके स्थान पर अब दिनांक 21.11.09 की अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर यह आवश्यक कर दिया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन के साथ ही प्ररूप 4घ में घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इस प्ररूप 4घ में निम्नांकित चार बिन्दुओं पर अभ्यर्थी द्वारा घोषणा की जायेगी–

(i.) **लंबित गंभीर आपराधिक प्रकरण**– ऐसे अपराधों के लिए लंबित आपराधिक प्रकरण जिनमें पांच वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान है और जिसमें न्यायालय ने अभ्यर्थी के विरूद्ध आरोप विरचित कर दिये हों,

(ii.) आपराधिक मामलों में अभ्यर्थी की **दोषसिद्धि** का विवरण,

(iii.) अभ्यर्थी की **संतानों** के संबंध में सूचना,

(iv.) अभ्यर्थी व उसके पति/पत्नि व आश्रितों की **सम्पत्ति** का ब्यौरा।

उपरोक्त चार बिन्दुओं के प्रथम तीन बिन्दू अभ्यर्थी की पात्रता परीक्षण के लिए भी आवश्यक है और उपरोक्त प्रथम तीन बिन्दुओं यानि बिन्दु सं. (i), (ii) एवं (iii) के संबंध में यदि आपको कोई अन्यथा तथ्य ज्ञात होते हैं या कोई आपत्ति पेश होती है तो आप उनकी संक्षिप्त जांच नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय कर सकते है ताकि अभ्यर्थी की पात्रता का परीक्षण हो सके लेकिन उपरोक्त में बिन्दू सं. (iv) यानि सम्पत्ति के ब्यौरे के संबंध में अभ्यर्थी के द्वारा जो भी कोई सूचना दी जाये उसके संबंध में जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सूचना पात्रता परीक्षण के लिए नहीं है केवल आम जनता की जानकारी के लिए है।

जैसा की उपर बताया गया है कि प्ररूप 4–घ में अभ्यर्थी की घोषणा नाम निर्देशन पत्र (प्ररूप 4) के साथ ही प्राप्त करना कानूनन आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी प्ररूप 4–घ के बिना प्ररूप 4 यानि नाम निर्देशन पत्र ही प्रस्तुत करता है तो यह अधूरा माना जायेगा। यह आप अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय स्पष्ट बता दें कि वह प्ररूप 4–घ में घोषणा पूर्ण भर कर एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर/अंगूठा निशानी लगाकर नाम निर्देशन पत्र के साथ में प्रस्तुत करें अन्यथा नाम निर्देशन पत्र खारिज कर दिया जायेगा। यह भी ध्यान रखा जाये कि जो कोई चुनाव लडने के इच्छुक व्यक्ति आप से नाम निर्देशन पत्र का फार्म प्राप्त करे तो आप साथ में प्ररूप 4–घ भी उसको आवश्यक रूप से दे **साथ ही घर में कार्यशील शौचालय एवं परिवार के सदस्यों द्वारा खुले में शौच के लिए नही जाने के संबंध में घोषणा/अण्डरटेकिंग का प्ररूप भी दें** और साथ ही उपाबंध I जिसका विवरण आगे दिया गया हैं।

(5) **नाम निर्देशन पत्र के साथ और उसके भाग के रूप में उपाबन्ध I में संपत्ति के ब्यौरे, शैक्षणिक योग्यता, देयताओं आदि की सूचना प्राप्त करनाः–** राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 7.2.2004 से यह आवश्यक किया है कि पंच/सरपंच का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को उपाबन्ध I (परिशिष्ट–16) में एक स्वघोषणा नाम निर्देशन पत्र के साथ ही प्रस्तुत करनी होगी जिसमें उसके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों, शैक्षणिक योग्यता, सम्पत्ति का ब्यौरा (आश्रितों सहित) तथा सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों की देयताओं का विवरण देना होगा। चूंकि उक्त उपाबन्ध I नाम निर्देशन पत्र का भाग माना गया है, अतः कोई अभ्यर्थी यदि उक्त उपाबन्ध I, नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं करता है तो इसे नाम निर्देशन पत्र की विहित प्रक्रिया का उल्लंघन मानते हुये नामांकन अस्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आयोग ने अपने पत्रांक 975 दिनांक 20.3.14 द्वारा आयोग की अधिसूचना दिनांक 7.2.04 के बिन्दु संख्या 13 में उपबिन्दु III (a) जोड़कर यह प्रावधान किया है कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा स्वघोषणा में किसी कॉलम को रिक्त छोडने पर रिटर्निंग अधिकारी के स्मरण कराये जाने के बाद भी कमी की पूर्ति नही की जाती है तो संवीक्षा के समय अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार योग्य होगा। रिटर्निंग अधिकारी को यह नहीं देखना है कि उपाबन्ध I में वर्णित सूचना सही है या गलत, क्योंकि इन सूचनाओं के आधार पर अपात्रता का निर्धारण नहीं होना है। उक्त उपाबन्ध I सर्वसाधारण की सूचनार्थ है। अतः इसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी लगायी जायेगी।

(6) **सरपंच पद के लिये नाम निर्देशन पत्रों के साथ प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करानाः–** (i) वार्ड पंचों के चुनाव के लिये प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सरपंच पद के नाम निर्देशन पत्रों के साथ प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने का प्रावधान रखा गया है जो नियम 56 के उप नियम (3) में बताया गया है। सरपंच का नाम निर्देशन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 500/– रुपये प्रतिभूति निक्षेप राशि उसके साथ नहीं हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला अभ्यर्थियों की दशा में 250/– रु. की प्रतिभूति निक्षेप राशि नाम निर्देशन पत्र के साथ होना आवश्यक है।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 250/– रु. प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराने की स्थिति में आवश्यक है कि वे जिला कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा सक्षम किये गये अधिकारी के द्वारा जारी किये गये जाति/वर्ग प्रमाण–पत्र को भी नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करें। जो सरपंच पद किसी जाति/वर्ग या महिला के लिये आरक्षित नहीं है वहां पर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र भरता है और प्रतिभूति निक्षेप के रूप में 250/– रु. जमा कराता है तो उसे संबंधित जाति/वर्ग का प्रमाण–पत्र उपरोक्तानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(iii) यदि एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र कोई व्यक्ति दाखिल करता है तो उसे एक से अधिक प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

**(7) अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करनाः–** जो सरपंच पद/वार्ड यदि अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हो तो वहां केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है जो अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित है वहां केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड सकता है, जो केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये ही आरक्षित है वहां केवल अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव लड सकता है। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 30.10.14 से अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में यह स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के चुनाव में विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति को भी पात्र माना जाये। जो सरपंच पद/वार्ड केवल महिलाओं के लिये आरक्षित हैं वहां केवल महिलायें ही चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसी दशा में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जिला कलेक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किये गये किसी अधिकारी के द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र को नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा[नियम 25(1)]।

**(8) नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरणः–** पंच व सरपंच चुनाव के लिये प्ररूप 4घ के साथ प्ररूप 4 में नाम निर्देशन पत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा ही रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित तिथि को निर्धारित समयावधि मे और निर्धारित स्थान पर ही प्रस्तुत किया जायेगा और प्ररूप 4घ के साथ नाम निर्देशन पत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा ही हस्ताक्षरित होंगे, या उसकी अंगूठा निशानी होगी। **इसी के साथ कार्यशील शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग भी साथ में प्राप्त की जायेगी और यदि उक्तानुसार उम्मीदवार द्वारा घोषणा/अण्डरटेकिंग प्रस्तुत नही की जाती हैं तो इस आशय का मीमो उसे दिया जाये कि संवीक्षा से पूर्व उक्तानुसार घोषणा/अण्डरटेकिंग स्वयं के हस्ताक्षररित प्रस्तुत करें। उक्त घोषणा/अण्डरटेकिंग के अभाव में संवीक्षा में नाम निर्देशन पत्र खारिज किया जा सकेगा।** पंच–सरपंच चुनाव में प्रस्तावक का प्रावधान नहीं है।

**(9) नाम निर्देशन पत्रों के प्रस्तुतिकरण के बाद की प्रक्रियाः–** पंच/सरपंच चुनाव के लिये नाम निर्देशन पत्रों के प्रस्तुतकर्ता अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्रों की जांच का समय, तारीख और स्थान बता दिया जावे और रिटर्निंग अधिकारी प्रस्तुत हुये नाम निर्देशन पत्र पर अपनी हस्तलिपि से वार्ड का क्रम संख्यांक जहां के लिये नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत हुआ है और संबंधित वार्ड/सरपंच चुनाव का नाम निर्देशन पत्र का क्रम संख्यांक अंकित करेगा और यदि कोई व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी के साथ उसकी पहचान करने के लिये उपस्थित हो तो उसका

उल्लेख भी नाम निर्देशन पत्र में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले भाग के तृतीय पैरा में कर दिया जावे। साथ ही जिस समय को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है वह भी अंकित किया जावे। नाम निर्देशन पत्र की रसीद भी प्रस्तुतकर्ता/अभ्यर्थी को दे दी जावे।

**(10) नाम निर्देशन पत्रों की जांचः–** निम्न कारणों से किसी उम्मीदवार का नाम निर्देशन पत्र नियम 27 के अनुसार खारिज किया जायेगाः–

(i) उम्मीदवार निर्वाचन के लिये पात्र नहीं है अथवा धारा–19 में उल्लिखित किसी अयोग्यता को धारण करता है।

(ii) उम्मीदवार वह व्यक्ति नहीं है जिसका नाम व मतदाता सूची की क्रम संख्या नाम निर्देशन पत्र में लिखी है।

(iii) उम्मीदवार ने अपना नाम निर्देशन पत्र व्यक्तिगत आकर आपको नहीं दिया है।

(iv) नाम निर्देशन पत्र नियमों में दिये गये फार्म के अनुसार नहीं है।

(v) नाम निर्देशन पत्र के साथ प्ररूप 4घ प्रस्तुत नहीं किया है।

(vi) नाम निर्देशन पत्र के साथ उपाबन्ध–I प्रस्तुत नहीं किया है अथवा उपाबंध के किन्ही कॉलम को रिक्त छोड़ दिया गया है व स्मरण कराने पर भी उनकी पूर्ति नही की गई है। **नाम निर्देशन पत्र के साथ कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग प्रस्तुत नही की है तथा स्मरण कराने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।**

(vii) उम्मीदवार उस पंचायत का मतदाता नहीं है।

(viii) नियम 25 में बताये गये प्रावधानों की पालना नहीं की हो।

(ix) नाम निर्देशन पत्र या प्ररूप 4–घ या उपाबन्ध– I या **कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग** पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर नहीं हैं या उसके अंगूठे का निशान नहीं है।

(x) सरपंच निर्वाचन में अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा नहीं करायी हो।

**नोटः–** **(क)** आपका यह कर्त्तव्य होगा कि आप उम्मीदवार से यह इत्मिनान कर लें कि हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी उसी व्यक्ति का है जिसने नोमिनेशन भरा है। अंगूठा निशानी हो तो आप फार्म लेते समय स्वयं को संतुष्ट कर लें जिससे जांच पर इस आधार पर खारिज नहीं हो। इसी प्रकार उसके नाम के बारे में उसकी मतदाता क्रम संख्या में गलती हो तो उम्मीदवार

से उस समय ठीक करवा लें क्योंकि उम्मीदवार का नाम आपके पास उपलब्ध मतदाता सूची में है;

(ख) यह पूछ कर इत्मिनान कर लें कि जिस वार्ड से वह लड़ना चाहता है वहीं वार्ड संख्या नाम निर्देशन पत्र में लिखी हुई है। यदि त्राुटि हो तो उसी समय ठीक करवा लें;

(ग) यह भी पूछ लें कि पंच पद के लिये चुनाव लड़ रहा है या सरपंच के लिये;

(घ) पंच पद के नोमिनेशन के साथ कोई फीस या सिक्योरिटी नहीं लेनी है;

(ङ) उम्मीदवार चूंकि आप ही की पंचायत का मतदाता है अतः किसी प्रविष्टि की प्रमाणीकृत नकल की आवश्यकता नहीं है;

(च) आपके सामने यह ऐतराज उठाया जा सकता है कि अमुक उम्मीदवार का नाम दूसरी पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में भी है तथा वहां की प्रमाणीकृत सूची भी आक्षेप के समय प्रस्तुत की जाए ऐसी अवस्था में नाम निर्देशन पत्र केवल इस आधार पर कि उस उम्मीदवार का नाम दो जगह है खारिज नहीं किया जा सकता है। आपको केवल यह इत्मिनान करना है कि नाम निर्देशन पत्र में अंकित प्रविष्टि वाला व्यक्ति ही उम्मीदवार है चाहे उनका नाम अन्य जगह भी लिखा हुआ है।

(छ) नाम निर्देशन पत्र के आइटम 3 में जो सही विवरण रखने हैं, उन्हें ही रखा जावे। शेष विवरण उम्मीदवार द्वारा कटवा दिये जावे। इसी प्रकार नाम निर्देशन पत्र में उम्मीदवार द्वारा की जाने वाली घोषणा के तीसरे पैरे को भी लागू न होने की स्थिति में उम्मीदवार द्वारा कटवा दिये जावें।

नियम 25(1) के परन्तुक के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षित वार्ड या पंचायत (सरपंच पद) के लिये यदि कोई उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता/करती है तो उसे कलेक्टर अथवा उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी से जारी प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज किया जायेगा।

(ज) अ.जाति/अ.ज. जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति सामान्य वार्ड/पंचायत का चुनाव लडने से अयोग्य नहीं माना जायेगा [नियम 16(1)]

(झ) महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड में यदि कोई पुरूष नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करें तो उसे खारिज कर दिया जायेगा।

(ञ) यदि एक ही उम्मीदवार ने दो या अधिक नाम निर्देशन पत्र भरें हों और उनमें से एक या दो खारिज हो जावें व तीसरा स्वीकृत हो जावे तो वह व्यक्ति उम्मीदवार बना रहेगा।

(ट) कोई व्यक्ति किसी वार्ड या सरपंच के पद के लिये एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है, और संवीक्षा में एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किये गये हैं तो भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में नाम एक बार ही लिखा जायेगा, एक से अधिक बार नहीं।

**(11) नाम वापसी (नियम 28):—** 1. अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी का नोटिस स्वयं व्यक्तिगत आकर आपको दो प्रतियों में प्रस्तुत करना है, जो उम्मीदवार स्वयं हस्ताक्षरित करेगा। दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया नोटिस अमान्य होगा।

2. उक्त नोटिस यथास्थान व निर्धारित समय में ही प्रस्तुत किया जाना है समय के बाद यानि 3 बजे बाद दिया गया नोटिस अमान्य होगा।

3. एक बार नोटिस दे दिये जाने के बाद उम्मीदवार उसे वापस नहीं ले सकेगा।

4. याद रहे इस नोटिस से उम्मीदवार चुनाव से हटता है। उम्मीदवार दो नाम निर्देशन पत्रों में से एक नाम निर्देशन पत्र वापिस लेने हेतु यह नोटिस नहीं दे सकता। अर्थात् यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये हैं तो भी समस्त नाम निर्देशन पत्रों, नाम वापसी के एक ही नोटिस से वापस लिये हुए समझे जायेंगे।

5. रिटर्निंग अधिकारी इन दोनों नोटिसों की प्रतियों में ही एक प्रति पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगायेगा और यदि पंचायत कार्यालय नहीं है तो रिटर्निंग अधिकारी पंचायत मुख्यालय पर किसी प्रमुख स्थान पर यह नोटिस लगायेगा।

6. नाम वापसी हेतु नियमों में कोई प्ररूप (फार्म) निर्धारित नहीं है। आप निम्नलिखित मॉडल फार्म की 2, 3 या अधिक प्रतियॉ बाहर उपलब्ध करा दें जिससे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई नहीं हो, व एकरूपता रहे। इन फार्मों की मुद्रित प्रतियां आपको सामग्री में दी जायेंगी। यदि कमी पडे तो कार्बन से प्रतियां तैयार करलें। इन मॉडल फार्मो के नमूनों की नकल करवाकर भी उम्मीदवार आपको नाम वापसी का नोटिस दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है।

## मॉडल फार्म का नमूना (पंच पद)
## नाम वापिसी की सूचना

सेवा में,

रिटर्निंग ऑफिसर
पंचायत सर्किल ............................

मैं अपना नाम पंच पद के लिए वार्ड ........ से वापस लेता हूं।

दिनांक ............. हस्ताक्षर /अंगूठा का निशान

उक्त उम्मीदवार श्री/श्रीमती .................... ने वार्ड ................. से नाम वापसी का नोटिस स्वयं आकर मुझे ................ बजे दिया।

दिनांक ................ रिटर्निंग ऑफिसर

## मॉडल फार्म का नमूना (सरपंच पद)
## नाम वापिसी की सूचना

सेवा में,

रिटर्निंग ऑफिसर
पंचायत सर्किल......................

मैं सरपंच पद के लिए अपना नाम वापस लेता हूं।

दिनांक ............. हस्ताक्षर उम्मीदवार

उक्त उम्मीदवार श्री/श्रीमती .................... ने ................... पंचायत के सरपंच पद से अपना नाम वापसी का नोटिस स्वयं आकर मुझे ................ बजे दिया।

दिनांक ................ रिटर्निंग ऑफिसर

**(12) एक से अधिक सीटों पर अभ्यर्थिताः—** एक सीट को छोड़कर नाम वापिस नही लेने पर सभी सीटों से अभ्यर्थिता वापिस मानी जायेगी। — धारा 19 ख के अनुसार किसी एक पंचायती राज संस्था के चुनाव में एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक है। पंचायत के चुनाव की स्थिति में कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता और यदि सरपंच का चुनाव लड रहा है तो पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि कोई अभ्यर्थी पंचायत से एक से अधिक सीटों के लिये नामांकन दाखिल करता है, तो उसका नामांकन संवीक्षा में तो खारिज नहीं किया जायेगा,

लेकिन अभ्यर्थिता वापिस लेने के निर्धारित समय तक वह एक सीट को छोड़कर शेष अन्य सीटों से अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो सभी सीटों से उसकी अभ्यर्थिता वापिस होना मान लिया जायेगा। इस प्रकार की स्थिति में वह चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में शामिल नहीं रहेगा।

**(13) नाम वापसी के बाद निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करनाः—** 1. नाम वापसी के लिए निर्धारित समय के खत्म होने के तुरन्त बाद आप फार्म V में, जिसमें चुनाव चिन्ह् पहले से छपे हुए है यदि इसमें और चिन्ह् लगाने आवश्यक हों तो पूर्व बताये अनुसार लगाकर समस्त चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची हिन्दी वर्णमाला के अनुसार बनायेंगे। पंच चुनाव व सरपंच चुनाव के लिए पृथक्—पृथक् फार्म में सूची बनावे। हिन्दी वर्णमाला (Alphabetical) के अनुसार वार्डवार पंच के लिये उम्मीदवारों की सूची व पंचायतके सरपंच के उम्मीदवारों की पृथक्—पृथक् सूची निम्न प्रकार बनायेंगे :—

(i) सूची तैयार करने के लिए किसी उम्मीदवार का मुख्य नाम ही देखा जायेगा, न कि उपनाम। यद्यपि उक्त सूची में पूरा नाम मय उपनाम के लिखा जायेगा। जैसे ''जयनारायण व्यास''। इसमें मुख्य नाम ''जयनारायण'' है वह ''व्यास'' उपनाम है। ऊपर बताये सिद्धान्त के अनुसार यह नाम अक्षर ''ज'' के हिसाब से सूची में रखा जायेगा न कि ''व'' के हिसाब से। पर चुनाव लड़ने वाली सूची में उनका पूरा नाम ''जयनारायण व्यास'' ही लिखा जायेगा व मत—पत्र पर भी ऐसा ही लिखा जायेगा क्योंकि वे उपनाम से प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार शिवहरि महावर, आनन्द सक्सेना तथा माहिर खान के नाम क्रमशः ''शि'' ''आ'' व ''मा'' वर्ण के अनुसार लिखे जायेंगे।

(ii) नामों के पहले अक्षर जैसे श्री, श्रीमती, सुश्री, नहीं लिखे जायेंगे पर उपनाम जैसे सुखाड़िया, नेहरू, शेखावत, चतुर्वेदी, माथुर, पालीवाल इत्यादि लिखे जायेंगे क्योंकि उपनामों से ही अनेक व्यक्ति जल्दी व ठीक से जाने जाते हैं।

(iii) हिन्दी वर्णमाला में तीन तरह से ''स'' हैं। इनका सही क्रम ''श'' ''ष'' ''स'' है। अतः शंकरलाल, षट्दर्शन तथा सरवर चन्द भंडारी इस क्रम में लिखे जायेंगे। ''श्र'' भी ''श'' के बराबर है। यदि श्री नारायण कोई उम्मीदवार हुआ तो शंकरलाल के पहले ही आयेगा।

(iv) ऋषि*कुमार, त्रिलोक चन्द व डालचन्द में से पहला नाम ऋषिकुमार (ऋ* स्वर है) दूसरा डालचन्द आयेगा और तीसरा त्रिलोकचन्द आयेगा। हाजी मोहम्मद अवश्य लिखा जायेगा। पर ''म'' वर्ण के हिसाब से इस नाम को रखा जायेगा क्योंकि हाजी उपनाम है। ग्यानचन्द व ज्ञानचन्द में ग्यानचन्द पहले व ज्ञानचन्द बाद में आयेगा।

(v) परिशिष्ट–19 पर आपकी सुविधा के लिये मानक हिन्दी वर्णमाला दी हुई है।

(vi) यदि एक ही नाम से दो या अधिक अभ्यर्थी हैं तो उनके नाम के साथ उसके पिता/पति का नाम जोड़कर या अन्य रीति से जो रिटर्निंग अधिकारी ठीक समझे, सुभिन्न किये जायेंगे।

**(14) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशनः–**

1. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप–V) वार्ड पंच उम्मीदवारों की (वार्डवार) पृथक् व सरपंच उम्मीदवारों की पृथक् बनाई जायेगी। मुद्रित सूचियां जिनमें प्रतीक अंकित है आपको दी हुई है जिनमें अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार आयेंगे। उक्त सूचियों की प्रति निम्न प्रकार से प्रकाशित एवं वितरित की जायेगीः–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को | 1 |
| 2. | सरपंच की सूची प्रत्येक वार्ड में | 1 |
| 3. | पंच की सूची संबंधित वार्ड में | 1 |
| 4. | पंचायत कार्यालय पर | 1 |

2. यदि पूरी पंचायत में सभी वार्ड पंच व पंचायत में सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हो तो उक्त सूची उक्त उप–पैरा 1 के अनुसार प्रकाशित नहीं की जायेगी पर दो प्रतियां बनायी जाकर उनमें से एक पंचायत कार्यालय पर व दूसरी ऑफिस कापी लिफाफे में बन्द कर दी जायेगी। ऐसी हालत में आप चुनाव परिणाम नियम 29(2) में निर्विरोध घोषित कर फार्म VII भरेंगे व हस्ताक्षर करेंगे।

किसी वार्ड में या पंचायत में एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदान निर्धारित स्थान पर नियत तिथि को 8 बजे प्रातः से 5 बजे सायं तक होगा।

**(15) चुनाव चिन्ह् तथा मतपत्रों की तैयारीः–** 1. प्रत्येक वार्ड पंच मतपत्र में पांच चुनाव चिन्ह मुद्रित हैं तथा छठे नंबर पर नोटा (उपरोक्त में से कोई नही) का विकल्प और इसके लिए निर्धारित चिन्ह मुद्रित है। यदि उम्मीदवार पांच से कम हुए तो उतने ही चुनाव चिन्ह इस मतपत्र में से हटा दिये जायेंगे और अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (उपरोक्त में से कोई नही) का विकल्प व चिन्ह मतपत्र में चिपका दिये जायेंगे। चुनाव चिन्ह हटाते समय यह ध्यान रखा जाये कि मतपत्र के अन्तिम उम्मीदवार के खाने के नीचे काला शेडेड क्षेत्र नहीं रहे पर काली लाइन जरूर रहे। यहां मेटल रूल की सहायता अवश्य लें।

2. यदि किसी वार्ड में उम्मीदवारों की कुल संख्या 11 से अधिक हो तो आप ''अतिरिक्त स्लिप ऑफ सिम्बल'' प्रयोग में लेवें। इन्हें उपयोग में लेने का क्रम भाग 4 के पैरा 4 (iv) में बताया गया है।

3. ज्यादा चुनाव चिन्हों को मतपत्र से हटाने हेतु मेटल रूल प्रयोग में लें।

4. उक्त प्रक्रिया के अपनाने के बाद पंच चुनावों में 10 से अधिक अभ्यर्थियों के होने पर यदि अतिरिक्त छपे हुए चुनाव चिन्ह की आवश्यकता पड़े तो सरपंच चुनाव के लिए निर्धारित सफेद रंग की अतिरिक्त स्लिपों को काम में लेवें तथा सरपंच चुनाव में 19 से अधिक अभ्यर्थी होने पर यदि अतिरिक्त छपे हुए चुनाव चिन्ह की आवश्यकता हो तो आयोग द्वारा 10 चुनाव चिन्हों वाली सफेद रंग की अतिरिक्त स्लिप (द्वितीय) भी उपलब्ध कराई गई है, उसे प्रयोग में लें, जैसाकि भाग 4 के पैरा 4(vi) में बताया गया है **तथा सरपंच चुनाव में अभ्यर्थियो की संख्या 29 से अधिक होने पर पंच चुनाव के लिए उपलब्ध गुलाबी रंग की अतिरिक्त स्लिपों का उपयोग किया जावे।**

**(ii) पंच मतपत्र फार्मः**–

(1) पतंग (2) प्रेशर कूकर (3) कैंची (4) गैस सिलेण्डर (5) नारियल (6) NOTA (उपर्युक्त में से कोई नहीं)

**(iii) सरपंच मतपत्र** :–

(1) बल्ला (2) आलमारी (3) गुब्बारा (4) ब्रुश (5) मोम बत्तियाँ (6) कैमरा (7) कोट (8) गैस का चूल्हा (9) बल्लेबाज (10) NOTA (उपर्युक्त में से कोई नहीं)

**(iv) चुनाव प्रतीकों की अतिरिक्त स्लिपें**:– (i) ये दो रंगों में है। सफेद रंग में व गुलाबी रंग में। सफेद रंग में **सरपंच चुनाव के लिए** 10 चुनाव चिन्हों की एवं गुलाबी रंग में **पंच चुनाव के लिए** 6 चिन्हों की अतिरिक्त स्लिप है। इनमें चुनाव चिन्हों का क्रम निम्न रूप में हैः–

<u>सफेद कागज की अतिरिक्त (प्रथम) स्लिप–(10 चिन्ह):– (सरपंच चुनाव के लिये)</u>

(1) कांच का गिलास (2) कप और प्लेट (3) चारपाई (4) छत का पंखा (5) लेटर बाक्स (6) अंगूठी (7) शटल (8) वायलिन (9) छड़ी (10) बाल्टी ।

<u>सफेद कागज की अतिरिक्त (द्वितीय) स्लिप–(10 चिन्ह):– (सरपंच चुनाव के लिये)</u>

(1) बैटरी टॉर्च (2) डीजल पम्प (3) केतली (4) हारमोनियम (5) स्टूल (6) मेज (7) टेबल लैम्प (8) टेलीविजन (9) सीटी (10) बोतल।

**गुलाबी कागज की अतिरिक्त स्लिपः–(6 चिन्ह):– (पंच चुनाव के लिये)**

(1) सिलाई की मशीन (2) डोली (3) ब्रीफकेस (4) प्रेस (5) टेलीफोन (6) आटो रिक्शा

(5) नियम 29 (3)(i) के अनुसार आप राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मुक्त चुनाव चिन्ह् आवंटित कर सकतें हैं परन्तु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह् पंच/सरपंच चुनाव में उपयोग में नहीं ले सकते। ये आरक्षित चुनाव चिन्ह् निम्न प्रकार हैंः–

| राष्ट्रीय दल | आरक्षित प्रतीक |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. बहुजन समाज पार्टी | हाथी |
| 2. भारतीय जनता पार्टी | कमल |
| 3. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी | बाल और हंसिया |
| 4. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | हथौडा, हंसिया और सितारा |
| 5. इंडियन नेशनल कांग्रेस | हाथ |
| 6. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | घड़ी |

उक्त 6 चुनाव चिन्ह् पंच/सरपंच चुनाव में उपयोग में नहीं लिये जा सकते।

(6) चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद की कार्यवाही :–

(क) सभी मतपत्रों पर कार्बन की सहायता से उम्मीदवारों के नाम, पंचायत क्षेत्र का नाम लिखा जायेगा। बाल पेन आपके पास है।

(ख) पंच मतपत्र पर सम्बन्धित वार्ड का नम्बर डिजिट सील द्वारा अंकित किया जायेगा। आपको क्र. सं. 1 से जितने वार्ड हैं, उतनी संख्या तक की डिजिट सीलें दे दी गयी हैं। यदि रबड़ उखड़ जाय तो हाथ से वार्ड नम्बर लिखना होगा।

(ग) इतना कार्य होने पर प्रत्येक मतपत्र की पीठ (back side) पर दायें भाग में सबसे ऊपर रबड़ स्टाम्प से सुभिन्नकारी चिन्ह ''पं.रा.स.'' लगा दिया जाय।

(घ) तत्पश्चात सम्बन्धित मतदान अधिकारी अपने–अपने बूथ के लिये निर्धारित मतपत्रों की पीठ पर पूरे हस्ताक्षर कर देंगे। ये हस्ताक्षर 50 मतपत्रों पर उसी दिन कर दिये जायें ताकि मतदान के दौरान समय की बचत हो और बाकी मतपत्रों पर मतदान के दिन आवश्यकतानुसार हस्ताक्षर करें जिससे कम से कम हस्ताक्षर वाले मतपत्र शेष बचें।

**(16) मतगणना (नियम 49 व 50)** :– 1 मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद की जावे। यह गणना आपकी (रिटर्निंग अधिकारी की) देख–रेख में तथा निर्देशानुसार की जायेगी। मतदान दलों के सभी सदस्य आपकी सहायता हेतु उपलब्ध हैं।

2. आपके पास सील बन्द मतपेटियां समस्त मतदान बूथों से मतगणना स्थान पर आ जायेंगी। यह इत्मिनान कर लें कि समस्त प्रयुक्त मतपेटियां आ गयी हैं। यदि पंचायत मुख्यालय के बाहर उसी पंचायत के किसी गांव में बहुत ही विशेष परिस्थितियों में बूथ स्थापित किया गया है तथा उनकी मतदान पेटियां आने में कुछ देरी भी हो तो भी अभ्यर्थियों की जानकारी में लाते हुए बाकी मतपेटियों की मतगणना प्रारम्भ कर दें।

3. मतगणना में आपके स्टाफ के अलावा पंच व सरपंच के उम्मीदवार बैठ सकते हैं। सरपंच के दो गणन अभिकर्ता भी बैठ सकते है। [नियम 70 (1)]।

4. मतगणना स्थल की व मतगणना प्रारम्भ करने के समय की सूचना सभी उम्मीदवारों को पहले से ही दे दी जावे।

5. आपके पास मतपत्र रखने हेतु कुछ काउंटिंग ट्रे होंगी और कुछ खाली मतपेटियॉ भी होंगी इन पर उम्मीदवार का नाम लिख दें।

6. सबसे पहले मतपेटियों में से समस्त मतपत्र सहूलियत के अनुसार निकालकर सरंपच व वार्ड पंच के मतपत्र कागज के रंग के अनुसार अलग–अलग कर दें।

7. दूसरी छंटनी में पंच पद के वार्डवार मतपत्र अलग–अलग कर दिये जायें।

8. तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड के पंच मतपत्रों व सरपंच मतपत्रों की 50–50 की गड्डी को रबड़ बैन्ड से बांध दिया जाय। प्रत्येक वार्ड में व पंचायत में एक–एक गड्डी ऐसी हो सकती है जिसमें 50 से कम मतपत्र हों। इस प्रकार गड्डियां बनने के बाद प्रत्येक वार्ड में डाले गये मतपत्र व पूरी पंचायत में डाले गये मतपत्रों की कुल संख्या एक कागज पर नोट कर लें।

9. तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड के मतपत्रों को मतदान दलों के एक–एक कर्मचारी को गणना हेतु सुपुर्द कर दिया जाए व सरपंच के मतपत्रों की गणना स्वयं करें जिससे कार्य जल्दी समाप्त हो जाय। प्रत्येक मतगणना कर्मचारी एक स्लिप पर प्रत्येक उम्मीदवार तथा नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) को मिले मतों की संख्या अंकित कर हस्ताक्षर कर दें। उस स्लिप पर वार्ड संख्या अवश्य लिखें। इस प्रकार यह कर्मचारी प्रत्येक उम्मीदवार व नोटा के मतपत्रों की रबड़ बैण्ड की सहायता से बनायी गड्डियों को एक पैकेट में बांध कर तथा सबसे ऊपर उपरोक्त स्लिप रख कर आपको दे

दें। इस मतगणना में संदेहास्पद (doubtful) मतपत्रों की गड्डी बनाना जरूरी नहीं है। प्रत्येक मतगणना कर्मचारी यदि कहीं आवश्यकता समझे तो विवादास्पद मतपत्र के सम्बन्ध में आपसे तुरन्त निर्णय प्राप्त कर उक्त मतपत्रों को या तो संबंधित उम्मीदवार की गड्डी में सम्मिलित कर दे या खारिज मतपत्रों की गड्डी में रख दे। आप इन खारिज मतपत्रों को पुनः देखकर व संबंधित उम्मीदवारों को बताकर अन्तिम निर्णय कर लें। ऐसे खारिज मतपत्रों पर खारिज करने के कारण की सील लगाकर हस्ताक्षर कर दें। यदि कोई उम्मीदवार ऐसे खारिज मतपत्रों की क्रम संख्या जानना चाहें तो आप उन्हें नोट करा दें।

10. मतगणना के दौरान यदि कोई उम्मीदवार पुनः गणना कराने हेतु आधार बताते हुये आग्रह करें और आप उचित समझें तो पुनः गणना करा दें जिससे उनमें विश्वास पैदा हो जाय। ऐसा करना ज्यादा उपयुक्त उन मामलों में होगा जहां किन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच बहुत ही कम मतों का अन्तर हो।

11. मतगणना पूरी करने के बाद पंच चुनाव के पृथक् व सरपंच चुनाव के पृथक् और इनमें भी विधिमान्य मतपत्रों के पृथक् तथा खारिज मतपत्रों के पृथक्–पृथक् लिफाफे (पी. 8, 9, 28 व 29) पंचायत–वार बनाये जायेंगे और सील किये जायेंगे।

**17. परिणामों की घोषणाः**– चुनाव परिणाम नियम 51 व 52 के अनुसार फार्म VII में घोषित कर दिया जाय और उक्त फार्म की हस्ताक्षरित प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को डाक द्वारा या अन्य तरीकों से जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी निर्देशित करें, भेज दी जावेः

(1) आयुक्त, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर,

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),

(3) नव–निर्वाचित सरपंच को,

(4) पंचायत समिति, और

(5) पंचायत के कार्यालय को, यदि कोई हो।

**18. प्रतिभूति निक्षेप राशि को लौटाना या जब्त करनाः**– चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद सरपंच चुनाव हारने वाले ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्हें कि कुल डाले गये वैध मतों का 1/6 भाग अथवा इससे अधिक मत मिले हैं, उनकी प्रतिभूति निक्षेप की राशि लौटा दी जायेगी। सरपंच चुनाव हारने वाले शेष ऐसे अभ्यर्थियों जिन्हें कि कुल डाले गये मतों के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त हुये हैं उनकी प्रतिभूति निक्षेप राशि जब्त कर ली जायेगी, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने कि एक से

अधिक नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ एक से अधिक प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करायी हो तो उनकी केवल एक नामांकन पत्र के साथ जमा की गयी राशि ही जब्त की जायेगी, शेष लौटा दी जायेगी।

**19. निर्वाचन रिकार्ड जमा करानाः–** (i) परिशिष्ट 15 में दिये गये विवरण अनुसार लिफाफे तैयार करने हैं।

(ii) संबंधित निर्वाचन रेकार्ड के लिफाफों को रेपिंग पेपर में रख एक पैकेट बना, सील कर दें व उस पर – (1) पंचायत का नाम तथा (2) मतदान की तारीख लिख दें। उक्त रेकार्ड जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार अन्तिम पंचायत के चुनाव कराने के बाद जब आप जिला मुख्यालय पर आवें तब सारे पैकेट संबंधित अधिकारी को सम्भला दें।

**20. मतदान का स्थगन/पुर्नमतदानः–** (i) **मतदान का स्थगन (नियम 48)**:– मतदान का स्थगन केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जावे स्थगन का ब्यौरा तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया जावे, उनके निर्देशानुसार आगे कार्यवाही करें।

**(ii) मतपेटियों के क्षतिग्रस्त आदि होने की स्थिति में पुनः मतदान (नियम 48 ए)**:– आपके पंचायत सर्किल में 4 प्रकार के चुनाव एक साथ होने पर प्रत्येक मतदान बूथ पर दो मतपेटियां होगी। एक मतपेटी पंच–सरपंच मतपत्र के लिये, दूसरी मतपेटी जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के मतपत्र के लिये। यदि किसी मतदान केन्द्र/बूथ से कोई मतपेटी दुर्घटनावश या जानबूझकर क्षतिग्रस्त हो जाती है, या खो जाती है, या तोड़–फोड़ कर दी जाती है और इस हद तक कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र/बूथ पर हुये मतदान का परिणाम प्रभावित हो जाता है तो ऐसी घटना की पूर्ण रिपोर्ट आप तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे तथा जिला निर्वाचन अधिकारी तुरन्त ही राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे।

यदि किसी मतदान केन्द्र/बूथ पर मतदान प्रक्रिया में कोई त्रुटि या अनियमितता हो जाती है, जिससे मतदान दूषित हो जाता है तो ऐसे प्रकरण में आप रिपोर्ट तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे और वे तुरन्त राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पंच/सरपंच निर्वाचन के लिए आप रिटर्निंग अधिकारी हैं। अतः पंच/सरपंच निर्वाचन से संबंधित ऐसी रिपोर्ट आप रिटर्निंग अधिकारी की हैसियत से भेजेंगे तथा जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन की रिपोर्ट संबंधित मतदान अधिकारी तैयार करेगा और पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन एवं जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन के संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दोनों को ही भेजेंगा। यह रिपोर्ट आप जोनल मजिस्ट्रेट के

मार्फत या नजदीक के पुलिस स्टेशन से उपलब्ध सुविधा के जरिये यथासंभव शीघ्र भेजेंगे, ताकि जिला निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी की रिर्पोट राज्य निर्वाचन आयोग तक आने में कोई विलम्ब न हो।

**(iii) बूथ केप्चरिंग की स्थिति में पुनः मतदान [(नियम 48 ख]**:– यदि मतदान केन्द्र पर बूथ केप्चरिंग कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति की रिपोर्ट भी पहले उपरोक्त खण्ड (ii) में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार भेजेंगे।

**(iv) मतगणना के दौरान मतपत्र खो जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना (नियम 49 ए)** :– पंचायत मुख्यालय पर आपको पंच एवं सरपंच चुनाव के मतपत्रों की गणना भी करनी है। यदि मतगणना के दौरान आपकी अभिरक्षा से अवैध तरीके से मतपत्रों को ले जाया जाता है या दुर्घटनावश या जानबूझकर उनको क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, या खो दिया जाता है, या किसी प्रकार से विकृत कर दिया जाता है, जिससे कि मतदान का परिणाम सुनिश्चित करने में कठिनाई हो जाती हो तो ऐसी घटना की रिपोर्ट भी आप तुरन्त किसी भी संभव साधन से जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश नहीं हो तब तक मतगणना का कार्य नहीं होगा, ऐसी स्थिति में आप समस्त मतपत्रों को एवं निर्वाचन संबंधी कागजात को उसी स्थिति में लिफाफों में या बक्सों में जो भी आपके पास उपलब्ध हैं, उनमें उपस्थित अभ्यर्थियों/एजेन्टों के समक्ष सील कर दें यदि उनमें से कोई हस्ताक्षर करना चाहें तो उनसे हस्ताक्षर भी करवालें तथा मतगणना का कार्य आगे नहीं बढ़ायें।

अतः आप इस संबंध में उपरोक्त खण्ड (i) से (ii) में बताई गयी कार्यवाही की रिर्पोर्ट भली–भांति कागजात को देखकर भेजें तथा रिपोर्ट अस्पष्ट नहीं होनी चाहिये, पूर्णतया स्पष्ट होनी चाहिये क्योंकि आपकी अस्पष्ट रिपोर्ट पर कार्यवाही संभव नहीं हो पायेगी। नियम 48 ए, 48 बी तथा 49 ए के अंतर्गत कोई रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजी जावे तो रिपोर्ट में मतदान केन्द्र/बूथ का नाम, वार्ड संख्या, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या तथा घटना का ब्यौरा अंकित किया जाये, साथ ही रिटर्निंग अधिकारी की पुनः मतदान के संबंध में स्पष्ट अभिशंषा भी होनी चाहिये कि पुनः मतदान कराना क्यों जरूरी है। ऐसी रिपोर्ट भेजने पर रिटर्निंग अधिकारी मतों की गणना को कार्य भी रोक देंगे तथा राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के पश्चात् ही आगे की कार्यवाही संभव हो पायेगी। मतदान दल को तब तक अपने कागजात सील कर जिला निर्वाचन अधिकारी को जमा करा देने चाहिये, यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि किसी मामूली घटना को लेकर ही ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी जावें। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी यथा स्थान विवरण अंकित किया जाये।

# भाग–7
# उप सरपंच चुनाव

1. पंचायती राज अधिनियम की धारा 27(2) तथा पंचायती राज (निर्वाचन) नियमों के नियम 65 और 66 के अनुसार उप सरपंच चुनाव कराये जायेंगे।

2. उप सरपंच चुनाव आप द्वारा ''रिटर्निंग अधिकारी'' के पद नाम से कराया जायेगा। नियम 65 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो अधिकारी पंच, सरपंच चुनाव के लिये रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त है, वही अधिकारी उप सरपंच चुनाव का भी रिटर्निंग अधिकारी है।

3. उप सरपंच चुनाव हेतु बुलायी गयी मीटिंग को पहली मीटिंग कहा जायेगा [नियम 65(2)]।

4. **नोटिसः**– मीटिंग की नोटिस का फार्म नियमों में निर्धारित नहीं हैं। आपकी सुविधा के लिए एक मॉडल फार्म तैयार किया गया है जो आगे प्ररूप–''क'' के रूप में बताया गया है। छपे हुये फार्म जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे जो यदि कम हो तो आप संलग्न फार्म की कार्बन की सहायता से आवश्यकतानुसार प्रतियां बनाकर प्रयोग में ले लें। इसे भरकर पहले से तैयार रखें। समस्त कार्यक्रम आपको जिला निर्वाचन अधिकारी ने पहले से ही दे दिया है। ये नोटिस समस्त निर्वाचित पंचों व सरपंच को दिये जाने हैं चाहे वे मौजूद हों या नहीं, व्यक्तिगत तामील नहीं होने की दशा में उनके घर पर नोटिस चस्पा कर तामील पूरी करनी है। यह नोटिस मतदान के लिये निर्धारित समय से कम से कम दो घण्टे पहले पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाना आवश्यक है। यदि मतदान 11.00 बजे पूर्वान्ह निर्धारित है तो नोटिस 9.00 बजे प्रातः तक चस्पा कर देना चाहिये [नियम 65(2)]।

5. **नाम निर्देशन पत्रः**– (i) नियमों में नाम निर्देशन पत्र का फार्म निर्धारित नहीं है, लेकिन इसके लिये एक मॉडल फार्म आगे बताया गया है (देखें मॉडल फार्म ''ख'')। आप मॉडल फार्म की 4–5 प्रतियां उप सरपंच चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्तियों को दे दें। यदि वे इस फार्म को प्रयोग नहीं करें और किसी कागज पर किसी उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करें तो भी स्वीकार करें। इस आधार पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जा सकता कि प्रस्तावक ने उक्त मॉडल फार्म (ख) में नाम निर्देशन पत्र नहीं भरा। आप स्वयं उन्हें इस फार्म को बता दें।

(ii) यह नाम निर्देशन पत्र या लिखित में प्रस्ताव, सरपंच या किसी निर्वाचित पंच द्वारा, जो उस मीटिंग में मौजूद हो, आपको नोटिस के लिये निर्धारित समय में ही, प्रस्तुत किया जा सकता

है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु [नियम 66(1)] एक घण्टे का ही समय दिया हुआ है। यह एक घण्टे का समय उक्त नोटिस में निर्धारित समय में मीटिंग प्रारम्भ होने से गिना जायेगा। यदि मीटिंग प्रारम्भ का समय नोटिस में 9.00 बजे प्रातः में दिया गया हो तो नाम निर्देशन पत्र 10.00 बजे प्रातः तक ही लिये जा सकेंगे, बाद में नहीं। इस प्रस्ताव या नाम निर्देशन पत्र पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर होंगे। उम्मीदवार यदि मीटिंग में उपस्थित हों तो आप उसकी मौखिक स्वीकृति लेकर स्वयं उस प्रस्ताव पर यह तथ्य लिख दें। जो उम्मीदवार उस मीटिंग में उपस्थित नहीं है उसकी अलग से लिखित में स्वीकृति प्राप्त करना कानूनन जरूरी है। यदि प्रस्तावक ने अपने प्रस्ताव या नाम निर्देशन पत्र (मॉडल फार्म–''ख'') के साथ ही अनुपस्थिति उम्मीदवार की अलग से स्वीकृति संलग्न नहीं की तो वह प्रस्ताव या नाम निर्देशन पत्र खारिज हो जायेगा। यदि उसकी स्वीकृति उस प्रस्ताव या नाम निर्देशन पर भी है तो भी ठीक मान लिया जाये। यह प्रावधान आप मीटिंग प्रारम्भ होते ही बतादें।

(iii) ऐसे प्रस्ताव या नाम निर्देशन पत्र पर प्राप्ति का समय अंकित कर हस्ताक्षर कर दें।

(iv) उप सरपंच के लिये केवल निर्वाचित पंच ही खड़े हो सकते हैं [नियम 66(1)]।

**6. नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों की सूचीः**– नाम निर्देशन पत्र या प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय के पश्चात् आप नियम 66(3) के अनुसार एक कागज पर समस्त उम्मीदवारों के नाम लिखकर मीटिंग में पढ़ देवें।

**7. जाँचः**– तत्पश्चात समस्त प्रस्ताव व नाम निर्देशन पत्र उपस्थित पंच, सरपंच तथा विशेषतया उम्मीदवारों को बता देवें और कोई एतराज हो तो वह भी सुन लेवें तथा अपने निर्णय अंकित कर दें। खारिज करें तो संक्षिप्त में कारण अवश्य लिखें। ये प्रस्ताव तथा नाम निर्देशन पत्र निम्न कारणों से खारिज किये जा सकते हैंः–

(क) प्रस्ताव या नाम निर्देशन पत्र पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(ख) प्रस्ताव या नाम निर्देशन पत्र निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) प्रस्ताव के साथ या उसके ऊपर अनुपस्थित उम्मीदवार की लिखित में स्वीकृति नहीं है।

(घ) उम्मीदवार, निर्वाचित पंचों में से नहीं है।

**8. चुनाव लड़ने वालों की सूची एवं मतदान प्रक्रियाः**– नाम निर्देशन पत्रों की जांच समाप्त करते ही चुनाव लड़ने वालों की सूची राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियमों के संलग्नक

प्ररूप–5 में तैयार करेंगे तथा जिनके नाम, नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा में सही पाये गये हैं उनके नाम मीटिंग में पढ़कर सुनायेंगे। ये नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रम में होंगे। यदि केवल एक ही उम्मीदवार हैं तो उसे उप सरपंच के लिये निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा। एक ही उम्मीदवार के रहने पर उपरोक्त बताये गये प्ररूप–5 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने की आवश्यकता नहीं है और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी चुनाव में खड़े होते हैं तो गुप्त मतदान से वोट डाले जायेंगे। उप सरपंच चुनाव में डाक द्वारा या प्रोक्सी द्वारा वोट देने की मनाही है। यदि एक भी अभ्यर्थी द्वारा नामंकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि से चुनाव प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ होगी। उप सरपंच चुनाव के लिये नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार करेगा।

**9. मतपत्रः**– उप सरपंच चुनाव में मतदान गुप्त होगा और इसके लिये मतपत्र का प्रयोग भी किया जायेगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को चुनाव चिन्ह भी आवंटित होगा जो सरपंच मतपत्र में वर्णित चुनाव चिन्हों में ही क्रमानुसार तथा अभ्यर्थियों की सूची के क्रमानुसार होगा और अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प व चिन्ह अंकित किया जायेगा। यदि एक नाम के दो अभ्यर्थी हैं तो उन्हें पिता के नाम से सुभिन्न किया जायेगा। मतपत्र का स्वरूप राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। सरपंच मतपत्र के खाली फार्म जिसमें चुनाव चिन्ह मुद्रित होंगे लेकिन अभ्यर्थी के नाम की जगह खाली रहेगी आपको जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त होंगे। इन मतपत्रों में चुनाव चिन्ह बायीं तरफ मुद्रित हैं, जिनमें दायीं ओर हस्तलिपि में अभ्यर्थियों के नाम लिखे जायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने सांविधिक आदेश संख्या 12/94 दिनांक 29.12.94 से उप सरपंच चुनाव के लिये मतपत्र का प्रारूप सरपंच चुनाव के मतपत्र के प्रारूप के समान ही विनिर्दिष्ट किया हुआ है। अतः सरपंच चुनाव के मतपत्रों के फार्म जो आपको इस प्रयोजन हेतु अतिरिक्त मिलेंगे या आपके पास जो बचे हैं, उन्हें ही आप उप सरपंच चुनाव का मतपत्र बनालें। इसके लिये आप सरपंच चुनाव के मतपत्र फार्म में प्रथम अभ्यर्थी के स्थान पर नीचे छायादार क्षेत्र (शेडेड एरिया) में मुद्रित शब्द 'सरपंच चुनाव' के आगे शब्द 'उप' हाथ से लिखकर जोड दें। उप सरपंच मतपत्र को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतपत्र की पीठ पर हस्ताक्षर कर अधिप्रमाणित किया जायेगा। मतपत्र पर नाम उसी क्रम में आयेंगे जिसमें वे प्ररूप–5 में आये हैं।

**10. मतदान** :– (i) मतदान के लिये मतदाताओं को ऐरोक्रास मार्कसील देवें। (ii) मतदान के दौरान मतदाताओं की सूची (पंच/सरपंच की सूची) को मतदान अधिकारी द्वारा मतपत्र जारी करने से पूर्व टिक (√) किया जायेगा। (iii) मत अभिलिखित करते समय मतदाता पंच/सरपंच मतपत्र को मोड़कर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष रखी मतपेटी में डालेगा। यदि मतदाता मत की गोपनीयता भंग

करे तो उससे मतपत्र लेकर उसे निरस्त कर दिया जायेगा और इस आशय का अंकन मतपत्र पर करते हुये रिटर्निंग अधिकारी हस्ताक्षर करेगा। (iv) यदि कोई मतदाता शारीरिक अक्षमता के कारण या दृष्टिहीनता के कारण अपना वोट नहीं दे सके तो रिटर्निंग अधिकारी नियम 41 में बतायी रीति के अनुरूप सहायता करेगा।

**11. मतगणना** :– मतदान समाप्त होते ही गिनती की जायेगी। मतपत्र निम्न आधारों पर खारिज किये जा सकते हैं:–

(i) यदि मतपत्र पर अंकित चिन्ह से या हस्ताक्षर से मतदाता की पहचान स्थापित होती हो।

(ii) यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों एक अभ्यर्थी तथा नोटा दोनों को मत अभिलिखित किया हो।

(iii) यदि मतपत्र के मुखपत्र पर कोई चिन्ह नहीं हो या पीठ पर चिन्ह लगाया हो या चिन्ह इस प्रकार लगा हो जिससे यह निश्चित नहीं हो पाये कि किसे वोट दिया गया है या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्रास सील से भिन्न किसी अन्य उपकरण से चिन्ह लगाया हो।

(iv) यदि मतपत्र जाली हो।

(v) यदि मतदाता मतपत्र को गुप्त नही रख पाया हो।

**12. परिणाम की घोषणा** :– सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जायेगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की संख्या समान होने पर लॉटरी निकाली जायेगी। परिणाम की घोषणा प्ररूप– VII में होगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि नोटा को प्राप्त मतों की चुनाव परिणाम अभिनिश्चित करने में कोई भूमिका नही होगी।

**13. रिकार्ड व लिफाफे** :– (i)मतगणना के पश्चात् खारिज किये गये व विधिमान्य स्वीकृत किये गये मतपत्रों को रबड़ बैण्ड से अलग–अलग बांधकर एक ही लिफाफे में (लिफाफा–'' पी.40'') में रख दें और उसे सील कर देवें। लिफाफा ''पी.40'' का प्रारूप निम्न है :–

**उप सरपंच चुनाव, 2015**
**लिफाफा–''पी–40''**

(साईज 11"x5")

(सील करना है)

1. नाम पंचायत वृत्त ............................................ उप सरपंच चुनाव के
2. मतदान की तारीख ........................................ वैध तथा अस्वीकृत मतपत्रों
3. मतगणना की तारीख .................................... का लिफाफा
4. स्थान ..............................................................

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी

(ii) उप सरपंच का चुनाव परिणाम राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियमों में निर्धारित प्ररूप–VII में ही अंकित करना है।

(iii) अप्रयुक्त मतपत्रों एवं उप सरपंच चुनाव से संबंधित अन्य रिकार्ड लिफाफा–''पी–41'' में बन्द कर हस्ताक्षर कर दें और सील कर देवें। लिफाफा ''पी–41'' का प्रारूप निम्न प्रकार है :–

**उप सरपंच चुनाव, 2015**
**लिफाफा–''पी–41''**

(साईज 11"x5")

(सील करना है)

1. नाम पंचायत वृत्त ............................................ निर्वाचन संबंधी
2. मतदान की तारीख ........................................ अन्य कागजात का लिफाफा
3. मतगणना की तारीख ....................................
4. स्थान ..............................................................

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी

## मॉडल फार्म
## (प्ररूप–क ''पैरा–4'')
## [देखिए नियम 65 (2)]
## नोटिस

सरपंच / पंच ................................ पंचायत ................................................
पंचायत समिति ............................ जिला ..................................................

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 65 के अन्तर्गत मैं, रिटर्निंग अधिकारी इसके द्वारा नोटिस देता हूं कि दिनांक ....................... को ....................... बजे .................. (स्थान) पर उप सरपंच के निर्वाचन के लिए पंचायत की बैठक होगी।

पूर्वोक्त तारीख, समय और स्थान पर उक्त बैठक में उपस्थित होने के लिए आपसे सादर निवेदन है।

कार्यक्रम

निर्वाचन और अन्य कार्यक्रम निम्न प्रकार से निश्चित किये गए हैंः–
पंचायत ...................................... के उप सरपंच का निर्वाचन।

(1) नाम निर्देशन–पत्र प्राप्त करने का अंतिम समय .........................................

| | |
|---|---|
| (2) (अ) नामनिर्देशित उम्मीदवारों की सूची बनाना और बैठक में पढ़ना<br>(ब) नाम निर्देशन–पत्रों की जांच<br>(स) बैठक में चुनाव लड़ रहे उम्मीद्वारों की सूची बनाना, | ........... बजे से ............... बजे तक |
| (3) मतदान यदि आवश्यक हो, दिनांक ....................... | ........... बजे से ............... बजे तक |

रिटर्निंग अधिकारी
उप सरपंच का निर्वाचन
पंचायत ...............................
(विभागीय पदनाम ...........................
.............................................................)

**मॉडल फार्म – ख**
**नाम निर्देशन–पत्र**
**उप सरपंच चुनाव, 2015**

........................ पंचायत ..................................... पंचायत समिति .....................................जिला

मैं श्री/श्रीमती .................................. (उम्मीदवार का नाम) जो उक्त पंचायत में निर्वाचित पंच है, का नाम उप सरपंच पद के लिये उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करता हूँ/करती हूँ।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर
या अंगूठे के निशान

मेरी सहमति है

हस्ताक्षर अभ्यर्थी,

दिनांक ...................................... निर्वाचित पंच/सरपंच

जो शब्द उपयुक्त न हो काट दीजिए।

# परिशिष्ट–1
## (देखें भाग–1, पैरा 2)
## भारतीय दण्ड संहिता 1860 के उद्धरण

**171. घ. निर्वाचनों में प्रतिरूपणः**– जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिये आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिये आवदेन करता है और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है या उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है।

**171. च. निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिये दण्डः**– जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

# परिशिष्ट–2

## (देखें भाग–1, पैरा 2; भाग 5 का पैरा 10)

## लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से निर्वाचन अपराध संबंधी उद्धरण

**125.** <u>निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करनाः</u>– जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्राुता या घृणा की भावनायें भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गो के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

**126.** <u>मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषधः–</u> (1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिये मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घन्टों की कालावधि के दौरानः–

(क) निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलायेगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या

(ख) चलचित्रा, टेलिविजन या वैसे की अन्य साधित्राों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद–प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

(2) वह व्यक्ति, जो उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा; कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा में, ''निर्वाचन संबंधी बात'' पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है।

**127.** <u>निर्वाचन सभाओं में उपद्रवः</u>–(1) जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में जिसके, संबंध में यह धारा लागू है, उस कारबार के संव्यवहार को निवारित करने के प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह सभा बुलाई गई है, विच्छृंखलता से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिये

उदीप्त करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(1क) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यह धारा राजनीतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा को लागू है जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिये निर्वाचन–क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच, जिस तारीख को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र  में की गई है।

(3) यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने उप–धारा (1) के अधीन अपराध किया है तो यदि सभा के सभापति द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरंत अपना नाम और पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इन्कार करता है या बताने में असफल रहता है या यदि पुलिस अधिकारी उसकी बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने मिथ्या नाम या पता दिया है, तो पुलिस अधिकारी उसे वारन्ट के बिना गिरफतार कर सकेगा।

**127. (क) <u>पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन</u>:–** (1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को–(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित करायेगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है, तथा

(ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित–

(i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए–(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और ''मुद्रक'' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा, तथा

(ख) ''निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर'' से किसी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुंस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं की चर्या संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता।

(4) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

128. <u>मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना</u>ः– (1) ऐसा हर अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्त्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोंनों से, दण्डनीय होगा।

129. <u>निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे</u>ः– (1) जो (कोई जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी) या सहायक रिटर्निंग अधिकारी है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान अधिकारी है या ऐसा अधिकारी है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्त्तव्य के पालन के लिए नियुक्ति किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस दल का कोई भी सदस्य–

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिये मनाने का, और न

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का, और न

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति के असर डालने का, प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

**130.** <u>मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेधः</u>– (1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को, जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से (एक सौ मीटर) की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कायों से कोई कार्य न करेगा, अर्थात्ः–

(क) मतों के लिए संयाचना,

(ख) किसी निर्वाचक से उनके मत की याचना करना,

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना, और

(घ) निर्वाचन में मत देने के लिए किसी निर्वाचक को मनाना, और

(ड.) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

**131.** **<u>मतदान केन्द्रों या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्तिः</u>–** (1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है–

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्रा मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राईवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लायेगा और न चलायेगा, और न

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ौस में के किसी लोक स्थान या प्राईवेट स्थान में ऐसे चिल्लायेगा या विच्छृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा, कि

मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्त्तव्यारूढ़ अधिकारीों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लधंन में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डनीय होगा।

(3) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकेगा कि वह इस व्यक्ति को गिरफ्तार करें और पुलिस अधिकारी उस पर उसे गिरफ्तार करेगा।

(4) कोई पुलिस अधिकारी ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसे या जैसा उप–धारा (1) के उपबंधों में किसी उल्लघंन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाये गये किसी साधित्रा को अभिग्रहीत कर सकेगा।

**132. <u>मतदान केन्द्र के अवचार के लिए शास्तिः</u>–** (1) जो कोई किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों के अनुपालना में असफल रहता है, उसे पीठासीन अधिकारी या कर्त्तव्यारूढ कोई पुलिस अधिकारी या ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा एतन्निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा।

(2) उप–धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियॉ ऐसे प्रयुक्त न की जाऐंगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाये।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

**132क. <u>मतदान करने के लिये प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्तिः</u>–** यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इन्कार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।

133. निर्वाचनों में प्रवहणों के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्तिः— यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है, जैसा धारा 123 के खण्ड (5) में विनिर्दिष्ट है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

134. निर्वाचनों में संसक्त पदीय कर्त्तव्य के भंगः— (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्त्तव्य के भंग में किसी कार्य के लोभ का युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पॉचसों रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(1) (क) उप–धारा(1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोभ की बाबत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी।

(3) वे व्यक्ति, जिन पर यह धारा लागू है या हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्त्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा ''पदीय कर्त्तव्य'' पदावली का अर्थ इस धारा के लिए तदनुसार लगाया जायगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्त्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित हैं।

134.क. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्तिः— यदि सरकार की सेवा में का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

134.ख. मतदान केन्द्र या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिशेधः— (1) रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और किसी पुलिस अधिकारी से तथा मतदान केन्द्र पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिये नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान केन्द्र पर कर्तव्यरूढ़ है भिन्न कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र के आस–पास आयुध अधिनियम, 1959 में परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सज्जित होकर नहीं जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) आयुध अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उक्त अधिनियम में परिभाषित एसे आयुध, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और ऐसे आयुधों के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसंहत की गई समझी जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

**135.** <u>मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा</u>:— (1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र अप्राधिकृत रूप से बाहर ले जायेगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उप—धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगाः

परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा, शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जायेगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस अधिकारी द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा अधिकारी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) उप—धारा (1) के अधीन दण्डीय अपराध संज्ञेय होगा।

**135.क.** <u>**बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध**</u>:— जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दडनीय होगा।

<u>स्पष्टीकरण</u>:— इस उपधारा और धारा 20ख के प्रयोजनों के लिए ''बूथ का बलात् ग्रहण'' के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ—साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को उसके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से निवारित करना;

(ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रपीड़ित करना या अभित्रास्त करना या धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;

(ड.) सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

**135ख. मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश संदेय होगा** –

(1) किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी ओर यदि एसे व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है तो उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिये मजदूरी प्राप्त नहीं होती तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।

(3) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंधन करेगा, तो एसे नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उप नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।

**135ग. मतदान के दिन लिकर का न तो विक्रय किया जाना, न दिया जाना ओर न वितरण किया जानाः**—(1) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस धंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजन, पॉकशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राईवेट स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त, क्रिण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधो का उल्लघंन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनो से, दण्डनीय होगा।

(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां स्पिरिट युक्त, क्रिण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होगें और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

**136. अन्य अपराध और उनके लिये शास्तियांः**— (1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्तिः—

(क) कोई नाम निर्देशन—पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा, अथवा

(ख) रिटर्निंग अधिकारी के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरुपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा, अथवा

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिन्ह या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक—मतपत्र देने के संबंध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरुपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा, अथवा

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति का कोई मतपत्र देगा, (या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा), अथवा

(ड.) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा, अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, अथवा

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यो में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यो के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यो का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्तिः—

(क) यदि वह रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी या मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी या लिपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा,

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गये मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उतरदायी रहे किन्तु ''पदीय कर्तव्य'' पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किये जाने से अन्यथा अधिरोपित है।

(4) उप—धारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

# परिशिष्ट–3
## (देखें भाग 1, पैरा–2; भाग 5, पैरा 10,19)
## राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 से उद्धरण

**18–क मिथ्या घोषणा करनाः**– यदि कोई व्यक्ति–

(क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के, अथवा

(ख) किसी प्रविष्ठि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें से अपवर्जित किये जाने के, संबंध में ऐसा कथन या घोषणा लिखित रूप में करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

**18–ग मत देने का अधिकार–**(1) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी पंचायती राज संस्था के किसी भी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है, उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार होगाः

(2) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह धारा 18 की उप–धारा (3) में निर्दिष्ट किन्हीं भी निरर्हताओं के अध्यधीन है।

(3) कोइ भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन में एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत देता है तो ऐसे सभी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों में के उसके मत शून्य समझे जायेंगे।

**स्पष्टीकरण** – पंच या सरपंच या किसी पंचायत समिति के सदस्य या किसी जिला परिषद् के सदस्य के लिए निर्वाचन, जब साथ–साथ कराये जायें, पृथक्–पृथक् निर्वाचन समझे जायेंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति, किसी भी निर्वाचन में इस बात के होने पर भी कि उसका नाम एक ही वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है, उसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मत नहीं देगा और यदि वह इस प्रकार मत देता है तो उसके सभी मत शून्य समझे जायेंगे।

(5) कोई भी व्यक्ति, यदि वह चाहे किसी दण्डादेश के अधीन या अन्यथा किसी जेल में परिरूद्ध हो या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में हो, इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन में मत नहीं देगा।

**19. किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएंः**– किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायती राज संस्था के पंच या, यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति–

(क) राजस्थान राज्य के विभाग मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए त्तसमय प्रवृत किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित नहीं हैः

परन्तु कोई भी व्यक्ति यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष की आयु से कम का है;

(कक) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन और अनुसार फाइल की गयी किसी निर्वाचन याचिका के परिणामस्वरूप किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं पाया गया है,

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी विश्वविद्यालय या किसी भी ऐसे निगम, निकाय, उपक्रम या सहकारी सोसायटी, जो राज्य सरकार द्वारा या तो नियंत्रित या पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित है, के अधीन कोई वैतनिक पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण नहीं करता है;

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अवचार के कारण राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत नहीं किया गया है और लोक सेवा में नियोजन के लिए निरर्हित घोषित नहीं किया गया है;

(घ) किसी भी पंचायती राज संस्था के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण नहीं करता है;

(ङ) संबंधित पंचायती राज संस्था से, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपने द्वारा या अपने भागीदार, नियोजक या कर्मचारियों के द्वारा कोई भी अंश या हित, किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अंश या हित का स्वामित्व रखते हुए, नहीं रखता है;

(च) कुष्ठी नहीं है या कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी भी अन्य शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है;

(छ) किसी भी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और छः मास या अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है, ऐसा दण्डादेश तत्पश्चात

उलट दिया गया हो या उसका परिहार कर दिया गया हो या अपराधी को क्षमा कर दिया गया हो;

(छछ) ऐसे किसी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है जिसने उसके विरूद्ध ऐसे किसी अपराध का जो पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय हो, संज्ञान ले लिया है और आरोप विरचित कर दिये हैं;

(ज) धारा 38 के अधीन निर्वाचन के लिए त्तसमय अपात्र नहीं है;

(झ) संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा अधिरोपित किसी भी कर या फीस की रकम, को, उसके लिए मांग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो मास तक असंदत्त नहीं रखे हैं;

(ञ) संबंधित पंचायती राज संस्था की ओर से या उसके विरूद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित नहीं है;

(ट) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है;

(ठ) दो से अधिक बच्चों वाला नहीं हैः

(ड) पूर्व में किसी पंचायती राज संस्था का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहते हुए पंचायती राज संस्था के शोध्यों को जमा कराने के लिए ऐसी तारीख से जबकि ऐसा नोटिस/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पर तामील किया गया था, दो मास की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी शोध्य असंदत्त नहीं रखे हैं और उसका नाम, ऐसी पंचायत राज संस्था के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो मास पूर्व, राज्य सरकार द्वारा कलक्टर (पंचायत) को उपलब्ध करायी गयी ऐसे व्यतिक्रमियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(ढ़) राज्य में की अनुसूचित जाति या अनुसचित जनजाति या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, उन जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य हैः

(ण) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, महिला है; और

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, उन जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य है और महिला हैः

(थ) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नही जाता हो।''

स्पष्टीकरण II - 1. "स्वच्छ शौचालय" से तात्पर्य तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जलबंद (Water sealed) शौचालय प्रणाली से हैं।

2. ''परिवार के सदस्य'' में व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और उसके साथ निवास कर रहे उसके माता–पिता से अभिप्रेत है।

इस प्रकार उक्तानुसार जिस व्यक्ति के घर में कार्यशील शौचालय नहीं हो तो तथा जिसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए जाता हो, वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होगा। इसके लिए घोषणा/अण्डरटेकिंग का प्रारूप आयोग द्वारा तैयार किया गया है। जिसे अभ्यर्थी से प्राप्त किया जाना है तथा जिसके लिए आपको आवश्यक होने पर अभ्यर्थी को मीमों दिया जाना है।

परन्तु–

(i) किसी व्यक्ति को किसी भी निगमित कम्पनी या राजस्थान राज्य में त्तसमय प्रवृत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी में केवल अंशधारी या उसका सदस्य होने के कारण से कम्पनी या सहकारी सोसाइटी और पंचायती राज संस्था के बीच की गई किसी भी संविधा में हितबद्ध नहीं ठहराया जायेगा;

(iक) खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति खण्ड (कक) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से छः वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित समझा जायेगा;

(ii) खण्ड (ग), (छ) और (ट) के प्रयोजनों के लिए कोई भी व्यक्ति उसकी पदच्युति की तारीख या, यथास्थिति, दोषसिद्धि की, तारीख से छह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात निर्वाचन के लिए पात्र हो जायेगा;

(iii) खण्ड (झ) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को तब निरर्हित नहीं समझा जावेगा यदि वह उससे शोध्य कर या फीस की रकम अपना नाम निर्देशन दाखिल करने की तारीख के पूर्व संदत्त कर देता है;

(iv) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख, जिसे इस परन्तुक में आगे ऐसे प्रारम्भ की तारीख कहा गया है, से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान हुए किसी अतिरिक्त संतान के जन्म पर खण्ड (ठ) में उल्लिखित निरर्हता के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जायेगा

और कोई व्यक्ति जिसके दो से अधिक संताने हैं (ऐसे प्रारम्भ का तारीख से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्मी संतान, यदि कोई हो को छोड़कर) उस खण्ड के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक ऐसे प्रारम्भ की तारीख को रही उसकी संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती;

**स्पष्टीकरणः**— धारा 19 के खण्ड (ठ) के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या तत्पश्चात जहॉ किसी दम्पती के पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसवों से केवल एक बच्चा हो वहां किसी एक ही पश्चातवर्ती प्रसव से पैदा हुए बच्चों की किसी संख्या को एक इकाई समझा जायेगा।

(v) खण्ड (छ) के प्रयोजनो के लिये, किसी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को निरर्हित नहीं समझा जायेगा यदि वह अपना नाम निर्देशन पत्र फाईल करने के पूर्व उससे शोध्य रकम संदाय कर देता है।

**19—ख किसी पंचायती राज संस्था में एक से अधिक स्थानों के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध—** (1) इस अधिनियम के किन्हीं भी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई व्यक्ति—

(क) पंच के निर्वाचन की दशा में एक से अधिक वार्डों के लिए,

(ख) यदि वह सरपंच के रूप में निर्वाचन लड़ता है तो उस पंचायत में पंच के स्थान के लिए,

(ग) किसी पंचायत समिति के सदस्य के निर्वाचन की दशा में उस पंचायत समिति के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए,

(घ) जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन की दशा में उस जिला परिषद् के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, निर्वाचन लड़ने का हकदार नहीं होगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी पंचायती राज संस्था के स्थानों के लिए एक से अधिक वार्ड या, यथास्थिति, निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप—धारा(1) के उल्लघंन में अपना नाम निर्देशन फाइल कर दिया हो, एक को छोड़कर सभी स्थानों से अपनी अभ्यर्थिता लिखित सूचना द्वारा, जिसमे ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो विहित की जायें, वापस लेगा और नाम निर्देशन वापस लेने के लिए नियत समय और तारीख के पूर्व परिदत्त करेगाः

परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऊपर विनिर्दिष्टानुसार अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने में विफल रहता है तो उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने उन सभी स्थानों से, जिनके लिए उसने अपना नाम निर्देशन फाइल किया हो, अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली हैं।

**22. निर्वाचन अपराधः**— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 125, 126, 127, 127 क, 128, 129, 130, 131, 132, 132—क, 133, 134, 134 क, 134 ख, 135, 135 क, 135 ख, 135 ग और 136 के उपबंध ऐसे प्रभावी होगें मानो—

(क) किसी निर्वाचन के प्रति उनमें के निर्देश इस अधिनियम के अधीन के किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश हों;

(ख) किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उनमें के निर्देशों में, किसी पंचायती राज संस्था के किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र के प्रति निर्देश सम्मिलित हों,

(ग) उसकी धारा 134 और 136 में, शब्दों ''इस अधिनियम के द्वारा या अधीन'' के स्थान पर शब्द और अंक ''राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के द्वारा या अधीन'' प्रतिस्थापित किये हुए हों; और

(घ) धारा 135 ख की उप—धार (1) में अभिव्यक्ति ''लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''पंचायती राज संस्था'' प्रतिस्थापित की हुई हो।

**22—क. यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बधन** (1) राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्था के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी अभ्यर्थी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कटआउटों, होर्डिगों, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन पर युक्तियुक्त निर्बधंन अधिरोपित कर सकेगा।

(2) यदि काई भी अभ्यर्थी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता, उप—धारा (1) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निर्बधनों में से किसी का भी उल्लघंन करता है तो वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो 2000 रू. तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) उप—धारा (1) के अधीन दंडित प्रत्येक व्यक्ति आयोग के आदेश से, किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य चुने जाने या होने के लिए ऐसी कालावधि के लिए, जो ऐसे आदेश की तारीख से छह वर्ष तक की हो सकेगी, निरर्हित किये जाने का दायी होगाः

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा, इस धारा के अधीन किसी भी निरर्हता को हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निरर्हता की कालावधि को कम सकेगा।

(4) कोई भी न्यायालय उप–धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध का, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये गये परिवाद के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा।

**23. निर्वाचन परिणामों का प्रकाशनः–** ऐसे व्यक्तियों के नाम, जो चाहे पंचायती राज संस्था के सदस्य निर्वाचित किये गये हों या ऐसी संस्थाओं के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, विहित रीति से प्रकाशित किये जायेंगे।

**24. शपथ या प्रतिज्ञानः–** किसी पंचायती राज संस्था का प्रत्येक सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस रूप में अपना कर्त्तव्य ग्रहण करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विहित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

**26. सरपंच और उसका निर्वाचनः–** (1) प्रत्येक पंचायत में एक सरपंच होगा जो पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हित व्यक्ति होना चाहिए और वह सम्पूर्ण पंचायत सर्किल के निर्वाचकों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित किया जायेगा।

(2) यदि किसी पंचायत सर्किल के निर्वाचक इस धारा के अनुसार सरपंच का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं या यदि पंच, उप–सरपंच का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार रिक्ति पर, ऐसी रिक्ति के, छह मास की कालावधि के भीतर–भीतर निर्वाचन द्वारा भरे जाने तक, किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति सम्यक् रूप से निर्वाचित सरपंच या, यथास्थिति उप–सरपंच समझा जायेगा।

**27. किसी पंचायत की स्थापना पर उप–सरपंच के निर्वाचन के लिए प्रक्रियाः–** (1) प्रत्येक पंचायत में एक उप–सरपंच होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन पहली बार किसी पंचायत की स्थापना पर, या तत्पश्चात उसके पुनर्गठन या स्थापना पर पंचायत की एक बैठक सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुरन्त बुलायी जायेगी जो स्वयं बैठक की अध्यक्षता करेगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा और ऐसी बैठक में उप–सरपंच निर्वाचित किया जायेगा।

**38. हटाया जाना और निलंबनः–** (1) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा और सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जॉच करने के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाये, किसी भी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए, किसी भी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी, जो–

(क) कार्य करने से इंकार करता है या इस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(ख) कर्त्तव्य के निर्वहन में अवचार या किसी भी अपकीर्तिकर आचरण का दोषी है;

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी जॉच, संबंधित पंचायती राज संस्था की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी प्रारम्भ की जा सकेगी या, यदि ऐसी समाप्ति के पूर्व ही प्रारम्भ कर दी गई थी तो उसके पश्चात् जारी रखी जा सकेगी और किसी भी ऐसे मामले में, राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा, लगाये गये आरोपों पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन हटाया गया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष राज्य सरकार के विवेक से, संबंधित पंचायती राज संस्था की सदस्यता, यदि कोई हो, से भी हटाया जा सकेगा।

(3) ऐसा सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो उप–धारा (1) के अधीन हटाया गया है या जिसके विरूद्ध निष्कर्ष उस उप–धारा के परन्तुक के अधीन अभिलिखित किये गये हैं, उसके हटाये जाने की तारीख या, यथास्थिति, उस तारीख, जिसको ऐसे निष्कर्ष अभिलिखित किये जाते हैं, से पांच वर्ष की कालावधि तक इस अधिनियम के अधीन चुने जाने का पात्र नहीं होगा।

(4) राज्य सरकार किसी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए किसी भी ऐसे सदस्य को निलंबित कर सकेगी जिसके विरूद्ध उप–धारा (1) के अधीन कोई जॉच प्रारम्भ कर दी गई है या जिसके विरूद्ध नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के संबंध में कोई भी दाण्डिक कार्यवाही किसी न्यायालय में विचारणाधीन है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निलंबन के अधीन रहते समय संबंधित पंचायती राज संस्था के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से विवर्जित हो जायेगा।

परन्तु राज्य सरकार भी किसी पंच को वार्ड सभा की सिफारिश पर या सरपंच को ग्राम सभा की सिफारिश पर निलम्बित कर सकेगी, किन्तु राज्य सरकार ऐसा तब ही करेगी जब किसी वार्ड सभा या, यथास्थिति, ग्राम सभा द्वारा पारित इस आशय के किसी संकल्प को राज्य सरकार द्वारा, सदस्यों की इच्छा का अंतिम अभिनिश्चय करने के लिये वार्ड सभा या, यथस्थिति, ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित करने के लिए कलेक्टर को निर्दिष्ट कर दिया गया हो और कलेक्टर द्वारा इस प्रकार आयोजित और उसके नामनिर्देशिती की अध्यक्षता वाली बैठक में उपस्थित सदस्यों ने, पंच या, यथास्थिति, सरपंच का निलंबन चाहने वाले संकल्प की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पुष्टि कर दी होः

परन्तु यह और कि पंच या, सरपंच का निलंबन चाहने वाला कोई भी संकल्प किसी पंच या, यथास्थिति, सरपंच द्वारा दो वर्ष की पदावधि पूर्ण कर लेने से पूर्व प्रस्तावित या पारित नहीं किया जायेगा।

(5) इस धारा के अधीन उद्‌भूत किसी भी मामले पर राज्य सरकार का विनिश्चय, धारा 97 के अधीन किये गये किसी आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत किये जाने के अधीन नहीं होगा।

**117. कतिपय विषयों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का वर्जनः**– इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी,–

(क) इस अधिनियम के अधीन किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित, निर्वाचन क्षेत्रों या वार्डों के परिसीमन से, या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों अथवा वार्डों को स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी भी विधि की विधिमान्यता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा; और

(ख) किसी भी पंचायती राज संस्था के किसी भी निर्वाचन को, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गयी किसी ऐसी निर्वाचन अर्जी के सिवाय, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित है, प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

**117–क सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जितः**– किसी भी सिविल न्यायालय को–

(क) कोई ऐसा प्रश्न कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार है या नहीं, ग्रहण करने या न्यायनिर्णीत करने की; अथवा

(ख) किसी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रधिकार के द्वारा या अधीन की गयी किसी कार्रवाई की या ऐसी किसी नामावली के पुनरीक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करने की; अथवा

(ग) किसी निर्वाचन के संबंध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त रिटर्निंग अधिकरी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गयी किसी कार्रवाई की या किये गये किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करने की, अधिकारिता नहीं होगी।

**119–ख :– अधिकारियों और कर्मचारीवृंद का राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जानाः**– इस अधिनियम के अधीन सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धियां करने और उनका संचालन करने के संबंध में नियोजित अधिकारी या कर्मचारीवृंद उस

कालावधि में, जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति समझे जायेंगे और ऐसे अधिकारी और कर्मचारीवृंद, उस कालावधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधीक्षण के अध्यधीन होंगे।

**119–ग कर्मचारीवृंद के लिए शास्ति–** (1) जहां इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों से संसक्त या निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि से संसक्त कर्तव्यों के पालन के लिए तैनात किया गया कोई कर्मचारी कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है या ऐसे कर्त्तव्य पर उपस्थित होकर, उसे समनुदेशित कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता है वहां वह ऐसी किसी कालावधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

# परिशिष्ट–4

[देखें पैरा–2, भाग 1]

# राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 से उद्धृत अंश

## अध्याय–4
## पंचों का निर्वाचन

**23. निर्वाचन की अधिसूचना** :-(1) आयोग के साधारण निदेश के अधीन रहते हुये, जब कभी अधिनियम के उपबंधों द्वारा किसी पंचायत सर्किल में पंचों का साधारण निर्वाचन कराया जाना आवश्यक हो जाए या अपेक्षित हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सार्वजनिक नोटिस द्वारा :-

(i) पंचायत सर्किल में के वार्ड/वार्डों से प्रत्येक से एक पंच का निर्वाचन सार्वजनिक नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, करने के अपेक्षा करेगा; और

(ii) निम्नलिखित नियत करेगा :-

(क) वह दिन जिसको और वह समय जिसके बीच में नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने हैं;

(ख) वह दिन जो नामनिर्देशन-पत्रों के प्रस्तुतीकरण के लिये नियत दिन से ठीक अगले दिन के पश्चात् का न हो, और उसका समय, जिसको ऐसे नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी;

(ग) वह दिन जो नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत दिन के ठीक अगले दिन के पश्चात् का न हो, और उसका समय जिस तक नामनिर्देशन वापस लिया जा सकेगा;

(घ) वह दिन, जिसको मतदान, यदि आवश्यक हो, होगा; और

(ङ) वह समय जिसके भीतर ऐसा मतदान होगा।

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिये, किसी व्यक्ति को नाम से और उसके पदाभिधान से रिटर्निंग अधिकारी के रूप में काये करने के लिये नियुक्त करेगा।

(3) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), रिटर्निंग अधिकारी के अपरिहार्य रूप से उसके कृत्यों के निर्वहन से निवारित हो जाने की दशा में, प्रत्येक पंचायत सर्किल के बूथों के लिये नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से किसी एक को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये भी प्राधिकृत कर सकेगा।

**24. रिटर्निंग अधिकारी के कर्त्तव्य और शक्तियां –** इन नियमों के द्वारा या अधीन किसी रिटर्निंग अधिकारी पर अधिरोपित कत्तव्यों और प्रदत्त शक्तियों के साथ–साथ ऐसे समस्त कार्य और बातें करना उसका साधारण कर्त्तव्य होगा जो इन नियमों के अधीन किसी निर्वाचन के प्रभावी संचालन के लिये आवश्यक हो और वह यह भी देखगा कि उसकी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान, यदि हो तो, निष्पक्ष संचालित होता है।

**24क. मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य और शक्तियां –** मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र पर व्यवस्था बनाये रखेगा, यह देखेगा कि मतदान निष्पक्ष संचालित हो रहा है और मतदान केन्द्र के भीतर किसी एक समय पर प्रवेश दिये जाने के लिये मतदाताओं की संख्या विनियमित करेगा और निम्नलिखित को छोड़कर उनमें से समस्त व्यक्तियों को बहार निकाल देगाः–

(क) सहायक मतदान अधिकारी,

(ख) निर्वाचन से संसक्त ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवक,

(ग) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति,

(घ) अभ्यर्थी,

(ड.) किसी मतदाता के साथ उसकी गोद में का कोई बच्चा, और

(च) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें वह निर्वाचकों की पहचान करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश दे।

**25. नाम निर्देशन–पत्रों का पेश किया जाना–** (1) नियम 23 के उप–नियम(1) के खण्ड (ii) के उप–खण्ड (ख) के अधीन नाम निर्देशन–पत्र के पेश करने के लिये नियत दिन को, धारा 19 के अधीन पंच के रूप में निर्वाचन के लिये अर्हित और ऐसे निर्वाचन लड़ने का इच्छूक कोई भी व्यक्ति, जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में अभ्यर्थी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, सम्यक् रूप से भरा हुआ और स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित या अंगूठे की छाप लगाया हुआ अपना नाम निर्देशन–पत्र प्ररूप 4घ के साथ प्ररूप 4 में रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिशः देगा;

परन्तु यदि अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र किसी आरक्षित वार्ड के लिये प्रस्तुत करे तो वह, कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा उस आशय का जारी किया गया प्रमाण–पत्र संलग्न करेगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के किसी अभ्यर्थी को साधारण वार्ड से निर्वाचन लड़ने से निवर्जित नही किया जायेगा;

परन्तु यह भी कि कोई पुरूष अभ्यर्थी, महिलाओं के लिये आरक्षित किसी वार्ड में नाम निर्देशन–पत्र दाखिल करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) उप नियम (1) में यथा – उपबंधित रूप से नहीं किया गया कोई भी नाम निर्देशन पत्र नामंजूर कर दिया जायेगा।

**26. नाम निर्देशन–पत्रों के परिदान पर प्रक्रियाः–** नियम 23 के अधीन नाम निर्देशन पत्रों के परिदान पर रिटर्निंग अधिकारी, उसे इस प्रकार पेश करने वाले व्यक्ति को, उसकी समीक्षा के लिए नियत दिन, समय और स्थान के बारे में सूचित और उस पर अपने हस्तलेख से निम्नलिखित पृष्ठांकित करेगा–

(i) वार्ड का क्रम संख्यांक जिससे अभ्यर्थी निर्वाचन चाहने का प्रस्ताव करे;

(ii) ऐसे वार्ड के लिए नाम निर्देशन पत्र का क्रम संख्यांक;

(iii) नाम निर्देशन पत्र देने वाले व्यक्ति के नाम के साथ–साथ ऐसे व्यक्ति की पहचान करने वाले व्यक्ति का नाम, यदि कोई हो ;

(iv) वह तारीख जिसको, और वह समय जिस पर, नाम निर्देशन पत्र उसे दिये गये।

**27. नाम निर्देशन–पत्रों की संवीक्षाः–** (1) नियम 23 के उप नियम (1) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (ख) के अधीन नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत दिन को और समय पर, रिटर्निंग अधिकारी उनकी परीक्षा करेगा।

(2) ऐसे परीक्षा के समय पर अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित रह सकेगें, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, रिटर्निंग अधिकारी उनकी परीक्षा करेगा।

(i) उनके द्वारा परिदत्त नाम निर्देशन पत्रों की परीक्षा के लिए समस्त समुचित सुविधायें और

(ii) उनमें से किसी पर भी आक्षेप करने का समुचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी ऐसे समस्त आक्षेपों पर विनिश्चय करेगा और या तो ऐसे आक्षेपों के आधार पर या स्वप्रेरणा से निम्नलिखित आधारों में से किसी पर नामनिर्देशन-पत्र को नामंजूर कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) कि अभ्यर्थी निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं है या निरर्हित हो गया है,

(ख) कि वह वही व्यक्ति नहीं है जिसका मतदाता सूची में का संख्यांक या नाम नामनिर्देशन-पत्र में वर्णित है;

(ग) कि उसके हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप असली नहीं है या कपट, प्रपीड़न या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया गया है;

(घ) कि नियम 25 के उपबन्धों के अनुपालन में चूक रही है।

(4) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र पर उसे मंजूर या नामंजूर करने का अपना विनिश्चय, और नामंजूरी के मामले में ऐसी न मंजूरी के लिए अपने कारणां का संक्षिप्त कथन पृष्ठांकित करेगा।

(5) संवीक्षा उसी दिन पूरी की जायेगी और कार्यवाही का कोई स्थगन अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

**28. अभ्यर्थिता वापस लेना** :-(1) कोई भी अभ्यर्थी, अपने द्वारा हस्ताक्षरित या अपने अंगूठे की छाप लगे हुए और व्यक्तिशः परिदत्त लिखित, नोटिस, रिटर्निंग अधिकारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत करके नियम 23 के उप-नियम (1) के खण्ड (ii) के उप-खण्ड (ग) के अधीन नियत तारीख को और समय तक अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा।

(2) वापसी का कोई नोटिस उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दिन और समय के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(3) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है, वापसी का नोटिस रद्द करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी उप-नियम (1) के अधीन वापसी का नोटिस प्राप्त होने पर, यथाशक्य शीघ्र, उसकी एक प्रति पंचायत कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर या जहां कोई पंचायत कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है वहां पंचायत मुख्यालय के किसी भी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करायेगा।

**29. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुपालित की जाने वाली पश्चात्वर्ती प्रक्रिया** :-(1) नियम 23 के उप-नियम (1) के अधीन नियत समय की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी उन

अभ्यर्थियों के नाम, जिनका नाम निर्देशन पत्र मंजूर कर लिया गया है, और वापस नहीं लिया गया है, **अभ्यर्थियों की सूची के अन्त में एवं नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही)** दर्शित करते हुए प्रत्येक वार्ड के लिए प्ररूप 5 में सूची तैयार करायेगा।

(2) यदि किसी वार्ड में एक ही अभ्यर्थी हो और उसका नाम निर्देशन मंजूर कर लिया गया है तो रिटर्निंग अधिकारी उसे सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(3) यदि किसी वार्ड से निर्वाचित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक हो तो रिटर्निंग अधिकारी–

(i) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतीकों में से प्रत्येक अभ्यर्थी को एक प्रतीक समनुदिष्ट करेगा,

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतीक/अपेक्षित प्रतीकों से कम पाये जाने की दशा में, रिटर्निंग अधिकारी, ऐसे अन्य प्रतीक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बतायी गयी रीति से आवंटित कर सकेगा जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी राजनैतिक दल के लिये आरक्षित नहीं किये गये हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग को और संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को सूचित करेगा।

(ii) ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के नाम वर्णमाला क्रम में, प्रत्येक के लिये समनुदिष्ट प्रतीक के साथ, वार्ड के सहजदृश्य स्थान पर चस्पा करवा के प्रकाशित करेगा और इस प्रकार प्रकाशित सूची की मूल प्रति निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

(iii) निर्देश देगा कि मतदान नियम 23 के उप नियम (1) के खण्ड (ii) के क्रमशः उप खण्ड (घ) और (ड.) के अधीन नियत तारीख को और समय के बीच होगा,

(iv) मतदान कराने के लिये आवश्यक और व्यवस्थाऐं करने के लिये अग्रसर होगा।

(4) (क) मतपत्र ऐसे प्ररूप में होंगे जो आयोग निर्दिष्ट करे और इनमें विशिष्टयां देवनागरी लिपि में हिन्दी में लिखी जायेगी।

(ख) अभ्यर्थियों के नाम, मतपत्र पर उसी क्रम में होंगे जिसमें प्ररूप 5 की सूची में दिये हुए हैं, मतपत्र पर अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) को अंकित किया जायेगा।

(ग) यदि एक ही नाम के दो या अधिक अभ्यर्थी हैं तो उनके नाम के साथ उनके पिता का, यथास्थिति, पति का नाम जोड़कर या किसी ऐसी अन्य रीति में, जो रिटर्निंग अधिकारी ठीक समझ सुभिन्न किये जायेंगे।

30. मतदान केन्द्र और मतदान बूथः– (1) यदि किसी वार्ड में मतदान कराना हो तो रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, मतदान केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करेगा;

परन्तु ऐसा चयनित स्थान सामान्यत: उस पंचायत मुख्यालय के बाहर का स्थान नहीं होगा जिसके लिए निर्वाचन कराया जाना है।

(2) रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक मतदान-केन्द्र में उतने मतदान बूथ स्थापित कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे और जहां इस प्रकार एक से अधिक बूथ स्थापित किये जाने हैं वहां वह निदेश देगा कि विनिर्दिष्ट क्रम संख्याकों से प्रारम्भ और समाप्त होने वाले वार्ड के उसकी मतदान सूची में के निर्वाचकों को या एक से अधिक वार्ड के निर्वाचकों को बूथ-विशेष में अपने-अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

(3) मतदान केन्द्र के स्थान की घोषणा संबंधी एक नोटिस पंचायत कार्यालय पर या, यदि पंचायत कार्यालय नहीं है तो मतदान केन्द्र के लिए चयनित स्थान पर, निर्वाचन होने से कम से कम एक दिन पूर्व, प्रकाशित किया जायेगा।

**31. मतदान अधिकारी और अन्य स्टॉफ** :-(1) प्रत्येक मतदान बूथ के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नामनिर्देशन अधिकारी, नाम से या पदाभिधान से, मतदान अधिकारी/सहायक मतदान अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए इतने व्यक्ति और इतना अन्य स्टॉफ नियुक्त करेगा जितना प्रत्येक मतदान अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की सहायता करने के लिए वह आवश्यक समझे;

परन्तु यदि कोई मतदान अधिकारी या स्टॉफ का कोई भी अन्य सदस्य मतदान केन्द्र या मतदान बूथ से अनुपस्थित है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अनुपस्थित व्यक्ति के स्थान पर कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तदनुसार सूचित करेगा;

परन्तु यह और कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो निर्वाचन में या उसके बारे में किसी अभ्यर्थी के द्वारा या उसके निमित्त नियोजित किया गया हो या उसके लिए अन्यथा कार्य कर रहा हो, मतदान अधिकारी या स्टॉफ के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त मतदान अधिकारी और अन्य स्टॉफ ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इन नियमों द्वारा उन पर अधिरोपित किये गये हैं या जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपे गये हैं।

**स्पष्टीकरण** :- पंचायत निर्वाचन में मतदान अधिकारी किसी मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी के रूप में कृत्य करेगा।

**32. निर्वाचन सामग्री का प्रदायः–** (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र को मतपत्र, मतदाता सूचियों की प्रतियां, मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए निर्वाचकों के लिए आवश्यक उपकरणों और मतपेटियों को सम्मिलित करते हुए, मतदाताओं को उनके अपने–अपने मत डालने में समर्थ बनाने के लिए प्रयोजनार्थ पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) ऐसी सामग्री का प्रदाय करने में, मतदान केन्द्र पर मतदान करने के हकदार निर्वाचकों को संख्या और उसमें स्थापित मतदान बूथों की संख्या को ध्यान में रखा जायेगा।

**33. मतपेटियांः–** (1) मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त प्रत्येक मतपेटी पर पंचायत का नाम और पंचायत के सर्किल के वार्ड का संख्याक होगा।

(2) प्रत्येक मतपेटी इस प्रकार सनिर्मित की जायेगी कि मतपत्र उसमें डाले तो जा सकेंगे किन्तु पेटी का ताला खोले बिना उसमें से निकालें नहीं जा सकेंगे।

**34. मतदान का प्रारम्भः–** (1) मतदान का प्रारम्भ ऐसे प्रारम्भ के लिए नियत समय पर होगा।

(2) ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रत्येक मतदान अधिकारी–

(i) प्रत्येक मतपेटी, इस तथ्य के सत्यापन के लिए कि वह खाली है, ऐसे अभ्यर्थियों को दिखलायेगा जो उस समय उपस्थित हों,

(ii) तत्पश्चात उसके ताला लगायेगा,

(iii) उस पर ऐसी रीति से मुहर लगायेगा कि मुहर को तोड़े बिना उसका खोला जाना या उसका ताला खोला जाना रोका जा सके,

(iv) उसे अपने सामने रखेगा।

**35. निर्वाचनों में मतदान की रीति–** प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान किया जाता है, इस नियम के अधीन अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, मत मतदान केन्द्र में या नियम 20 के

उप–नियम (2) के अधीन उपबंधित मतदान बूथ में मतपत्र द्वारा और व्यक्तिगत रूप से डाले जायेंगे और मतदान अधिकारी किन्ही भी मतों की प्राक्सी द्वारा डाले जाने की अनुज्ञा नहीं देगाः

परन्तु ऐसे वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान मशीन द्वारा मत डाला या अभिलिखित किया जाना अंगीकृत किया जा सकेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये विनिर्दिष्ट करेः

परन्तु यह और कि निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी उस रीति से डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

**स्पष्टीकरण 1:** इस नियम के प्रयोजन के लिये, ''मतदान मशीन'' से मत देने या अभिलिखित करने के लिये प्रयुक्त कोई मशीन या साधित्र, चाहे इलेक्ट्रोनिक रूप से या अन्यथा संचालित हो, अभिप्रेत है और इन नियमों में किसी मतपत्र के निर्देश से, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसी मतदान मशीन, जहां किन्ही किसी निर्वाचन में ऐसी मतदान मशीन प्रयुक्त की गयी है, के निर्देश को सम्मिलित करते हुये अर्थ लगाया जायेगा।

**स्पष्टीकरण 2:** ''निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता'' से कोई मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या अन्य लोक सेवक, जो किसी पंचायती राज संस्था में मतदाता है, और उसके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण मतदान केन्द्र, जहां वह मतदान देने का हकदार है, पर मतदान करने में असमर्थ है, अभिप्रेत है।

**36. मतदान की गोपनीयता के लिए व्यवस्थाः–** (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र या, यथास्थिति बूथ में एक पृथक कोष्ठ होगा जिसमें मतदाता पर्दे में अपना मत डाल सके।

(2) जब निर्वाचक ऐसे कोष्ठ में हो तब नियम 41 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये कोई भी अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।

(3) मतदान अधिकारी अभ्यर्थियों के साथ, यदि वे ऐसी वांछा करें तो, ऐसे कोष्ठ में यदा-कदा तब प्रवेश कर सकेगा जब कोष्ठ में कोई भी निर्वाचक नहीं हो।

**37. निर्वाचकों की अनन्यता** :-किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों के प्रति निर्देश से निर्वाचक का अनन्यता के बारे में स्वयं का समाधान करेगा। वह इस निमित्त उठाये गये किसी भी आक्षेप का वहीं और उसी समय सुनवाई और विनिश्चय भी करेगा। वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को मतपत्र जारी करने से इन्कार कर सकेगा जो ऐसी अनन्यता निश्चित करने के प्रयोजनार्थ उससे पूछे गये किसी भी युक्तियुक्त प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करे या जिसकी अनन्यता उसको समाधानप्रद रूप से साबित नहीं होती है, किन्तु मतपत्रों को जारी किये जाने से मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टियों में किसी भी मुद्रण संबंधी भूल या लोप के आधार पर इन्कार नहीं किया जायेगा, यदि निर्वाचक की अनन्यता अन्यथा साबित हो जाती है।

**38. प्रतिरूपण के विरुद्ध उपाय** :-(1) ऐसा प्रत्येक मतदाता, जिसकी अनन्यता के बारे में रिटर्निंग अधिकारी या, यथास्थिति, मतदान अधिकारी का समाधान हो जाये अपने बायें हाथ की तर्जनी अंगुली का रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी से निरीक्षण करवायेगा और उस पर अमिट स्याही का चिन्ह लगवायेगा।

(2) यदि कोई मतदाता उपनियम (1) के अनुसार अपनी बायीं तर्जनी का निरीक्षण या चिन्ह न करने देने से इन्कार करे या उसके बायें हाथ की तर्जनी पर पहले से ही ऐसा चिन्ह हो या स्याही के चिन्ह को हटाने की दृष्टि से कोई भी कार्य करे तो उसे कोई भी मत-पत्र प्रदत्त नहीं किया जायेगा और मत नहीं देने दिया जायेगा।

**स्पष्टीकरण** :- इस नियम में, किसी मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली के प्रति किसी निर्देश का अर्थ ऐसे मामले में, जहां किसी मतदाता की उसके बायें हाथ की तर्जनी अंगुली नहीं हो वहां, उसके बायें हाथ की किसी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश लगाया जायेगा और ऐसे मामले में, जहां उसके बायें हाथ की सभी अंगुलियां नहीं हों वहां उसके दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली या किसी भी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश लगाया जायेगा, और ऐसे मामले में, जहां उसके दोनों हाथों की सभी अंगुलियां नहीं हों वहां, उसकी बायीं या दायीं बांह के ऐसे छोर के प्रति निर्देश लगाया जायेगा जो भी उसके हो।

**39. मतपत्र** :-(1) प्रत्येक मतपत्र, निर्वाचक को जारी किये जाने से पूर्व ऐसी रीति से अनुप्रमाणित किया जायेगा जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जाये।

(2) किसी निर्वाचक को कोई मतपत्र जारी करते समय, मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी उसका क्रम संख्यांक इस प्रयोजन के लिए अलग रखी गयी मतदाता सूची (चिन्हित प्रति) में मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के सामने अभिलिखित करेगा।

(3) उप-नियम (2) में यथा उपबंधित के सिवाय मतदान केन्द्र में का कोई भी व्यक्ति विशिष्ट निर्वाचकों को जारी किये गये मतपत्रों के क्रम संख्यांक नोट नहीं करेगा।

**40. मतदान की रीति** :-(1) कोई निर्वाचक उसको जारी किया गया मतपत्र प्राप्त कर लेने पर, किसी भी एक मतदान कोष्ठ में तुरन्त जायेगा, वहां, इस प्रयोजन के लिए दिये गये उपकरण से मतपत्र के मुख भाग पर अभ्यर्थी के प्रतीक या नाम पर या नाम और प्रतीक के सामने ऐसे अभ्यर्थी के लिए निश्चित खाली स्थान में मुद्रित स्तम्भ में चिन्ह लगायेगा जिसके लिए मत देने का उसका आशय हो, और तत्पश्चात् इस प्रकार से चिन्हित मतपत्र इस प्रकार मोड़ेगा कि जिससे उसका मत छिपा रह जाये और इस प्रकार मोड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डाल देगा जो कि रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी के सामने रखी जायेगी।

(2) प्रत्येक निर्वाचक अपना मत या अपने मत किसी असम्यक् विलम्ब के बिना अभिलिखित करेगा और डालेगा और मतदान कोष्ठ, मतदान बूथ और मतदान केन्द्र से यथा सम्भव शीघ्र सुविधानुसार चला जायेगा।

**41. अन्ध और शिथिलांग निर्वाचकों को सहायता** :-(1) यदि कोई निर्वाचक अन्धता या शारीरिक अंग शैथिल्य के कारण नियम 40 के अधिकथित रीति से अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो तो मतदान अधिकारी निर्वाचक के निर्देशानुसार ऐसा करेगा और उसे ऐसे मोड़ेगा जिससे मत छिपा रह जाये और उसे मतपेटी के अन्दर डालेगा और नियम 39 में निर्दिष्ट मतदाता सूची की प्रति में ऐसे निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने ऐसी कार्रवाई के लिए संक्षिप्त टिप्पण करेगा।

**42. खराब हुए मतपत्र** :-ऐसा निर्वाचक, जो अपना मतपत्र अनवधानता से ऐसी रीति से काम में लाता है कि वह उस रूप में सुविधानुसार उपयोग में नहीं लाया जा सकता हो तो मतदान अधिकारी को उसका प्रदाय कर दिये जाने पर और अनवधानता के संबंध में उसका समाधान कर दिये जाने पर खराब हुए मतपत्र के स्थान पर दूसरा मतपत्र प्राप्त कर सकेगा और ऐसे खराब हुए मतपत्र को मतदान अधिकारी द्वारा ''रद्द'' चिन्हित किया जायेगा।

**44. निविदत्त मत** :-(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी बाबत यह व्यपदिष्ट करके कि वह विशिष्ट निर्वाचक है ऐसे निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिया जाने के पश्चात् मतपत्र के लिए आवेदन करता है तो अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधप्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसे रिटर्निंग अधिकारी या कोई भी मतदान अधिकारी पूछे, वह इस नियम के निम्नलिखित उपबंधों के अध्यधीन रखते हुए इसमें (इसके पश्चात् इन नियम में "निविदित्तमत पत्र" के रूप में निर्दिष्ट) मतपत्र को चिन्हित करने का हकदार ऐसे होगा जैसे कोई अन्य निर्वाचक होता है।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किये जाने से पहले अपना नाम प्ररूप 6 की सूची में अपने से संबंधित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षरित करेगा।

(3) निविदत्त मतपत्र, इसके सिवाय कि वह-

(क) मतदान केन्द्र या बूथ में उपयोग के लिए दिये गये मतपत्रों के बंडल, में क्रम में अंतिम होगा, और

(ख) उसके पृष्ठ पर शब्दों "निविदत्त मतपत्र" से किसी भी मतदान अधिकारी द्वारा उसके स्वयं के हाथ पृष्ठांकित होगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा, वैसा ही होगा जैसा मतदान में उपयोग में लाया जाने वाला अन्य मतपत्र होता है।

(4) निर्वाचक निविदत्त मतपत्र को मतदान कोष्ठ में चिन्हित करने और उसके मोड़ने के पश्चात् उसे मतपेटी में रखने के बजाय उसे रिटर्निंग अधिकारी या किसी भी मतदान अधिकारी को देगा जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा।

**45. अवचार के लिए मतदान केन्द्र से हटाया जाना** :-(1) यदि कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र पर स्वयं अवचार करे, या वहां नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी या किसी भी मतदान अधिकारी के विधिपूर्ण आदेशों का पालन न करे तो रिटर्निंग अधिकारी या, यथास्थिति, ऐसा मतदान अधिकारी ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं इस प्रकार अवचार कर रहा हो, मतदान केन्द्र से तुरन्त हटायेगा या वहां उपस्थित किसी भी पुलिस अधिकारी को उसे हटाने का आदेश देगा और ऐसे व्यक्ति को, रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी की अनुमति के बिना मतदान केन्द्र पर पुनः प्रवेश के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी मतदान केन्द्र से हटाये जाने का आदेश इस प्रकार नही दिया जायेगा ताकि अपना मत डालने के हकदार मतदाता को वहां मतों को डालने का कोई अवसर प्राप्त करने से निवारित किया जा सके।

**46. मतदान का समापनः—** (1) मतदान अधिकारी, ऐसे बन्द किये जाने के लिए नियत समय पर मतदान केन्द्र को बन्द करेगा जिससे किसी निर्वाचक को उसके पश्चात् उसमें प्रविष्ट होने से रोका जा सके।

(2) तथापि, किसी भी ऐसे निर्वाचक को जिसे उसमें उस समय के पूर्व प्रवेश दे दिया गया हो, उसे समय के पश्चात भी मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

**47. मतदान के समापन पर प्रक्रियाः—** (1) मतदान बन्द कर दिये जाने के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से, मतदान अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की उपस्थिति में, जो वहां उपस्थति हों

(i.) मतदान केन्द्र पर उपयोग में लायी गई प्रत्येक मतदान पेटी की यह देखने के लिए परीक्षा करेगा कि वह खुली हुई नही हैं, और उसके साथ छेड़—छाड़ नही की गई हैं,

(ii.) उस पर अपनी मुहर लगायेगा,

(iii.) पृथक—पृथक पैकेटों में निम्नलिखित रखेगा :—

(क) निविदत्त मतों वाला लिफाफा,

(ख) अप्रयुक्त मतपत्र,

(ग) खराब हुए मतपत्र,

(घ) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, और

(iv.) ऐसे प्रत्येक पैकेट पर अपनी मुहर लगायेगा।

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी द्वारा या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस निमित्त दिये गये किन्हीं भी निदेशों के अध्यधीन रहते हुए उपनियम (1) में निर्दिष्ट मतपेटियां और पैकेट-मतदान अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित किये जायेंगे।

**48. मतदान का स्थगन** :-(1) रिटर्निंग अधिकारी आपातकाल में, जैसे लोक शांति में सम्भाव्य विघ्न होने पर, मतदान बन्द कर सकेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा नाम निर्देशित किसी अधिकारी के द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले किसी पश्चात्वर्ती दिन के लिए उसके स्थगन की घोषणा कर सकेगा।

(2) ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण ऐसा बन्द या स्थगन किया गया, रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी को रिपोर्ट की जायेगी।

**48 क मतपेटियों के विनिष्ट होने आदि की दशा में नया मतदान**— (1) यदि किसी निर्वाचन में-

(क) किसी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिये नियत किसी स्थान पर उपयोग में लाई गई कोई मतपेटी पीठासीन अधिकारी, या रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरुद्ध तथा निकाल ली जाती है या घटनावश या साशय विनष्ट हो जाती है, या खो जाती है या ऐसी सीमा तक नुकसान पहुँचाया जाता है या उसमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता; या

(ख) किसी मतदान मशीन में मत रिकार्ड करने या मतगणना करने के दौरान कोई यांत्रिक विफलता पैदा हो जाती है; या

(ग) किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर प्रक्रिया संबंधी ऐसी कोई गलती या अनियमितता की जाती है जिससे यह सम्भाव्य है कि मतदान दूषित हो जाये;

तो रिटर्निंग अधिकारी उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तुरन्त करेगा।

(2) तत्पश्चात निर्वाचन आयोग समस्त तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, या तो-

(क) उस मतदान केन्द्र में या स्थान पर उस मतदान को शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र में या स्थान पर नया मतदान कराने के लिए दिन और समय नियत करेगा और इस प्रकार नियत दिन और इस प्रकार नियत समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा, जो वह ठीक समझे, या

(ख) यदि समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र पर या स्थान पर किसी नये मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा या कि (मतदान मशीन की यांत्रिक विफलता या) प्रक्रिया संबंधी गलती या अनियमितता तात्विक नहीं है तो रिटर्निंग अधिकारी को उस निर्वाचन के आगे के संचालन और पूरा किये जाने के लिए ऐसे निदेश जारी करेगा जो वह समुचित समझे।

(3) अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों एवं आदेशों के उपबंध नये मतदान के संचालन के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

**48 ख. बूथों के बलात् ग्रहण के कारण मतदान का स्थगित या निर्वाचन** का प्रत्यादिष्ट **किया जाना:-** (1) यदि किसी निर्वाचन में,-

(क) किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत स्थान पर (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् स्थान कहा गया है) बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया गया है जिससे ऐसे मतदान केन्द्र या स्थान में मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है; अथवा

(ख) किसी मतगणना स्थान पर बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया जाता है कि उस स्थान पर मतगणना का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो रिटर्निंग आफिसर उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तत्क्षण करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग रिटर्निंग आफिसर से उप-नियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर और सब सात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर या तो,-

(क) उस मतदान केन्द्र या स्थान में उस मतदान को, शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान मे नए सिरे से मतदान के लिए दिन और समय नियत करेगा और ऐसे नियत दिन और समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा, जैसी वह ठीक समझे; अथवा

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अधिक संख्या में मतदान केन्द्रों या स्थानों के बलात् ग्रहण को देखते हुए निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव पड़ने की संभाव्यता है या यह कि बूथों के बलात् ग्रहण का मतों की गणना पर ऐसी रीति से प्रभाव पड़ा है जिससे निर्वाचन का परिणाम प्रभावित होगा, तो वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करेगा।

**स्पष्टीकरण-** इस नियम के प्रयोजनों के लिए ''बूथ का बलात् ग्रहण'' के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को मतदान करने से निवारित करना;

(ग) किसी निर्वाचक को धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;

(ङ) सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।

**48 ग-** नियम 48 (क) और 48 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियां निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अथवा निर्वाचन आयोग के अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यारोपित की जा सकेगी।

**49. मतों की गणना** :-(1) मतों की गणना, उस तारीख को और ऐसे समय और ऐसे स्थान पर जो रिटर्निंग अधिकारी नियमत करें, प्रारंभ की जायेगी।

(2) ऐसी तारीख, समय और स्थान, सभी अभ्यर्थियों को संसूचित किया जायेगा।

(3) मतों की गणना, रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा या उसके अधीक्षण के अधीन की जायेगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को गणना के समय उपस्थित होने का अधिकार होगा।

(4) मतदान अधिकारी और सहायक अधिकारियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के सिवाय, जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी इस कार्य में उसकी सहायता करने के लिए अनुज्ञा दे, मतों की गणना के समय किसी भी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(5) रिटर्निंग अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी को उन, मतपत्रों को वह जिन्हें वह नामंजूर किये जाने योग्य समझता है, उन्हें उठाये बिना निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात करेगा।

(6) गणना-स्थल पर उपस्थित प्रत्येक अभ्यर्थी, मतों की गणना के दौरान किसी भी समय, रिटर्निंग अधिकारी से उस वार्ड से संबंधित मत-पत्रों की पुनर्गणना करने के लिए लिखित में प्राथना कर सकेगा और रिटर्निंग अधिकारी, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से या तो प्रार्थना को नामंजूर कर सकेगा या मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकेगा।

(7) रिटर्निंग अधिकारी, स्वविवेक से सभी अभ्यर्थियों या उनमें से किसी के भी मतपत्रों को एक बार या एकाधिक बार पुनर्गणना कर सकेगा यदि उसका ठीक पूर्ववर्ती गणना के सहीपन के बारे में समाधान नही हो।

(8) प्रत्येक ऐसा मतपत्र जिसे नियम 50 के अधीन नामंजूर नही किया गया है उसे विधिमान्य समझा जायेगा और उसे एक विधिमान्य मत के रूप में गिना जायेगा।

(9) रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी एवं नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) को दिये गये सभी विधिमान्य मतों की गणना करेगा और गणना किये गये मतपत्रों के और उन मतपत्रों के जिन्हे नामंजूर किया गया है अभ्यर्थीवार पैकेट बनायेगा और ऐसे सभी पैकेट समुचित रूप से मुहरबन्द किये जायेंगे।

**49 (क) गणना के समय मतपत्रों का विनाश, हानि आदि–** (1) यदि मतों की गणना समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत स्थान पर उपयोग में लाये गये कोई मतपत्र निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में से विधिविरूद्धतया निकाल लिए जाते है अथवा घटनावश या साक्ष्य विनष्ट हो जाते हैं या कर दिये जाते हैं या खो जाते हैं या खो दिये जाते हैं अथवा इस विस्तार तक उनको नुकसान पहुंचाया जाता है या उनमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता तो रिटर्निंग अधिकारी उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तत्क्षण करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग तब सब तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर या तो –

(क) निर्देश देगा कि मतों की गणना बन्द की जाए, घोषणा करेगा कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर का मतदान शून्य है उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नये मतदान के लिए कोई दिन और समय नियत करेगा तथा ऐसी नियत तारीख और ऐसा नियत समय ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी वह ठीक समझे, अथवा

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि इस मतदान केन्द्र या स्थान पर नये मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार प्रभावित नही होगा, तो रिटर्निंग अधिकारी की गणना के पुनारम्भ और पूरे किये जाने के लिए और उस निर्वाचन के आगे संचालन और पूरे किये जाने के लिए जिसके बारे में मतों की गणना की गई है ऐसे निर्देश देगा जैसे वह उचित समझे।

(3) इस अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों या निकाले गये आदेशों के उपबंध हर ऐसे मतदान को ऐसे लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान को लागू है।

**49 ख-** नियम 49 (क) के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियां निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अथवा निर्वाचन आयोग के अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यारोपित की जा सकेगी।

**50. मतपत्रों का नामंजूर किया जाना :-** (1) कोई मतपत्र नामंजूर किये जाने योग्य होगा-

(i) यदि, उसमें ऐसा कोई भी चिन्ह हो जिससे निर्वाचक की शनाख्त की जा सके,

(ii) यदि, उस पर एक से अधिक अभ्यर्थी के लिये चिन्ह लगे हुए हों,

(iii) यदि किसी भी मतपत्र के मुख पर कोई भी मत अभिलिखित नहीं किया गया हो या मत, मतपत्र के पृष्ठ भाग पर अभिलिखित किया गया हो या उसे इस प्रयोजन के लिये प्रदायित उपकरण से अन्यथा अभिलिखित किया गया हो,

(iv) यदि, मतपत्र उस पर अभिलिखित किये गये मत की अनिश्चितता के कारण शून्य हो, या

(v) यदि वह जाली मतपत्र हो, या

(vi) यदि वह इतना नुकसानग्रस्त या विकृत हो गया हो कि उसकी असली मतपत्र के रूप में पहचान सिद्ध नहीं की जा सके।

(2) उप-नियम (1) में प्रगणित आधारों में से किसी भी आधार से अन्यथा किसी भी मतपत्र को नामंजूर नहीं किया जायेगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक ऐसे मतपत्र पर, जिसे वह नामंजूर करता है ऐसे नामंजूर किये जाने के कारणों का संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी का मतपत्र की विधिमान्यता के बारे में या अन्यथा विनिश्चय अन्तिम होगा।

**51. मतों की समानता :-** मतों की समानता के मामले में परिणाम ऐसी रीति से लाट निकालकर घोषित किया जायेगा जो रिटर्निंग अधिकारी उचित समझे।

**52. निर्वाचन का परिणाम :-** (1) जब मतों की गणना पूर्ण कर ली गई हो तब रिटर्निंग अधिकारी-

(क) निम्नलिखित के पृथक् पैकेट बनायेगा-

(i) गिने गये विधिमान्य मतपत्र, और

(ii) गणना के समय नामंजूर किये गये मतपत्र;

(ख) ऐसे प्रत्येक पैकेट पर अपनी मुहर लगायेगा;

(ग) निम्नलिखित उपवर्णित करते हुए प्ररूप-7 में एक विवरणी तैयार और प्रमाणित करेगा :-

(i) उन अभ्यर्थियों के नाम और पते जिन्हें नियम 29 के उप-नियम (2) के अधीन निर्विरोध निर्वाचित किया गया हो,

(ii) उन अभ्यर्थियों के नाम और पते जिनके पक्ष में विधिमान्य मत डाले गये हैं,

(iii) प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या,

(iv) अविधिमान्य के रूप में नामंजूर किये गये मतों की संख्या, और

(v) उस लाट का परिणाम, यदि कोई हो, जो नियम 51 के अधीन निकाला गया हो, और

(घ) उस अभ्यर्थी को, जिसने मतदान और नियम 51 के अधीन निकाले गये लाट के परिणामस्वरूप अधिकतम संख्या में मत अर्जित किये हों, निर्वाचित हुआ घोषित करेगा, और

(ङ) उन वार्डों को विनिर्दिष्ट करेगा जिनमें पंच निर्वाचित नहीं हुए हों।

(2) रिटर्निंग अधिकारी यथाशक्य शीघ्र,-

(i) उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गयी विवरणी की एक प्रति पंचायत के कार्यालय को, यदि कोई हो, अग्रेषित करेगा,

(ii) ऐसी एक प्रति पंचायतों के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी को और नये निर्वाचित सरपंच को अग्रेषित करेगा,

(iii) निर्वाचन से संबंधित समस्त कागजातों के साथ उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अग्रेषित करेगा,

(iv) उस खण्ड की पंचायत समिति को ऐसी एक प्रति जिसके भीतर वह पंचायत सर्किल पड़ता हो, अग्रेषित करेगा,

(v) निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर को ऐसी एक प्रति अग्रेषित करेगा।

**53. निर्वाचन के कागजात की अभिरक्षा, उनका पेश किया जाना, उनका निरीक्षण और विनाशन में किया जाना :-** (1) निर्वाचन से संबंधित सभी कागजात जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा रहेंगे।

(2) सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन के सिवाय उपयोग में लिये गये मतपत्रों के पैकेट, चाहे वे विधिमान्य हों, निविदत्त या नामंजूर किये हुए हों और मतदान सूची की

चिन्हित प्रतिलिपियों को नहीं खोला जायेगा और उनकी अन्तर्वस्तु का निरीक्षण या उसे पेश नहीं किया जायेगा।

(3) आयोग या किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा दिये गये किसी भी प्रतिकूल निदेश के अध्यधीन रहते हुए,-

(क) उपयोग में लाये गये मतपत्रों के पैकेट छः मास की कालावधि के लिये प्रतिधारित किये जायेंगे और उसके पश्चात् ऐसी रीति से विनष्ट कर दिये जायेंगे जिसका आयोग निदेश दे;

(ख) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अन्य पैकेट या कागजात एक वर्ष के लिये प्रतिधारित किये जायेंगे और उसके पश्चात् विनष्ट कर दिये जायेंगे;
परन्तु उपयोग में ले लिये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण वाले पैकेट आयोग के पूर्वानुमोदन के सिवाय विनष्ट नहीं किये जायेंगे;

(ग) निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य सभी कागजात ऐसी कालावधि के लिये प्रतिधारित किये जायेंगे जिसका आयोग निदेश दे।

**54. पंचों के नामों की अधिसूचना** :-नियम 52 के अधीन निर्वाचित सभी पंचों के नाम आयोग द्वारा राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किये जायेंगे।

**55. उप-निर्वाचन** :-जब कभी किसी पंच का पद रिक्त हो जाये और धारा 42 के अधीन कोई उप-निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित हो तो, नियम 25 से 54 तक के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी रिक्ति को भरने के लिये किये जाने वाले प्रत्येक उप-निर्वाचन पर लागू होंगे।

# अध्याय–5
## सरपंच का निर्वाचन

**56. सरपंच और पंचों का साथ–साथ निर्वाचन :–** (1) नियम 23 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी साधारण निर्वाचन के प्रत्येक अवसर पर धारा 26 की उप–धारा (1) के अधीन किसी पंचायत के सरपंच का निर्वाचन उसके पंचों के निर्वाचन के साथ–साथ करवाया जायेगा।

(2) कोई अभ्यर्थी किसी निर्वाचन में इतने मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा जितने पंचायत में मतदान केन्द्र हैं और जब कभी कोई ऐसी नियुक्ति की जाये, उस नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में दी जायेगी।

(3) नियम 23 से 54 तक के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित, यथाशक्त ऐसे निर्वाचन पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि सरपंच का नाम निर्देशन–पत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 500/– रूपये का और महिला अभ्यर्थियों तथा अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 250/– रूपये का प्रतिभूति निक्षेप उसके साथ न हो, सिवाय ऐसे अभ्यर्थियों के प्रतिभूति प्रतिदेय होगी जो निर्वाचित नहीं किया जाये और उस निर्वाचन में डाले गये कुल वैद्य मतों का कम से कम षष्ठांश प्राप्त न कर पाये, उसकी दशा में वह समपहृत हो जायेगी।

परन्तु निर्वाचन में जहो एक अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन–पत्रों से नाम निर्दिष्ट हुआ है तो इस उप नियम में एक से अधिक निक्षेप अपेक्षित नहीं होगा।

'परन्तु यह और कि ऐसे निर्वाचनों में जहां मतदान मशीनें प्रयुक्त की जायें वहां ऐसे निर्वाचनों में नियम 32, 33, 34, 36 से 44, 47, 49, 50, 52 और 53 के उपबन्धों के बजाय, जहां तक हो सके, अध्याय 4क के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।'

(4)(क) जब तक सरपंच के निर्वाचन के लिये कोई पृथक मतदान कोष्ठ और या कोई पृथक मतपेटी उपलब्ध नहीं करायी गयी हो, पंच के निर्वाचन के संबंध में निर्वाचकों के द्वारा मत डाले जाने के लिये भी उपयोग कराये गये मतदान कोष्ठ या मतपेटी को सरपंच के निर्वाचन के संबंध में निर्वाचकों के द्वारा मत डाले जाने के लिये भी उपयोग में लिया जा सकेगा।

(ख) पंच और सरपंच के निर्वाचन के लिये एक मतपेटी दी जाने या उपयोग में ली जाने की दशा में नियम 33(1) में उल्लिखित विशिष्टियों के अलावा शब्द ''सरपंच'' भी मतपेटी पर लिखा जायेगा।

(ग) यदि सरपंच के निर्वाचन के लिये कोई पृथक मतपेटी दी जाती है या उपयोग में ली जानी है तो उस मतपेटी पर पंचायत का नाम और शब्द ''सरपंच'' लिखा होगा।

(5) किसी पंच के निर्वाचन के लिये मतदान बूथ पर मतदान करने के लिये और प्रत्येक निर्वाचक को सरपंच के निर्वाचन के लिये दूसरा मतपत्र जारी किया जायेगा।

(6) किसी पंचायत सर्किल के सरपंच को निर्वाचित करने में विफल रहने पर, उक्त तथ्य को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तुरन्त रिर्पोट की जायेगी, जो आयोग और राज्य सरकार को सूचित करेगा। तदुपरान्त राज्य सरकार धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सरपंच के रूप में नियुक्त करेगी।

**57. सरपंच का उप निर्वाचनः–** जब कभी किसी सरपंच का पद रिक्त हो जाये और धारा 42 के अधीन कोई उप निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित हो तो नियम 23 से 56 तक के उपबंध रिक्ति को भरने के लिये करवाये जाने वाले प्रत्येक निर्वाचन पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

# अध्याय-6

## पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन

**58. पंचायत समिति/जिला परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन :-** (1) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), आयोग द्वारा अवधारित समय अनुसूची के अनुसार अधिसूचना द्वारा जिले में पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों और जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक से एक सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करेगा और-

(क) वे तारीखें, जिनको और वह समय, जिसके बीच रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने हैं, नियत करेगा;

(ख) नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिये नियत किये गये अंतिम दिन का आगामी दिन और उसका वह समय, जब ऐसे नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी, नियत करेगा;

(ग) वह दिन, जो नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा करने के लिये नियत दिन के आगामी दिन के बाद का नहीं होगा और उसका वह समय, जिसके बीच नामनिर्देशन-पत्र वापस लिये जा सकेंगे, नियत करेगा;

(घ) वह दिन, जो नामनिर्देशन वापस लेने के लिये नियत तारीख के पश्चात् से 7 दिन पूर्व का नहीं होगा जिसका मतदान, यदि आवश्यक हो, किया जायेगा, नियत करेगा;

(ङ) वह समय जिसके भीतर ऐसा मतदान किया जायेगा, नियत करेगा;

(च) वह स्थान, तारीख और समय जब मतों की गणना प्रारम्भ की जायेगी, नियत करेगा।

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रत्येक पंचायत समिति के लिये, उसके सदस्यों के निर्वाचन के लिये एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा और उसकी सहायता करने के लिये सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगा।

(3) आयोग जिला परिषद् के सदस्यों से निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी और उसकी सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त करेगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का, इन नियमों के अधीन पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन प्रभावी रूप से करवाने के लिए नियम 24 में उल्लिखित कृत्यों को पालन करने का, साधारण कर्त्तव्य होगा।

---

"(5) पंचायत समितियों/जिला परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन के लिये, जहां तक हो सके, यदि जहां मतपेटियां प्रयुक्त की जाये, वहां नियम 24क से 54 तक के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे, और यदि जहां मतदान मशीनें प्रयुक्त की जायें वहां नियम 24क से 31, 35, 45, 46, 48, 48क, 48ख, 48ग, 49क, 49ख, 51 और 54 तथा अध्याय 4क के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे:"

**58 क. जिला परिषद या पंचायत समिति के सदस्यों का उप निर्वाचन** :-जब कभी जिला परिषद या पंचायत समिति के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाये और धारा 42 के अधीन कोई उप निर्वाचन कराना अपेक्षित हो तो, नियम 58 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी रिक्ति को भरने के लिये किये जाने वाले प्रत्येक उप-निर्वाचन पर लागू होंगे।

# अध्याय-9

## उप-सरंपच का निर्वाचन

**65. उप-सरपंच का निर्वाचन** :-(1) उप-सरपंच का निर्वाचन, वार्ड पंच और सरपंच के निर्वाचन की तारीख के अगले दिन होगा;

परन्तु रिटर्निंग अधिकारी लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, यह व्यवस्था दे सकेगा कि उप-सरपंच का निर्वाचन आगे की किसी तारीख को होगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी, वार्ड पंच के परिणाम की घोषणा के पश्चात् उप-सरपंच के निर्वाचन के लिये, नवर्निर्वाचित पंचों और सरपंच की बैठक आयोजित करेगा और बैठक का समय और स्थान विनिर्दिष्ट करने वाला नोटिस, मतदान से कम से कम दो घंटे पूर्व, पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेगा और जहां ऐसा कोई भी कार्यालय स्थापित ही न किया गया हो या जहां निर्वाचन, पंचायत मुख्यालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जाना हो तो किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाया जायेगा और ऐसे निर्वाचन की बैठक के ऐसे समय और स्थान के बारे में, वह उपस्थित सरपंच और पंचों को भी सूचित करेगा।

**स्पष्टीकरण** :- रिटर्निंग अधिकारी से नियम 23 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत नियुक्त किसी अधिकारी से अभिप्रेत है।

**66. निर्वाचन के लिए प्रक्रिया:-** (1) बैठक में, उसमें उपस्थित प्रत्येक पंच या सरपंच, उप-सरपंच के रूप में निर्वाचन के लिये किसी भी पंच का (जिसे इसमें आगे अभ्यर्थी कहा गया है) नाम लिखित में प्रस्तावित कर सकेगा;

परन्तु ऐसे सभी प्रस्ताव, बैठक आरंभ होने के एक घंटे के भीतर-भीतर किये जायेंगे और कोई भी प्रस्ताव तत्पश्चात् ग्रहण या प्राप्त नहीं किया जायेगा।

(2) यदि अभ्यर्थी बैठक में उपस्थित नहीं हो तो प्रस्तावों की लिखित में उसकी स्वीकृति, प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की जायेगी;

परन्तु ऐसे निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के ऐसी बैठक में उपस्थित होने की दशा में, यदि वह ऐसी स्वीकृति मौखिक रूप से प्रकट कर देता है तो उसकी लिखित स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।

(3) रिटर्निंग अधिकारी एक-एक करके अभ्यर्थियों के नामों का वाचन करेगा और प्रस्तावों की परीक्षा करेगा, उपस्थित सरपंच और पंचों को उनकी परीक्षा करने और उन पर आक्षेप करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा और तब ऐसे समस्त आक्षेपों को विनिश्चित करेगा और या तो ऐसे आक्षेपों के कारण या स्वप्रेरणा से, किसी भी प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर खारिज कर सकेगा :-

(क) कि अभ्यर्थी, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उप-सरपंच के रूप में निर्वाचन के लिये पात्र नहीं है; या

(ख) कि इस नियम के उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहा है।

(4) यदि कोई भी प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे खारिज किये जाने के कारण का संक्षिप्त कथन लेखबद्ध करेगा।

(5) ऐसे सभी अभ्यर्थियों के नामों का, जिनके नामांकन सही पाये गये हैं, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वाचन किया जायेगा।

(6) यदि केवल एक ही अभ्यर्थी हो तो उसे उप-सरपंच के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाये।

(7) यदि अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक हो तो मतदान गुप्त मत द्वारा कराया जायेगा और नियम 59 और 60 में अधिकथित प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

(8) यदि कोई भी अभ्यर्थी न हो और पंचायत कोई उप-सरपंच निर्वाचित करने में विफल रहे तो रिटर्निंग अधिकारी, पंचायतों के प्रभारी अधिकारी और कलक्टर को सूचित करेगा, जो अधिनियम की धारा 26 (2) के अधीन उप-सरपंच की नियुक्ति के लिए सरकार को सूचित करेगा।

(9) पीठासीन अधिकारी उप-सरपंच के निर्वाचन का संक्षिप्त कार्यवृत्त तैयार करेगा।

**67. उप-सरपंच का उप-निर्वाचन** :-जैसे ही और जब अधिनियम की धारा 20 के अधीन उप-सरपंच का उप-निर्वाचन आवश्यक हो जाये, रिटर्निंग अधिकारी सरपंच और पंचों पर, ऐसी बैठक की तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करने वाले नोटिस की तामील के पश्चात् उनकी एक बैठक आयोजित करेगा और नियम 65 और नियम 66 के उपबंध, जहां तक शक्य हो, लागू होंगे।

## अध्याय-10

### अभ्यर्थी और उनके अभिकर्त्ता

**68. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति का प्रतिसंहरण** :-(1) यदि पंचायत समिति या जिला परिषद् का निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी कोई निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना चाहता है तो ऐसी नियुक्ति, उप-नियम (2) और (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, या तो नामांकन पत्र के परिदान के समय या निर्वाचन से पूर्व किसी भी समय, प्ररूप-8 में की जायेगी।

(2) निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा किसी भी समय, स्वहस्ताक्षरित और पीठासीन अधिकारी के पास दाखिल किसी लिखित घोषणा द्वारा, प्रतिसंहृत की जा सकेगी। ऐसा प्रतिसंहरण उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह दाखिल किया गया है। ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में या निर्वाचन से पूर्व या उसकी अवधि के दौरान निर्वाचन अभिकर्त्ता के मर जाने पर, अभ्यर्थी उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार कोई नया निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जिसे पंचायत के किसी भी निर्वाचन में निर्वाचित होने से या मतदान करने से, अधिनियम के अधीन तत्समय निरर्हित कर दिया गया है, जब तक निरर्हता विद्यमान रहती है, निर्वाचन अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

**69. मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति** :-(1) किसी निर्वाचन में, जिसमें सरपंच के पद या पंचायत समितियों या जिला परिषद् के सदस्यों के लिये मतदान होना है, कोई भी लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिये एक अभिकर्त्ता की नियुक्ति कर सकेगा। ऐसी नियुक्ति प्ररूप-9 में दो प्रतियां में लिखित, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित पत्र द्वारा की जायेगी।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्ति पत्र दो प्रतियों में मतदान अभिकर्ता को परिदत्त करेगा जो मतदान के लिए नियत तारीख को पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें

अन्तर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे प्रस्तुत दोनों प्रतियों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा। किसी भी मतदान अभिकर्त्ता को मतदान केन्द्र पर किसी भी प्रकार के कर्त्तव्य पालन के लिये तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक वह इस उपनियम के उपबंधों का पालन न करे।

**70. गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति :-**(1) सरपंच के पद का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी प्ररूप-10 में दो प्रतियों में लिखित किसी पत्र द्वारा दो से अधिक गणन अभिकर्त्ताओं को नियुक्त कर सकेगा।

(2) किसी पंचायत समिति या जिला परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचन चाहने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इतने गणन अभिकर्त्ता अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप-10 में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा नियुक्त कर सकेगा जितनी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतों की गणना के लिये उपलब्ध करायी गयी टेबिलों की संख्या हो, एक रिटर्निंग अधिकारी की टेबिल के लिए और एक अवमुक्ति अभिकर्त्ता के लिये।

(3) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति गणन अभिकर्त्ता को भी प्रदत्त करेगा जो मतों की गणना के लिए नियत तारीख को उसे रिटर्निंग अधिकारी को या नियम 58 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसके समक्ष उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा हस्ताक्षरित करेगा। ऐसा अधिकारी उसे प्रस्तुत की गयी दूसरी प्रति अपनी अभिरक्षा में रखेगा। किसी भी गणन अभिकर्त्ता को कोई भी ड्यूटी मतों की गणना के लिए नियत स्थान पर करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक उसने इस उप-नियम के उपबंधों का पालन न कर लिया हो।

**71. मतदान अभिकर्त्ता की मृत्यु पर नियुक्ति का प्रतिसंहरण :-**(1) मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति को, अभ्यर्थी द्वारा मतदान के प्रारंभ के पूर्व किसी भी समय उसके द्वारा हस्ताक्षरित किसी लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहृत किया जा सकेगा।

(2) ऐसी घोषणा :-

(क) ऐसे मामले में, जिसमें नियुक्ति मतदान के प्रारंभ से सात से अन्यून दिन पूर्व प्रतिसंहृत न की गयी हो तो रिटर्निंग अधिकारी के पास दाखिल की जायेगी,

(ख) किसी भी अन्य मामले में रिटर्निंग अधिकारी के या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास दाखिल की जायेगी जहां मतदान अभिकर्त्ता को ड्यूटी के लिये नियुक्त किया गया था।

(3) यदि किसी अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्त्ता मतदान के प्रारम्भ के पूर्व मर जाये तो अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता ऐसी मृत्यु के तथ्य की लिखित रिपोर्ट निम्नलिखित को तुरन्त करेगा-

(क) ऐसे मामले में, जिसमें मृत्यु मतदान के प्रारंभ से सात से कम दिन पूर्व हुई हो, रिटर्निंग अधिकारी को, और

(ख) किसी भी अन्य मामले में रिटर्निंग अधिकारी को या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को, जहां मतदान अभिकर्त्ता को ड्यूटी के लिये नियुक्त किया गया था।

(4) जब भी रिटर्निंग अधिकारी को उप-नियम (1) या (2) के अधीन की गयी कोई भी घोषणा या रिपोर्ट प्राप्त हो तो वह ऐसी घोषणा या, यथास्थिति, रिपोर्ट उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को तुरन्त सूचित करेगा जहां ऐसे मतदान अभिकर्त्ता को ड्यूटी के लिये नियुक्त किया गया था।

(5) जहां मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति उप-नियम (1) के अधीन प्रतिसंहत की जाये या जहां मतदान अभिकर्त्ता मतदान बंद होने के पूर्व मर जाये वहां अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता, मतदान बंद होने के पूर्व किसी भी समय नियम 69 के उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार कोई नया मतदान अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकेगा;

परन्तु नये मतदान अभिकर्त्ता को नियुक्त करने का पत्र-

(क) ऐसे मामले में, जिसमें ऐसी नियुक्ति मतदान के प्रारम्भ से सात के अन्यून दिन पूर्व की जाये, रिटर्निंग अधिकारी को दिया जायेगा, और

(ख) किसी भी अन्य मामले में, रिटर्निंग अधिकारी को या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को दिया जायेगा जहां नया मतदान अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया है।

(6) नियम 69 के उप-नियम (2) के उपबंध उप-नियम (5) के अधीन नियुक्त किसी मतदान अभिकर्त्ता के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे नियम 69 के उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त किसी मतदान अभिकर्त्ता के संबंध में लागू होते हैं।

**72. गणन-अभिकर्त्ता की मृत्यु पर नियुक्ति का प्रतिसंहरण** :-(1) गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा, मतों की गणना प्रारंभ होने से पूर्व किसी भी समय, उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहत की जा सकेगी। ऐसी घोषणा रिटर्निंग अधिकारी या नियम 49 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के यहां दाखिल की जायेगी।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी का गणन अभिकर्त्ता मतों की गणना पूरी होने से पूर्व मर जाता है तो अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता पीठासीन अधिकारी को या नियम 49 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को मृत्यु की रिपोर्ट लिखित में तुरन्त करेगा।

(3) जहां गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति उप-नियम (1) के अधीन प्रतिसंहृत करली गयी हो या जहां गणन अभिकर्त्ता मतों की गणना पूरी होने से पूर्व मर जाये वहां अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता नियम 70 के उप-नियम (1) में अधिकथित रीति से किसी नये गणन अभिकर्त्ता को नियुक्त कर सकेगा।

(4) नियम 70 के उप-नियम (2) और (3) के उपबंध उप-नियम (3) के अधीन नियुक्त गणन अभिकर्त्ता के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे नियम 70 के उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त गणन अभिकर्त्ता के संबंध में लागू होते हैं।

**73. मतदान से पूर्व अभ्यर्थियों की मृत्यु** :-लड़ने वाले अभ्यर्थी की मतदान प्रारंभ होने से पूर्व मृत्यु हो जाने के कारण मतदान प्रत्यादिष्ट नहीं किया जायेगा। किन्तु यदि किसी स्थान के लिए लड़ने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु के परिणामस्वरूप वहां लड़ने वाला केवल एक अभ्यर्थी रह जाये तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य का समाधान हो जाने पर मतदान को प्रत्यादिष्ट करेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से आयोग को इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा और इसमें इसके पूर्व के नियमों के अनुसार, नये निर्वाचन की तरह ही, निर्वाचन के बारे में की समस्त कार्यवाहियां पुन: प्रारंभ होंगी;

परन्तु :-

(i) उस व्यक्ति के मामले में कोई और नामनिर्देशन आवश्यक नहीं होगा जो मतदान के प्रत्यादिष्ट होने के समय एक लड़ने वाला अभ्यर्थी था; और
(ii) कोई भी व्यक्ति जिसने मतदान प्रत्यादिष्ट होने से पूर्व नियम 28 के उप-नियम (1) के अधीन अपनी अभ्यर्थिता के प्रत्याहरण का नोटिस दे दिया था, ऐसे प्रत्यादेशन के पश्चात् निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम-निर्देशित होने के लिए अपात्र नहीं होगा।

## अध्याय-11

### शपथ या प्रतिज्ञान

**74. निर्वाचन परिणामों का प्रकाशन** :-किसी पंचायती राज संस्था के सदस्य के रूप में या अध्यक्षों या उपाध्यक्षों के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के नाम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

**75. शपथ या प्रतिज्ञान :-**किसी पंच, सरपंच, प्रधान, उप-प्रधान, प्रमुख, उप-प्रमुख और पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा धारा 24 के अधीन ली जाने वाली शपथ या किया जाने वाला प्रतिज्ञान प्ररूप-11 में होगा।

**76. शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने का समय और रीति :-**(1) पंचायती राज संस्था के समस्त सदस्य या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान उसके परिणाम की घोषणा के पश्चात् तीन मास के भीतर-भीतर किसी भी समय ली जायेगी या कराया जायेगा।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी शपथ या प्रतिज्ञान, परिणाम की घोषणा के पश्चात् किसी भी समय निम्नलिखित के समक्ष ली जा सकेगी या किया जा सकेगा;

(i) रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष; या

(ii) सम्बन्धित तहसीलदार के या कलेक्टर द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अधिकारी के समक्ष; या -

(iii) पंच के मामले में सरपंच के समक्ष; या

(iv) पंचायत, पंचायत समिति या यथास्थिति, जिला परिषद् को किसी बैठक में और उनको किये जाने के समय हस्ताक्षरित शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय को भेजे जायेंगे और वहां पांच वर्ष की कालावधि तक के लिए रखे जायेंगे जिसकी समाप्ति पर उन्हें विनष्ट कर दिया जायेगा।

# प्ररूप-4

[नियम 25 (1) देखिए]

## नाम निर्देशन-पत्र

## पंच/सरपंच का निर्वाचन

मैं इसके द्वारा नोटिस देता हूँ कि मैं स्वयं को वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र संख्या ...................... से उपर्युक्त पंच/सरपंच के रूप में निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तावित करता हूँ।

1. पूरा नाम ..........................................................................
2. अभ्यर्थी का लिंग ..................................................................
3. अभ्यर्थी की जाति ..................................................................
   (केवल अ.जा./ज.जा./अ.पि.ब. के व्यक्तियों द्वारा भरा जाये)।
4. पंचायत का नाम तथा संबंधित वार्ड का संख्यांक ..................................
   दर्शाते हुए मतदाता का क्रमांक ......................................................
5. अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम ......................................................

मैं यह और घोषित करता हूँ कि--

(1) मैं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबन्धों के अधीन पंच/सरपंच के रूप में अर्ह हूं।

(2) मैं उक्त अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के भी अध्यधीन नहीं हूं।

(3) मैं अनुसूचित जातियों/अनु. जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का हूँ/नहीं हूँ।

(4) मैंने नियम 56 (3) के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति जमा करायी है (केवल सरपंच के लिए लागू)

तारीख .....................

स्थान .....................

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा भरा जाये।

*उक्त वार्ड/पंचायत की क्रम सं. जिससे अभ्यर्थी चुनाव लड़ना चाहता है .......................

यह नाम निर्देशन मुझे श्री/श्रीमति/कुमारी ........................................... (अभ्यर्थी) द्वारा ............................................. (तारीख) को ............................................ बजे प्रस्तुत किया गया था।

नाम निर्देशन-पत्र स्वीकार या नामंजूर करने का विनिश्चय।

मैंने नाम-निर्देशन-पत्र की परीक्षा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार करली है और मेरा विनिश्चय निम्नलिखित है:-

तारीख ..................................

रिटर्निंग अधिकारी

(नाम निर्देशन-पत्र की रसीद)

उस वार्ड/पंचायत की क्रम संख्या जिससे अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ना चाहता है.......................
.................................................................................................................... ।

से वार्ड/पंचायत के लिए नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं. .......................... जो पंच/सरपंच के रूप में निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी है, का नाम निर्देशन-पत्र मुझे ................................ (तारीख) को .......................बजे श्री ............................................................................ जिनके साथ पहचानकर्ता श्री ........................................ थे, के द्वारा परिदत्त किया गया था।

नाम-निर्देशन-पत्र को ..................................... (तारीख) को ............................... बजे (स्थान) में संवीक्षा के लिए लिया जायेगा।

तारीख ..................................

स्थान ...................................

रिटर्निंग अधिकारी

*टिप्पण-: जो सम्बन्धित न हो कृपया उसे काट दीजिए।

## ''प्ररूप 4घ
(नियम 25 और 58 देखिए)

**..................................................ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....................................से पंच/सरपंच/सदस्य के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली घोषणा।**

मैं, ..........................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री............................आयु ...............वर्ष निवासी........................................जो उक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी है, इसके द्वारा निम्नलिखित घोषणा करता हूँ:—

1. कि मैं किसी लम्बित केस (केसों) में ऐसे अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जो पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय है जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा आरोप (आरोपों) विरचित कर दिये गये है।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित सूचना देगा:—

(i) केस/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.............................................

(ii) पुलिस थाना (थाने) ...........................जिला (जिले)........... राज्य..............................

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए अभ्यर्थी आरोपित है:— ........................................................................................................................

........................................................................................................................

(iv) न्यायालय (न्यायालयों) जिसने आरोप (आरोपों) को विरचित किया है ................................................

........................................................................................................

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप (आरोपों) का विरचन किया गया है ..................................................

........................................................................................................

(vi) क्या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा सभी या किन्हीं कार्यवाहियों में स्थगन दे दिया गया है ..............................................................................................

यदि हॉ, तो न्यायालय का नाम.......................................................... आदेश की तारीख ............

2. कि मुझे किसी अपराध (अपराधों) के लिए दोषसिद्व और दण्डित किया गया है/नहीं किया गया है। यदि अभिसाक्षी दोषसिद्व और दण्डित है तो वह निम्नलिखित सूचना देगा।

(i) केस/प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या/संख्याएं....................................

(ii) न्यायालय (न्यायालयों) जिसने दण्डित किया.......................................

(iii) पुलिस थाना (थाने) ..........................जिला (जिले)............................ राज्य.............................

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित हुआ है.........................................................................................

.........................................................................................................................

(v) वह तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया (सुनाये गये)

.........................................................................................................................................

(vi) दण्ड का ब्यौरा .......................................................................................................................

(vii) क्या दण्डादेश (दण्डादेशों) पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा स्थगन दिया गया है (ब्यौरा दें)..........................................................................................................

(viii) क्या दोषसिद्वि (दोषसिद्वियों) पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा स्थगन दिया गया है (ब्यौरा दें)..........................................................................................................

3. यह कि मैं इसके नीचे मेरे बच्चे, जो जीवित है, का ब्यौरा दे रहा हूॅं:—

(क) 27.4.1994 को मेरे बच्चों की कुल संख्या........................थी और उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

| | नाम | जन्म की तारीख |
|---|---|---|
| (i) | | |
| (ii) | | |
| (iii) | | |
| (iv) | | |

(ख) 27.4.1994 से 27.11.1995 की कालावधि में जन्में बच्चों की कुल संख्या ........................ है और उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

| | नाम | जन्म की तारीख |
|---|---|---|
| (i) | | |
| (ii) | | |

(ग) 28.11.1995 को और उसके पश्चात् जन्में बच्चों की कुल संख्या...... है और उनका ब्यौरा निम्नुसार है:—

| | नाम | जन्म की तारीख |
|---|---|---|
| (i) | | |
| (ii) | | |

4. यह कि मैं इसके नीचे मेरी, मेरे पति/पत्नी और आश्रितों की आस्तियों (स्थावर, जंगम, बैंक अतिशेष इत्यादि) का ब्यौरा दे रहा हूँ:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

**ख. स्थावर आस्तियों का ब्यौरा**

(**टिप्पणी**:—संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करने वाली संयुक्त स्वामित्व में सम्पतियां भी उपदर्शित की जानी चाहिएं)

| क्र.स. | विवरण | स्वयं | पति/पत्नी का नाम | आश्रित—1 का नाम | आश्रित—2 का नाम | आश्रित—3 का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | कृषि भूमि<br>— अवस्थिति (अवस्थितियां)<br>—सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)<br>—सीमा (कुल माप)<br>—वर्तमान बाजार मूल्य | | | | | |
| (ii) | गैर कृषि भूमि<br>— अवस्थिति (अवस्थितियां)<br>—सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)<br>—सीमा (कुल माप)<br>— वर्तमान बाजार मूल्य | | | | | |
| (iii) | भवन (वाणिज्यिक और आवासीय)<br>—अवस्थिति (अवस्थितियां)<br>—सर्वेक्षण/मकान संख्या (संख्याएं)<br>— सीमा (कुल माप)<br>— वर्तमान बाजार मूल्य | | | | | |
| (iv) | मकान/अपार्टमेन्ट इत्यादि<br>—अवस्थिति (अवस्थितियां)<br>—सर्वेक्षण/मकान संख्या (संख्याएं)<br>— सीमा (कुल माप)<br>— वर्तमान बाजार मूल्य | | | | | |
| (v) | अन्य (जैसे सम्पति में हित) | | | | | |

**हस्ताक्षर अभिसाक्षी (अभ्यर्थी)**

## प्ररूप–5

[नियम 29 देखिये]

**विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची जिके नाम निर्देशन पत्र मंजूर किये गये है और वापस नहीं लिए गये है।**

**.................................................... वार्ड/पंचायत/पं.स./जि.प. के निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन**

**निर्वाचन की तारीख.....................**

| वार्ड/पंचायत/पं.स./जि.प. के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या | पते सहित अभ्यर्थी की क्रम संख्या और नाम | पार्टी संबद्धता | आवंटित सुभिन्न चिन्ह |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

दिनांक ...............................

स्थान ............................. रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

# प्ररूप-6

[नियम 44 देखिए]

## निविदत्त मतों की सूची

.............................................. वार्ड/पंचायत/पं.सं./जि.पं. के निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचन

| वार्ड/पंचायत पं.सं./जि.प के निर्वाचन क्षेत्र की क्र.सं. | निर्वाचक की क्रम संख्या और नाम | निर्वाचक का पता | निविदत्त मत पत्रों की क्रय संख्या | ऐसे व्यक्ति को जारी किये गये मत-पत्रों की क्रम संख्या, जो मत दे चुका है | मत देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

तारीख ..................................

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

# प्ररूप—7

[नियम 52, 59, 60, 61 देखिये]

**पंच/सरपंच/पंचायत समिति का सदस्य/जिला परिषद् के सदस्य के पद के लिए निर्वाचन के परिणामों को दर्शित करने वाली विवरणी**

पंच/सरपंच/पंचायत समिति का सदस्य/जिला परिषद् का सदस्य
पंचायत/पंचायत समिति जिला परिषद् ................................................
कुल निर्वाचक मण्डल ....................................
पंचायत समिति ........................................ जिला ...........................
निर्वाचन की तारीख ........................................

| कुल निर्वाचक मण्डल सहित वार्ड/पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आरक्षण के ब्यौरे यदि कोई हो तो | नियम 29(2) के अधीन निर्विरोध घोषित अभ्यर्थियों के नाम (केवल जिला परिषद्/पंचायत समिति के लिए राजनैतिक दलों का नाम) | उन अभ्यर्थियों के नाम जिनके लिए विधिमान्य मत डाले गये है (केवल जिला परिषद्/पंचायत समिति के लिए राजनैतिक दलों का नाम) | **स्तम्भ (2) और (3) में उल्लिखित अभ्यर्थियों की विशिष्टयां** | | | | | | प्रत्येक अभ्यर्थी को डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या | नामंजूर किये गये मतों की संख्या | नियम 51 के अधीन लाट का यदि कोई हो, परिणाम | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (ड.) | (च) | | | | |
| | | | पता | जाति (अ.जा.या अ.जन.जा. या अ.पि. का उल्लेख कीजिए) | शैशिक्ष स्तर क्या निरक्षर, मिडिल, से कम, मेट्रिक, स्नातक है | आयु वर्षों में | व्यवसाय | क्या पूर्व में पंच या सरपंच का पद धारित किया है | | | | |
| | | 1.....................<br>2.....................<br>इत्यादी<br>नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) | | | | | | | | | | |

मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि निम्नलिखित अभ्यर्थी प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट वार्डों से पंच के रूप में निर्वाचन क्षेत्र सं. ............. से उपर्युक्त पंचायत के सरपंच के रूप में/पंचायत समिति/जिला परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है/हुए है।

| क्र.सं. | कार्यालय का नाम (पंच या सरपंच) सदस्य, पंचायत समिति/जिला परिषद् | निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम और पता | लिंग | जाति | वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1......................<br>2......................<br>इत्यादी<br>नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) | | | |
| | | | | | | |

दिनांक ......................
स्थान .........................

रिटर्निंग अधिकारी

## प्ररूप-8

[नियम 68 देखिए]

### निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप

मैं .........................................................................................

*पंचायत समिति .............................. के निर्वाचन क्षेत्र सं. ............................ से पंचायत समिति के सदस्य

*निर्वाचन क्षेत्र सं. ....................................... से जिला परिषद् के सदस्य

के निर्वाचन का, जो ................................................ को होने जा रहा है, अभ्यर्थी, इसके द्वारा

श्री ................................................. को

(अभिकर्ता का नाम)

उपर्युक्त निर्वाचन के लिए इस तारीख से मेरे निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान ..................................  ....................................

तारीख ..................................  अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं उपर्युक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ।

स्थान ..................................  ....................................

तारीख ..................................  निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

अनुमोदित

स्थान ..................................  ....................................

तारीख ..................................  रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

# प्ररूप–9

[नियम 69 देखिए]

## मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

*सरपंच, ग्राम पंचायत ....................................................................................................

*निर्वाचन क्षेत्र सं. .......................................... से पंचायत समिति के सदस्य

*पंचायत समिति/जिला परिषद .......................................... की निर्वाचन क्षेत्र सं. ...........
से जिला परिषद के सदस्य;
का निर्वाचन

मैं, ....................................................................... अभ्यर्थी ....................................

जो उपर्युक्त निर्वाचन का एक अभ्यर्थी है, का निर्वाचन अभिकर्ता इसके द्वारा ...............................

.......................................................... (नाम और पता) ..............................................

को ................................. स्थान पर ................................ मतदान केन्द्र सं. ..................

में उपस्थित होने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान .................................. ..................................

तारीख .................................. अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने को सहमत हूँ।

स्थान .................................. ..................................

तारीख .................................. मदतान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

मतदान अभिकर्ता की घोषणा पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जानी है।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी बात नहीं करूंगा।

..................................

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान .................................. ..................................

तारीख .................................. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

## प्ररूप-10

[नियम 70 देखिए]

### गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

*निर्वाचन क्षेत्र सं. .......................................... से पंचायत समिति के सदस्य,

*पंचायत समिति/जिला परिषद .......................................... की निर्वाचन क्षेत्र सं. ...........

से जिला परिषद के सदस्य; का निर्वाचन

मैं, ................................................................. अभ्यर्थी ....................................

जो उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी है, का निर्वाचन अभिकर्ता ...............................................

को, इसके द्वारा

(नाम और पता)

मतगणना के लिए नियत स्थान .......................................................... पर गणन अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए नियुक्त करता हूँ।

स्थान .................................. ..................................

तारीख .................................. अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान .................................. ..................................

तारीख .................................. गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किये जाने के लिए गणन अभिकर्ता की घोषणा।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी बात नहीं करूंगा।

................................

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

................................

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान ................................

तारीख ................................

*जो लागू नहीं हो उसे काट दीजिए।

## प्ररूप-11

[नियम 75 देखिए]

### शपथ का प्रारूप

मैं ............................................ पंच/सरपंच/प्रधान/उप-प्रधान/प्रमुख/उप-प्रमुख/पंचायत समिति/पंचायत की जिला परिषद/पंचायत समिति/जिला परिषद ...................... का सदस्य ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं उन कर्त्तव्यों का, जिनमें मैं प्रवेश करने वाला हूँ, सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूंगा।

शपथग्रहीता के हस्ताक्षर या अंगूठे की
छाप, पदनाम सहित
रिटर्निंग अधिकारी या प्राधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर, पदनाम सहित

## परिशिष्ट–5
[देखें भाग–2 पैरा (16); भाग–5, पैरा 3]

क्रमांक एफ.4 (2)(1) पंचा/रानिआ/94/465, जयपुर, दिनांक 27–10–1994

## आदेश

सां.आ. क्रमांकः 8/94:– राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39 के उप–नियम (1) में उपबन्धित है कि प्रत्येक मतपत्र, निर्वाचक को जारी किये जाने के पूर्व ऐसी रीति से अनुप्रमाणित किया जायेगा जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जावे। अतः राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि उपरोक्त नियमों के अध्याय 4, 5 व 6 के प्रावधानों के अनुसार पंच, सरंपच एवं पंचायत समिति/जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचकों को मतपत्र जारी करने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र को, उसकी पीठ पर सुभेदक चिन्ह के रूप में रबर की मुहर, जिस पर एक वर्गाकार आयतन के अन्दर हिन्दी में ''प.रा.सं.'' अंकित किया हुआ होगा से स्टाम्पित करके और मतदान अधिकारी द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर करके अनुप्रमाणित किया जायेगा।

आज्ञा से,

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

राजस्थान, जयपुर।

## परिशिष्ट–6

[See Part 4, para (1)]

STATE ELECTION COMMISSION

Panchayat General Elections, 2015 Polling Material Scale

[For all 4 elections simultaneously]

| S.No. | Name of Articles | Scale |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **1. Articles** | |
| 1. | Pin Sheet | 2 sheets or 20 pins per R.O. |
| 2. | White paper (17"X27") | ½ qr per R.O. |
| 3. | Craft Wrapping paper (17"X27") | 10 sheet per R.O. |
| 4. | Carbon paper (pencil) (17"X27") | 1 qr. or 24 sheets of full scape size per R.O. |
| 5. | Sealing Wax | 2 pkt. (20 sticks) per R.O. |
| 6. | Twine | 20 metres per R.O. |
| 7. | Digit rubber seals (for marking ward numbers) | 1 set of required numbers per R.O. |
| 8. | Dot pen | outright payment. |
| 9. | Self Inking Stamp pad (purple) | 2 per party & 1 per R.O. Extra |
| 10. | Stamp pad ink (ISI) phials | 2 phial of one oz. per party. |
| 11. | Brass seal with inscription 'P' or "Presiding Officer" | 1 per party for sealing envelopes or election records. |
| 12. | Distinguishing mark seal for authentication of ballot papers (Rule 39) (i-jk-la) | 1 per party & 1 per R.O. Extra. |
| 13. | Ballot Box | 2 Big size per party. 2 small size per party |
| 14. | Curtains-(a) cloth curtains<br>or<br>(b) card board voting compartment | 2 per party having two Compartment + 1 extra per R.O.<br>4 per Party + 1 extra per R.O. |
| 15. | Rubber AŸkow Cross Mark Seal | 8 per booth + 1 per R.O. |
| 16. | Wire for ballot boxes | 2 metre per booth. |
| 17. | Iron pusher | 1 per party |
| 18. | Glue Bottel of 60 Ml. | 2 per party. |
| 19. | Pink paper seals size 10" length | 10 per booth. |
| 20. | Card Board Pieces | 10 per booth for Ballot Boxes |
| 21. | Indelible Ink phial | 1 per booth and<br>1 per R.O. per panchayat |
| 22. | Metal Rule | 1 per party for cuting ballot papers if candidates are less or more. |
| 23. | Rubber rejection seals | 1 per R.O. |
| 24. | Rubber bands for tying ballot papers during counting | 50 grams or about 200 bands per party |
| 25. | Sootli | 2 oz. or 10 metre per booth |
| 26. | Lantern | To be aŸkanged by Panchayat |

| S.No. 1 | Name of Articles 2 | Scale 3 |
|---|---|---|
| 27. | Bamboos | To be aŸkanged by Panchayat [Outright payment] |
| 28. | Bucket | To be aŸkanged by Panchayat [Outright payment] |
| 29. | Lota | To be aŸkanged by Panchayat [Outright payment] |
| 30. | Kerosine oil | 2 litres per booth. To be aŸkanged on payment |
| 31. | Moonj Rope | 10 metres per party |
| 32. | Iron Nails Big Size | 6 per party |
| 33. | Iron Nails Small Size | 10 per party |
| 34. | Candle Sticks (6" length & 1" thick) | 2 sticks per booth & 1 per R.O. extra |
| 35. | Counting trays | 5 per party |
| 36. | Match Box | 2 per party or outright payment |
| 37. | Blade | 1 per party or outright payment |

2. Important Articles

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Ballot papers for panch & Sarpanch/Member P.S./Z.P. | Equal to actual No. of voters in a panchayat rounded to next 10 for Sarpanch member PS/ZP and rounded to next 100 for Panch ballot papers. |
| 2. | Extra slips of symbols | As provided |
| 3. | Ballot papers for Up-Sarpanch (same as Sarpanch) | Equal to No. of Wards + 2 |
| 4. | Working sets of voters list. | 7 sets i.e. 1 for R.O. 1 for Polling Officer, 1 for Asstt. Polling Officer identification, 1 for Asstt. Polling Officer, Panch ballot paper; 1 for Asstt. Polling Officer; 2 for A.P.O. PS/Zp member Ballot paper. |
| 5. | Service Postage stamp | As required for despatch Form VII |
| 6. | Book (Margdarshika) | 1 per Polling Officer and 1 per R.O. |
| 7. | List of ward numbers along with their status of reservation including of Sarpanch | 1 |

| S.No. 1 | Name of Articles 2 | Scale 3 |
|---|---|---|
| | **3. Forms** | |
| (I) | Statutory Forms:- | |
| 1. | Form 4-Nomination paper (for Panch/ Sarpanch) | 7 per ward and 10 per Panchayat (to be sold @ 1/- per form) |
| 2. | Form 4-D Declaration before RO | 7 per ward and 10 per Panchayat (to be sold @ 1/- per form) |
| 3. | Form 5-List of Contesting candidates with printed symbols | |
| | (i) Panch | 7 per ward |
| | (ii) Sarpanch | 15 per Panchayat |
| 4. | Form-6<br>List of Tendered Votes | 4 per booth each for Panch, Sarpanch, P.S. Member & Z.P. Member |
| 5. | Form-7<br>Return of result | 10 per Panchayat |
| 6. | Form-9<br>Appointment of polling agent | (to be sold @ 1/- per Form) |
| | (a) for P.S. member & Z.P. member election) | 15 per booth |
| | (b) for Sarpanch elections | 5 per booth |
| 7. | Appointment of counting agent (Form-10) (For Sarpanch only) | 15 per Panchayat (to be sold @ 1/-) |
| 8. | Oath Form (Form-11) | Equal to number of wards plus 3 extra |
| (II) | Non-Statutory Forms:- | |
| 9. | Form of Statistics-Panch | 1 per Panchayat to be filled by R.O. |
| 10. | Form of Statistics-Sarpanch | 1 per Panchayat to be filled by R.O. |
| 11. | Form of P.O. Diary-ZP/PS member | 1 per booth to be filled by P.O. |
| 12. | Label for R.O. | 1 per R.O. |

| S.No. 1 | Name of Articles 2 | Scale 3 |
|---|---|---|
| 13. | Notice U/r 30 (3) | |
| | (i) For Panch/Sarpanch election | 1 per polling booth+1 extra to be pasted at Panchayat office. |
| | (ii) For ZP/PS member election | 1 per polling booth+1 extra to be pasted at Panchayat office. |
| 14. | Form of Ballot Paper A/c (For ZP/PS member election) | 3 per booth |
| 15. | Vehicle Log Sheet Cum Hire bill | 2 per vehicle |
| 16. | Label for Ballot Bos | |
| | (i) ZP/PS member election (in colour) | 4 per booth |
| | (ii) Panch/Sarpanch election | 4 per booth |
| 17. | Form of Paper Seal Account | 2 per booth |
| 18. | Receipt Book containing 25 pages | 1 Book per Panchayat |
| 19. | Placards-"Exit"/"Entry" | 1 each per party |
| 20. | Placard-"Disabled/Sr. Citizen"-to give them priority in voting. | 2 per booth |
| 21. | Badges-Polling Officer | 2 per party |
| 22. | Badges-Polling Agent | 8 per booth |
| 23. | Receipt Form | 1 per R.O. |
| 24. | Form booth wise statistics | 1 per booth |
| 25. | Form of declaration of voters regarding age | 5 per booth |
| 26. | Form-list of voter from whom declaration regarding age-obtained | 1 per booth |
| 27. | Form mikcU/k&I (self declaration regd. property, dues etc.) | 7 per ward plus 10 per Panchayat |
| 28. | Form of withdrawal of candidature | |
| | (a) Panch | 2 per ward |
| | (b) Sarpanch | 6 per Panchayat |
| 29. | Form Notice for meeting of Up-Sarpanch election. | Number of wards + 4 extra. |

| S.No. 1 | Name of Articles 2 | Scale 3 |
|---|---|---|
| | **4. Envelopes** | |
| 1. | Big Envelopes (18x12) (not to be sealed) (Panch – Sarpanch) | (P-1) |
| | (a) Nomination Papers including enclosures and decision of RO | 1 per Panchayat |
| | (b) List of contesting candidates-Panch (For all wards) | |
| | (c) Nomination papers and enclosures and decision of RO - Sarpanch | |
| | (d) List of contesting candidates-Sarpanch | |
| | (e) Declaration of voter regarding age and list of such voters. | |
| | (f) Other copies of voters list. | |
| | (g) Used form of apptt. of polling agents / counting agents. | |
| | (h) Other election papers. | |
| 2. | Medium Size Envelopes (11"X5") (P-2) (not to be sealed) (Booth wise) Statistics – (ZP/PS members) | 1 per booth |
| 3. | Big Envelopes (18"X12") (to be sealed) (P-3) unused Ballot Papers-Sarpanch (Booth wise) | 1 per booth |
| 4. | Big envelopes (18"X12") (to be sealed) (P-4) unused Ballot Papers-Panch (Booth wise) | 1 per booth |
| 5. | Medium Size Envelopes (11"X5") (P-5) (to be sealed) Marked copy of E.Rolls-Panch (for all wards in a booth) | 1 per booth |

| S. No. | Name of Articles | | Scale |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 6. | Medium Size Emvelopes (11"X5") (P-6) (to be sealed) - Sarpanch<br>Marked copy of E.Rolls-(for all wards in a booth) | | 1 per booth |
| 7. | Big Size Emvelopes (18"X12") (P-7) (not to be sealed)<br>Extra Slips of Symbols -Panch and Sarpanch | | 1 per Panchayat |
| 8. | Big Size Emvelopes (18"X12") (P-8) (not to be sealed) valid Votes-Sarpanch | | 1 per Panchayat |
| 9. | Big Size Emvelopes (18"X12") (P-9) (not to be sealed) (booth wise)<br>Valid Votes-Panch | | 1 per booth |
| 10. | Medium Size Envelopes (11"X5") (P-10) (not to be sealed)<br>Forms of Statistics-Panch & Sarpanch along-with booth-wise statistical forms regarding voters turnout. | | 1 per Panchayat |
| 11. | Medium Size Envelopes (11"X5") (P-11) (not to be sealed)<br>Result Sheet-Panch/Sarpanch. to be deposited with D.E.O., Panchayat office and given to newly elected Sarpanch | | 1 per Panchayat |
| 12. | Blank Envelopes (postal) (9"X4")<br>For sending results to :-<br>(i) Commissioner, Panchayati Raj, Rajasthan, Jaipur<br>(ii) Office of the Panchayat Samiti concerned.<br>(iii) Officer-in-charge of the Panchayat s<br>(iv) Secretary, State Election Commission, Raj., Jaipur | | 4 per Panchayat |

| S.No.<br>1 | Name of Articles<br>2 | Scale<br>3 |
|---|---|---|
| 13. | Medium Size Emvelopes (11"X5") (P-12)<br>(to be sealed)<br>Spoilt & cancelled ballot papers (Sarpanch) (boothwise) | 1 per booth |
| 14. | Medium Size Emvelopes (11"X5") (P-13)<br>(to be sealed)<br>Spoilt & cancelled ballot papers (Panch-for all wards in a booth) | 1 per booth |
| 15. | Medium Size Emvelopes (11"X5") (P-14)<br>(to be sealed)<br>Spoilt & cancelled ballot papers (P.S. Member) (boothwise) | 1 per booth |
| 16. | Medium Size Emvelopes (11"X5") (P-15)<br>(to be sealed)<br>Spoilt & cancelled ballot papers (Z.P. Member) (boothwise) | 1 per booth |
| 17. | Medium Size Emvelopes (11"X5") (P-16)<br>(to be sealed)<br>Tendered ballot papers and list of Tendered Voters. (Sarpanch) (boothwise) | 1 per booth |
| 18. | Medium Size Emvelopes (11"X5") (P-17)<br>(to be sealed)<br>Tendered ballot papers and list of Tendered Voters. Panch- (for all wards in a booth) | 1 per booth |
| 19. | Medium Size Emvelopes (11"X5") (P-18)<br>(to be sealed)<br>Tendered ballot papers and list of Tendered Voters. (P.S. Member) (boothwise) | 1 per booth |
| 20. | Medium Size Emvelopes (11"X5") (P-19)<br>(to be sealed)<br>Tendered ballot papers and list of Tendered Voters. (Z.P. Member) (boothwise) | 1 per booth |

| S.No.<br>1 | Name of Articles<br>2 | Scale<br>3 |
|---|---|---|
| 21. | Medium Size Emvelopes (11"X5") (P-20)<br>(to be sealed)<br>Returned and cancelled ballot papers under rule 43 (Sarpanch) (boothwise) | 1 per booth |
| 22. | Medium Size Emvelopes (11"X5") (P-21)<br>(to be sealed)<br>Returned and cancelled ballot papers under rule 43Panch- (for all wards in a booth) | 1 per booth |
| 23. | Medium Size Emvelopes (11"X5") (P-22)<br>(to be sealed)<br>Returned and cancelled ballot papers under rule 43 (P.S. Member) (boothwise) | 1 per booth |
| 24. | Medium Size Emvelopes (11"X5") (P-23)<br>(to be sealed)<br>Returned and cancelled ballot papers under rule 43 (Z.P. Member) (boothwise) | 1 per booth |
| 25. | Big Size Emvelopes (18"X12") (P-24)<br>(to be sealed)<br>Unused ballot papers (P.S. Member) (boothwise) | 1 per booth |
| 26. | Big Size Emvelopes (18"X12") (P-25)<br>(to be sealed)<br>Unused ballot papers (Z.P. Member) (boothwise) | 1 per booth |
| 27. | Medium Size Envelopes (11"X5") (P-26)<br>(to be sealed)<br>Marked copy of E.Rolls (P.S. Member) (boothwise) | 1 per booth |
| 28. | Medium Size Envelopes (11"X5") (P-27)<br>(to be sealed)<br>Marked copy of E.Rolls (Z.P. Member) (boothwise) | 1 per booth |

| S.No. 1 | Name of Articles 2 | Scale 3 |
|---|---|---|
| 29. | Big Size Envelopes (18"X12") (P-28) (to be sealed) Ballot papers rejected in counting (Sarpanch) (Panchayat wise) | 1 per Panchayat |
| 30. | Big Size Envelopes (18"X12") (P-29) (to be sealed) Ballot papers rejected in counting (Panch) (Panchayat wise) | 1 pe Panchayat |
| 31. | Small Size Envelopes (9"X4") (P-30) Ballot paper account (Not to be sealed) (P.S. Member) (boothwise) | 1 per booth |
| 32. | Small Size Envelopes (9"X4") (P-31) (Not to be sealed) Ballot paper account (Z.P. Member) (boothwise) | 1 per booth |
| 33. | Small Size Envelopes (9"X4") (P-32) (Not to be sealed) Pink paper seal account (boothwise) (for Z.P./P.S. Member) | 1 per booth |
| 34. | Medium Size Envelopes (11"X5") (P-33) (Not to be sealed)<br><br>(i) Pink Paper seal account<br>Panchayat wise-for Panch & Sarpanch<br>(ii) Unused and damaged paper seals.<br>(iii) Unused form No. 9 and 10.<br>(iv) Receipt Book & Cash against forfeited amount under rule 56 (3)<br>(v) Amount received against sale proceed of forms. | 1 per Panchayat |
| 35. | Small size Envlepes (9"x4") (P-38) (not to be sealed) Polling officers diary (for ZP / PS members) | 1 per booth |

| S.No.<br>1 | Name of Articles<br>2 | Scale<br>3 |
|---|---|---|
| 36. | Big size Envlepes (18"x 12") (P-39)<br>(not to be sealed) (ZP / PS members)<br>(a) Declaration of electors regarding age and list thereof.<br>(b) Unused and damaged paper seals.<br>(c) Other copies of E-Rolls.<br>(d) Form of apptt. of Polling agents.<br>(e) Cash against sale proceed of forms.<br>(f) Other election papers. | 1 per booth |
| 37. | Medium Size Envelopes (11"X5") Valid & Invalid Votes of Up-Sarpanch Election-(P.40) (to be sealed) | 1 per Panchayat |
| 38. | Medium Size Envelopes (11"X5")<br>Other record of Up-Sarpanch Election - (P.41) (to be sealed) | 1 per Panchayat |

# परिशिष्ट–7

[See Part 4, Para (1)]

LIST OF POLLING MATERIALS

(For Panch/Sarpanch Election only)

| S.No.<br>1 | Name of Articles<br>2 | Scale<br>3 |
|---|---|---|
| | **1. Articles** | |
| 1. | Pin Sheet | 2 sheets or 20 pins per R.O. |
| 2. | White Paper (17"X27") | 1/2 Zr. R.O. |
| 3. | Craft wrapping paper (17"X27) | 8 sheet per R.O. |
| 4. | Carbon paper (pencil) (17"X27") | 1 Qr. or 24 sheets of full scape size per R.O. |
| 5. | Sealing Wax | 1 pkt. (10 sticks) per R.O. |
| 6. | Twine | 10 metres per R.O. |
| 7. | Digit rubber seal | 1 set of required number per R.O. |
| 8. | Dot pen | Outright payment |
| 9. | Self Inking Stamp pad purple | 1 per party & 1 per R.O. Extra |
| 10. | Stamp pad ink (ISI) phials | 1 phial of one Oz. per party |
| 11. | Brass seal with inscription 'P' or "Presiding Officer" | 1 per party for sealing envelopes or any election record |
| 12. | Distinguishing mark seal for authentication of ballot papers (Rule 39)" ia-jk-la-" | 1 per party & 1 per R.O. Extra |
| 13. | Ballot box | 2 Big size per party<br>1 Small size per party |
| 14. | Curtains (a) cloth curtains<br>or<br>(b) Card board voting compartment | 1 per party having two Compartment + 1 extra per R.O.<br>2 per party + 1 extra per R.O. |
| 15. | Rubber AŸkow Cross Mark Seal | 6 per booth + 1 per R.O. |
| 16. | Wire for ballot boxes | 1 metre per booth |
| 17. | Iron Pusher | 1 per party |
| 18. | Glue Bottle (60 Ml.) | 1 per party plus 1 extra per R.O. |
| 19. | Pink paper seals size 10" length | 10 per booth |
| 20. | Card Board Pieces | 10 per booth for Ballot Boxes |
| 21. | Indelible Ink Phial | 1 per booth<br>1 per R.O. per Panchayat |
| 22. | Metal Rule | 1 per party for cutting Ballot papers if candidates are less or more |
| 23. | Rubber Rejection Seals | 1 per R.O. |
| 24. | Rubber Bands for tying ballot papers during counting | 50 grams or about 200 bands per party |
| 25. | Sootli | 2 Oz. or 10 Metre per booth |
| 26. | Lantern | To be aŸkanged by Panchayat or outright payment |
| 27. | Bamboos | To be aŸkanged by Panchayat or outright payment |
| 28. | Bucket | To be aŸkanged by Panchayat or outright payment |
| 29. | Lota | To be aŸkanged by Panchayat or outright payment |
| 30. | Kerosine Oil | 2 litre per booth on payment |
| 31. | Moonj Rope | 10 metres per party |
| 32. | Iron Nails Big Size | 6 per party |
| 33. | Iron Nails Small Size | 10 per party |
| 34. | Candle Sticks (6" length & 1" thick) | 2 sticks per booth & 1 per R.O. extra |

| S.No. 1 | Name of Articles 2 | Scale 3 |
|---|---|---|
| 35. | Counting Trays | 5 per party |
| 36. | Match Box | outright payment |
| 37. | Blade | outright payment |
| | **2. Important Articles** | |
| 1. | Ballot papers for Panch & Sarpanch | Equal to actual No. of voters in a panchayat rounded to next 10 for Sarpanch & rounded to next 100 for Panch Ballot Papers. |
| 2. | Extra Slips of Symbols | As provided |
| 3. | Ballot papers for Up-Sarpanch | Equal to No. of wards + 2 |
| 4. | Working sets of voters list for polling | 5 sets i.e. 1 for R.O., 1 for Polling Officer, 1 for Asstt. Polling Officer identification, 1 for Asstt. Polling Officer. Panch ballot paper, 1 for Asstt. Polling Officer Sarpanch ballot paper. |
| 5. | Service postage stamps | As required for despatching Form-VII |
| 6. | Instruction book i.e. Margdarshika. | 1 per Polling Officer and 1 per R.O. |
| 7. | List of ward Numbers alongwith their status of reservation . (including of Sarpanch) | 1 |
| | **3. Forms** | |
| 1. | Form 4 - Nomination Paper (for Panch/ Sarpanch) | 7 per ward's + 10 per Panchayat (to be sold @1/- per form) |
| 2. | Form 4- Declaration before RO | 7 per ward's + 10 per Panchayat (to be sold @1/- per form) |
| 3. | Form 5 - List of Contesting Candidates with symbols | (Seven) |
| | Printed (i) Panch | 7 per ward |
| | (ii) Sarpanch | 20 per Panchayat |
| 4. | Form 6 - List of Tendered Votes | 2 per booth each for Panch and Sarpanch |
| 5. | Form 7 - Return of result | 10 per Panchayat |
| 6. | Form 9 - Appointment of Polling Agent (Sarpanch only) | 5 per polling station, (to be sold @1/- per Form) |
| 7. | Appointment of Counting Agent (Form–10) (For Sarpanch only) | 30 per Panchayat (to be sold @1/- per Form) |
| 8. | Oath Form (Form-11) | Equal to number of wards plus 3 extra |
| | (II) Non-Statutory Forms :- | |
| 9. | Form of Statistics-Panch | 1 per Panchayat to be filled by R.O. |
| 10. | Form of Statistics-Sarpanch | 1 per Panchayat to be filled by R.O. |
| 11. | Label for R.O. | 1 per R.O. |
| 12. | Notice U/r 30 (3) [For Panch/Sarpanch election] | 1[per polling booth + 1 extra to be pasted at Panchayat Office] |
| 13. | Vehicle Log Sheet Cum Hire Bill | 2 per vehicle |
| 14. | Label for Ballot Box (i) Panch/Sarpanch election | 4 per Booth |

| S.No.<br>1 | Name of Articles<br>2 | Scale<br>3 |
|---|---|---|
| 15. | Receipt Book Containing 25 pages | 1 per Book per Panchayat |
| 16. | Placard "Exit"/"Entry" | 1 each per party |
| 17. | Placard-"Disabled/Sr.citizens"-to give them priority in voting. | 2 per booth |
| 18. | Badges-Polling Officer | 1 per booth |
| 19. | Badges-Asstt. P.O. | 4 per booth |
| 20. | Badges-Polling Agent | 4 per booth |
| 21. | Receipt Form | 1 per R.O. |
| 22. | Form- boothwise statistics voters turnout. | 1 per booth |
| 23. | Forme-declaration of electors regarding age. | 5 per booth |
| 24. | List of voters from whom declaration regarding age obtained. | 1 per booth |
| 25. | Form – mikcU/k-I (self declaration by candidate regd. his property etc.) | 7 per ward plus 10 per Panchayat |
| 26. | Form of withdrawal of candidature | |
| | (a) Panch | 2 per ward |
| | (b) Sarpanch | 6 per Panchayat |
| 27. | Form of notice of meeting of Up-Sarpanch election. | Number of wards + 4 extra. |

4. Envelops

[All relevant envelops mentioned in ANNEXURE-6, i.e. P. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 28, 29 and 33; and in case Up-Sarpanch election-P.40 and P.41]

# परिशिष्ट–8

[See Part 6, Para(1)]

LIST OF POLLING MATERIAL

(For Separate Election Of Z.P./P.S. Member)

| S.No.<br>1 | Name of Articles<br>2 | Scale per booth<br>3 |
|---|---|---|
| | 1. Articles | |
| 1. | Alpins | 10 Nos. |
| 2. | White Paper | 4 Sheets of full scape size |
| 3. | Craft wrapping paper (17"X27") | 2 Sheets |
| 4. | Carbon paper | 2 Sheets |
| 5. | Sealing wax | 6 Nos. |
| 6. | Twing for ballot box | 4 Metre |
| 7. | Dot pen | Outright Payment |
| 8. | Stamp Pad (purple) | 1 |
| 9. | Stamp Pad Ink | 1 Phail (1 OZ.) |
| 10. | Brass seal with inscription 'P' or "Presiding Officer" | 1 |
| 11. | Distinguishing mark Rubber seal for authorisation of ballot papers<br>पं. रा. सं. | |
| 12. | Ballot boxes | 2 Big size (+)<br>1 Small size |
| 13. | Curtain (a) cloth curtain<br>or<br>(b) Card board voting compartment | One having 2 compartment<br>or<br>2 Card board voting compartment with drawing pins. |
| 14. | AŸkow cross mark seal | 6 |
| 15. | Flexible wire | 1 metre |
| 16. | Iron pusher | 1 |
| 17. | Glue bottle (60 ml) | 1 |
| 18. | Pink Paper Seals | 5 |
| 19. | Card board pleses | 5 |
| 20. | Indelible Ink Phial | 1 Phial of 10 c.c. |
| 21. | Metal Rule | 1 |

| S.No.<br>1 | Name of Articles<br>2 | Scale per booth<br>3 |
|---|---|---|
| 22. | Sootll | 10 Metre per booth |
| 23. | Lantern | To be aŸkanged by Panchayat or outright payment |
| 24. | Bamboos | To be aŸkanged by Panchayat or outright payment |
| 25. | Bucket | To be aŸkanged by Panchayat or outright payment |
| 26. | Lota | To be aŸkanged by Panchayat or outright payment |
| 27. | Kerosene Oil | 2 Lit. on payment |
| 28. | Moonj Rope | 10 Metre |
| 29. | Iron Nails (big) | 6 |
| 30. | Iron nails (Small) | 10 |
| 31. | Candle Sticks (6" length X 1" thick) | 2 Sticks |
| 32. | Cloth bags for Ballot boxes | 3 |
| 33. | Match box | Outright Payments |
| 34. | Blade | Outright Payments |
| 35. | Lock | Outright Payments |
| 36. | Cloth piece or rag | 1 |
| 37. | Cotton tape for ballot box | 6 metres |
| 38. | Empty cigrette tin or earthen pot | 1 |

2. Important Articles

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Ballot Papers (Member PS/ZP) | Equal to number of Voters in a booth rounded to next 10 |
| 2. | Working sets of Voters lists | 4 sets (1 for PO, 1 for APO-first, 1 for APO-2 and 1 for APO-3) |
| 3. | Books (Margdarshika) | 1 |

3. Forms

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Form 6 - List of Tendered Votes | 2 |
| 2. | Form 9 - Apptt. of Polling Agent | 20 per Polling Station (to be sold @ 1/-) |
| 3. | Polling Officers diary (member PS/ZP Election) | 1 |
| 4. | Notice u/r 30(3) | 1 (1 extra to be pasted at Panchayat Office) |

| S.No. 1 | Name of Articles 2 | Scale per booth 3 |
|---|---|---|
| 5. | Form Ballot Paper A/c | 5 |
| 6. | Form statistic | 1 |
| 7. | Vehicle Log Sheet Cum Hire Bill | 2 per Vehicle |
| 8. | Label for Ballot Box (in colour) | 4 |
| 9. | Form Paper Seal A/c | 1 |
| 10. | Placard "Exit" "Entry" | 1 |
| 11. | Placard-"Disabled/Sr. Citizen"- to give them priority in voting. | 2 per booth |
| 12. | Badge-Polling Officer | 1 |
| 13. | Badge-Polling Agent | 8 |
| 14. | Receipt Form (Counter No. 1) | 1 |
| 15. | Receipt Form (Counter No. 2) | 1 |
| 16. | Receipt Form (Counter No. 3) | 1 |
| 17. | Label for Asstt. P.O. | 4 |
| 18. | Form of declaration regarding Age | 5 |
| 19. | Form- List of electors from whom declarat-0ion regarding age obtained | 1 |

4. Envelops

[All relevant envelops mentioned in ANNEXURE-6 i.e. P.2, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 38 and 39.]

# परिशिष्ट–9

(देखें भाग 4, पैरा 3)

## मतपत्र एवं अतिरिक्त स्लिपों में आने वाले चुनाव चिन्हों के क्रमवार नाम व चिन्ह

### (अ) सरपंच मतपत्र (सफेद कागज पर)

| नाम | प्रतीक | नाम | प्रतीक |
|---|---|---|---|
| 1. बल्ला | 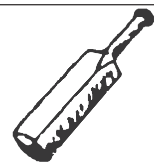 | 6. कैमरा | 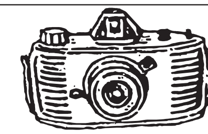 |
| 2. अलमारी | | 7. कोट | 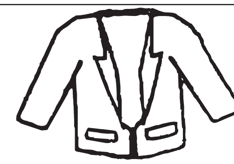 |
| 3. गुब्बारा | | 1. गैस का चूल्हा | 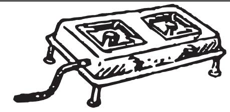 |
| 4. ब्रुश | 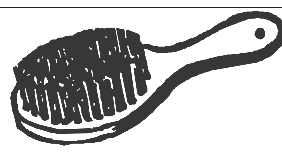 | 9. बल्लेबाज | |
| 5. मोमबत्तियाँ | 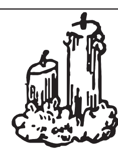 | 10. उपर्युक्त में से कोई नहीं | NOTA |

मतपत्र एवं अतिरिक्त स्लिपों में आने वाले चुनाव चिन्हों के क्रमवार नाम व चिन्ह
(ब) पंच मतपत्र (गुलाबी रंग के कागज पर)

| नाम | प्रतीक | नाम | प्रतीक |
|---|---|---|---|
| 1.पतंग | 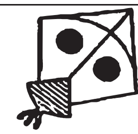 | 4.गैस सिलेण्डर | 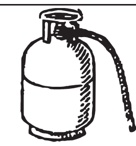 |
| 2.प्रैशर कुकर | | 5.नारियल | |
| 3.कैंची | 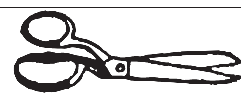 | 6.उपर्युक्त में से कोई नहीं | NOTA |

## मतपत्र एवं अतिरिक्त स्लिपों में आने वाले चुनाव चिन्हों के क्रमवार नाम व चिन्ह
## (स) सरपंच मतपत्र अतिरिक्त स्लिप (प्रथम) (सफेद–10 चिन्ह)

| नाम | प्रतीक | नाम | प्रतीक |
|---|---|---|---|
| 1.काँच का गिलास | 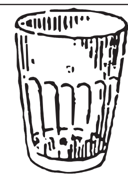 | 6. अंगूठी | 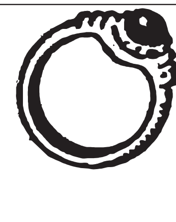 |
| 2.कप और प्लेट | | 7.शटल | |
| 3.चारपाई | 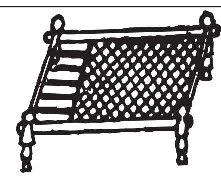 | 8.वायलिन | 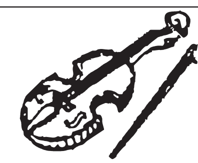 |
| 4.छत का पंखा | 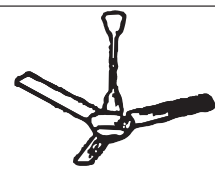 | 9.छड़ी | 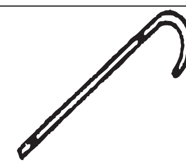 |
| 5.लैटर बाक्स | | 10. बाल्टी | 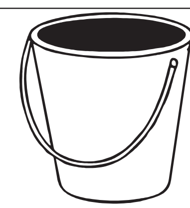 |

## मतपत्र एवं अतिरिक्त स्लिपों में आने वाले चुनाव चिन्हों के क्रमवार नाम व चिन्ह
## (द) सरपंच मतपत्र अतिरिक्त स्लिप (द्वितीय) (सफेद–10 चिन्ह)

| नाम | प्रतीक | नाम | प्रतीक |
|---|---|---|---|
| 1.बैटरी टॉर्च | 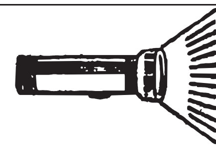 | 6.मेज | 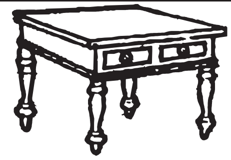 |
| 2.डीजल पम्प | 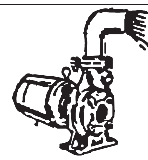 | 7.टेबल लैम्प | 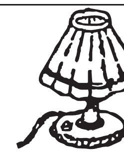 |
| 3.केतली | 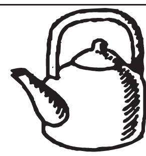 | 8.टेलीविजन | 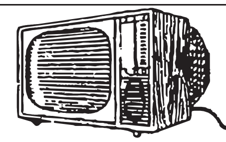 |
| 4.हारमोनियम | 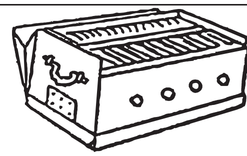 | 9.सीटी | 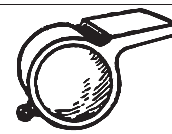 |
| 5.स्टूल | | 10. बोतल | |

मतपत्र एवं अतिरिक्त स्लिपों में आने वाले चुनाव चिन्हों के क्रमवार नाम व चिन्ह

(य) पंच मतपत्र अतिरिक्त स्लिप (गुलाबी–06 चिन्ह)

| नाम | प्रतीक | नाम | प्रतीक |
|---|---|---|---|
| 1.सिलाई की मशीन | 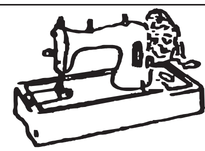 | 4.प्रेस | 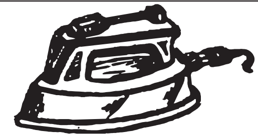 |
| 2.डोली | 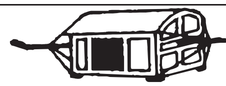 | 5.टेलीफोन | |
| 3.ब्रीफकेस | 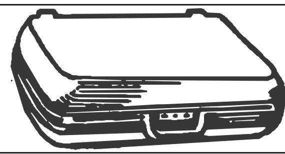 | 6.ऑटो–रिक्शा | |

परिशिष्ट–10

[देखें भाग 4, पैरा (2)]

LAYOUT PLAN OF POLLING BOOTH
(for all 4 elections, if held simultaneously)

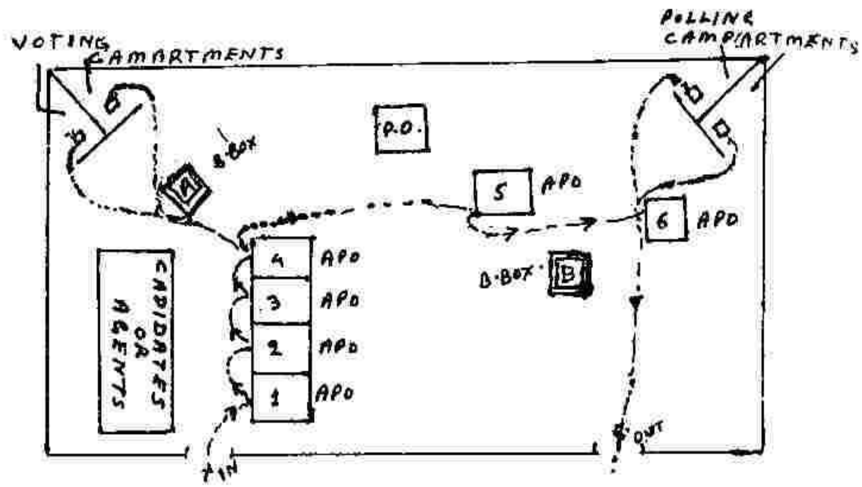


| | | |
|---|---|---|
| 1. P.O. – Polling Officer | = | Incharge of booth |
| 2. A.P.O. 1 | = | Identification |
| 3. A.P.O. 2 | = | Incharge Panch Ballot Papers + Marked copy of rolls (Panch). |
| 4. A.P.O. 3 | = | Ballot Papers + Marked copy of rulls (Sarpanch). |
| 5. A.P.O. 4 | = | Incharge indelible Ink + AŸkow cross seal (Panch & Sarpanch). |
| 6. A.P.O. 5 | = | Incharge P.S. & Z.P. Ballot Papers + Marked copy of rolls (P.S. & Z.P.) |
| 7. A.P.O. 6 | = | Incharge AŸkow cross seal (P.S. & Z.P. Member). |

(A) = Commom ballot box for insertion of Panch and Sarpanch ballot papers.
(B) = Common ballot bos for insertion of P.S. and Z.P. ballot papers.
APO = Assistant Polling Officer.

परिशिष्ट–11

ख्देखें भाग 4, पैरा (2),

LAYOUT PLAN OF POLLING BOOTH

(For Panch-Sarpanch election only)

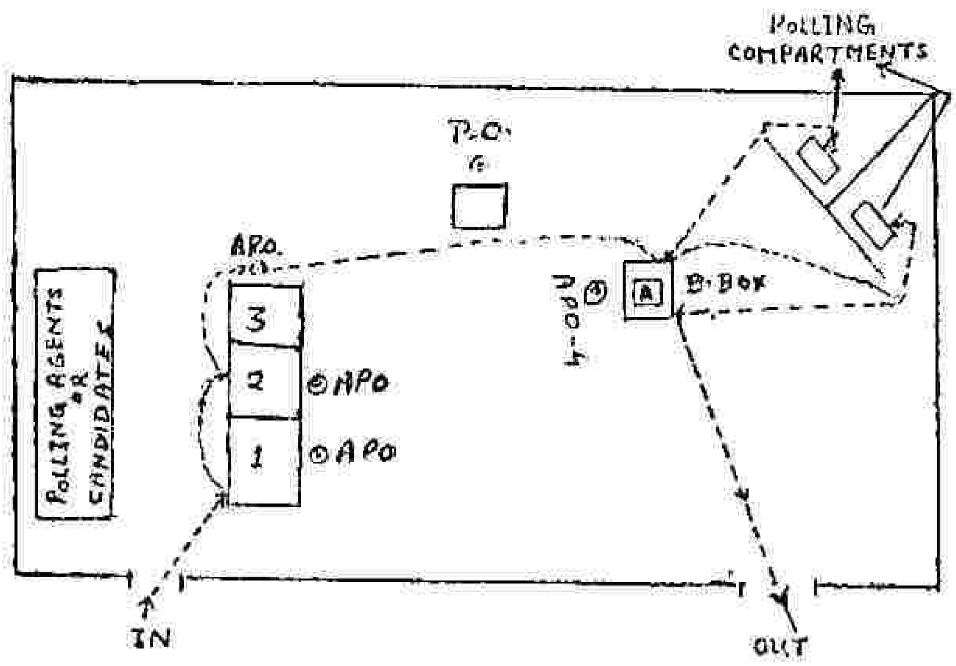


| | | |
|---|---|---|
| 1. P.O. – Polling Officer | = | Incharge of booth |
| 2. A.P.O. 1 | = | Identification |
| 3. A.P.O. 2 | = | Incharge B.P. - + marked copy of rolls for Panch election |
| 4. A.P.O. 3 | = | Incharge B.P. - + marked copy of rolls for Sarpanch election |
| 5. A.P.O. 4 | = | Incharge Indelible ink arrow cross mark seal + stamp pad + ballot box |

(Common ballot box for insertion of ballot papers of election of Panch & Sarpanch)

APO - Assistant Polling Officer

परिशिष्ट–12

ख्देखें भाग 4, पैरा (2),

LAYOUT PLAN OF POLLING BOOTH

(For PS members – ZP members election )

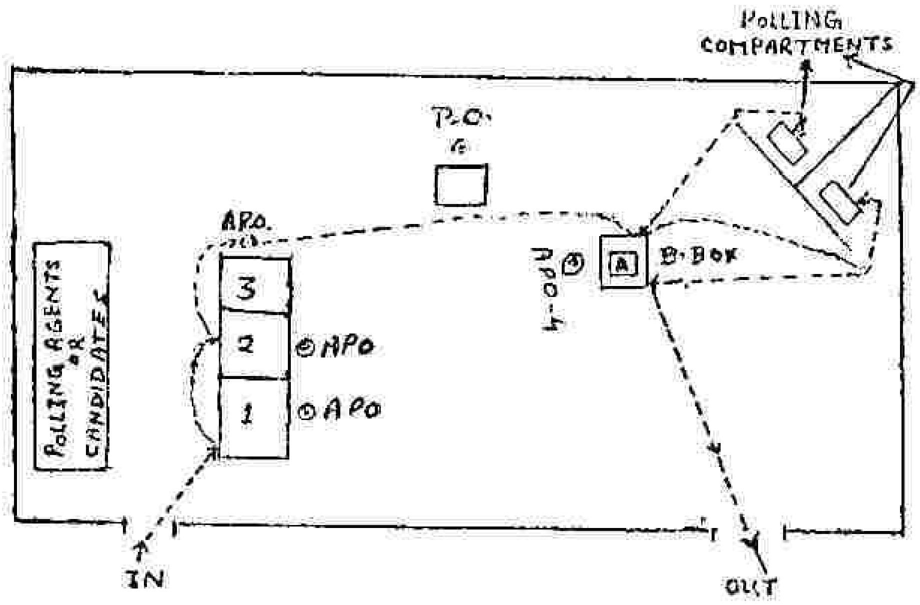


| | | |
|---|---|---|
| 1. P.O. – Polling Officer | = | Incharge of booth |
| 2. A.P.O. 1 | = | Identification |
| 3. A.P.O. 2 | = | Incharge Ballot Paper + marked copy of rolls for PS member election |
| 4. A.P.O. 3 | = | Incharge Ballot Paper + marked copy of rolls for ZP member election |
| 5. A.P.O. 4 | = | Incharge Indelible ink aŸkow cross mark seal + stamp pad + ballot box |

(Common ballot box for insertion of ballot papers Panchayat Samiti and Zila Parishad member election).

APO - Assistant Polling Officer

परिशिष्ट–13
ख्देखें भाग 5, पैरा (19),

## (निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्ररूप)

जिला परिषद / पंचायत समिति का नाम ——————————————————
निर्वाचन क्षेत्र का संख्याक ————————————————————————
मतदान केन्द्र की संख्या व नाम ——————————————————————

## निर्वाचक द्वारा घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि सन् 2009 की प्रथम जनवरी को अर्थात् अर्हता की उस तारीख को जिसके प्रति–निर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार / पुनरीक्षण की गई थी, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक थी।

मुझे नामावलियों में या निर्वाचक नामावली की तैयारी / पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने संबंधी मिथ्या घोषणा के बारे में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 के दण्डात्मक उपबन्धों के बारे में जानकारी है।

**निर्वाचक के हस्ताक्षर / अंगूठे की छाप**
पिता / पति का नाम ..................................................
निर्वाचक नामावली का भाग ......................................
निर्वाचक की क्रम संख्या ..........................................

तारीख

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा से घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किये।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख ......................  ........................................................
मतदान केन्द्र की संख्या व नाम

परिशिष्ट–14

ख्देखें भाग 5, पैरा (19),

# आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची

————————————————— जिला परिषद/पंचायत समिति के लिए निर्वाचन क्षेत्र संख्याक ——————————————————————

मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम ————————————————————

**भाग – I**

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणायें प्राप्त की गई हैं।

| क्रम संख्या | मतदाता का नाम | निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या | निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु | पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा–निर्धारित आयु |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

**भाग – II**

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे अपनी आयु के संबंध में घोषणायें करने से इन्कार कर दिया है।

| क्रम संख्या | मतदाता का नाम | निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या | निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु | पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा–निर्धारित आयु |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

## परिशिष्ट–15

[देखें भाग 3 का पैरा (4) (घ) एवं भाग 5 का पैरा 22(3)]

**लिफाफों का विवरण जो मतदान दलों को तैयार करने हैं**

(अ) प्रत्येक मतदान अधिकारी द्वारा प्रत्येक चुनाव के पृथक्–पृथक् तैयार किये जाने वाले लिफाफे :–(बूथवार)

| क्र. स. | केवल पंच चुनाव से संबंधित | केवल सरपंच चुनाव से संबंधित | केवल पंचायत समिति सदस्य चुनाव से संबंधित | केवल जिला परिषद् सदस्य चुनाव से संबंधित |
|---|---|---|---|---|
| | जो सील करने है :– | जो सील करने है | जो सील करने है | जो सील करने है |
| 1. | अप्रयुक्त मतपत्र (पंच) | 1. अप्रयुक्त मतपत्र (सरपंच) | 1. अप्रयुक्त मतपत्र | 1. अप्रयुक्त मतपत्र |
| | पी–4 | पी–3 | (पं.स. सदस्य) पी–24 | (जि.प. सदस्य) पी–25 |
| 2. | चिन्हित मतदाता सूची | 2. चिन्हित मतदाता सूची | 2. चिन्हित मतदाता सूची | 2. चिन्हित मतदाता सूची |
| | (पंच) पी–5 | (पंच) पी–6 | (पं.स. सदस्य) पी–26 | (जि.प. सदस्य) पी–27 |
| 3. | खराब व रदद् मतपत्र | 3. खराब व रदद् मतपत्र | 3. खराब व रदद् मतपत्र | 3. खराब व रदद् मतपत्र |
| | (पंच) नियम 42 पी–13 | (सरपंच) नियम 42 पी–12 | (पं.स. सदस्य) नियम 42 पी–14 | (जि.प. सदस्य) नियम 42 पी–15 |
| 4. | निविदत्त मतपत्र व सूची | 4. निविदत्त मतपत्र व सूची | 4. निविदत्त मतपत्र व सूची | 4. निविदत्त मतपत्र व सूची |
| | (पंच) पी–17 | (सरपंच) पी–16 | (पं.स. सदस्य) पी–18 | (जि.प. सदस्य) पी–19 |
| | | | जो सील नहीं करने है:– | जो सील नहीं करने है :– |
| | | | 6. मतपत्र लेखा | 6. मतपत्र लेखा |
| | | | (पं.स.सदस्य) पी–30 | (जि.प.सदस्य) पी–31 |

(ब) मतदान अधिकारी द्वारा तैयार किये जाने वाले अन्य लिफाफेः–

| (बूथवार–लफाफे) | पंच व सरपंच चुनाव | पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद् सदस्य चुनाव दोनो के लिये एक–एक (सील नहीं करने हैं) |
|---|---|---|
| | | 1. महिला / पुरूष वार सांख्यिकी आंकड़ों का फार्म (पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य) पी–2 |
| | | 2. पिंक पेपर सील का लेखा एवं मतदान अधिकारी की घोषणा (पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य) पी–32 |
| | | 3. मतदान अधिकारी की डायरी (पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य) पी–38 [पं.स./जि.प. सदस्य चुनावों मे प्रत्येक के मतपत्र लेखा प्रपत्र की अतिरिक्त 1–1 प्रतियां सहित] |
| | | 4. विविध कागजात – पी–39 (पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य) मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व उनकी सूची; अप्रयुक्त पेपर सीलेंय मतदान अभिकर्ता – नियुक्ति के फार्म, कार्यकारी मतदाता सूचियों की अन्य प्रतियां, फार्मो की विवरण राशि आदि |

नोटः– पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद् के निर्वाचन से संबंधित उपरोक्त मद सं. (अ) तथा (ब) में बताये गये सभी बूथवार 16 लिफाफे (यानि पी–24, 26, 14, 18, 22, 25, 27, 15, 19, 23, 30, 31, 2, 32, 38 एवं 39) तैयार किये जाकर जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन वाली मतपेटी के साथ–साथ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को मतदान समाप्ति के बाद संभला दिया जावे। पंच/सरंपच से संबंधित लिफाफे पंचायत मुख्यालय पर रिटर्निंग अधिकारी को संभला दिये जायें।

(स) <u>रिटर्निंग अधिकारी (पंच/सरपंच) द्वारा तैयार किये जाने वाले लिफाफे:–</u>

1. निम्न कागजात का बड़ा लिफाफा (जो सील नहीं करना है) पी–1
   - (i) नामनिर्देशन–पत्र एवं संबध्दं कागजात (पंच) सभी वार्डो के प्रति पंचायत–1
   - (ii) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (पंच) सभी वार्डो की
   - (iii) नामनिर्देशन–पत्र एवं संबध्दं कागजात (सरपंच)
   - (iv) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची
   - (v) मतदाताओं की आयुसंबंधी घोषणायें व उनकी सूची
   - (vi) मतदान अभिकर्ता व गणना अभिकर्ता की नियुक्ति के उपयोग में लाये गये फार्म
   - (vii) कार्यकारी मतदाता सूचियों की अन्य प्रतियां अन्य कागजात

| | | |
|---|---|---|
| 2. | चुनाव प्रतीकों की अतिरिक्त स्लिपों का बड़ा लिफाफा :– | (सील नहीं करना है) पी–7<br>प्रति रिटर्निंग अधिकारी–1 |
| 3. | वैध मत–पत्र (सरपंच) | (सील करना है) पी–8<br>प्रति रिटर्निंग अधिकारी–1 |
| 4. | वैध मत–पत्र (पंच) | (सील करना है) पी–9<br>प्रति रिटर्निंग अधिकारी–5 |
| 5. | मतगणना में खारिज मतपत्र (सरपंच) | (सील करना है) पी–28<br>प्रति रिटर्निंग अधिकारी–1 |
| 6. | मतगणना में खारिज मतपत्र (पंच) | (सील करना है) पी–29<br>प्रति रिटर्निंग अधिकारी–1 |
| 7. | पंच/सरपंच के सांख्यिकीय आंकड़े | (सील नहीं होगा) पी–10<br>प्रति रिटर्निंग अधिकारी–1 |
| | a. सांख्यिकीय फार्म–पंच<br>b. सांख्यिकीय फार्म–सरपंच<br>c. बूथवार – मतदान के आंकडे (महिला–पुरूष वार) | [नोटः– पंच व सरपंच के आंकड़ों के तीनों फार्म पृथक काउंटर पर जमा करायें या जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्देशों के अनुसार जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से शीघ्र पहुचा देवें।] |

8. लिफाफा (परिणाम पत्र) (सील नहीं होगा) पी–11
जि.नि.अधिकारी को जमा कराने हेतु प्रति रिटर्निंग अधिकारी–1

9. लिफाफा जिसमें निम्न कागज होंगे– (सील नहीं होगा) पी–33
प्रति रिटर्निंग अधिकारी–1

(1) पंच/सरपंच चुनाव संबंधित पिंक पेपर सील का लेखा
(2) अप्रयुक्त व क्षतियुक्त पेपर सीलें
(3) प्रतिभूति निक्षेप संबंधी रसीद बुक व जप्त राशि
(4) विक्रय से शेष फार्म व विक्रय से प्राप्त राशि

10. डाक के लिफाफे–
परिणाम पत्र भेजने हेतु

<u>उपसरपंच चुनाव के लिफाफे</u>

(यदि उपसरपंच चुनाव कराने के निर्देश दिये जाते हैं तो उपयोग करने हैं)

11. वैध–अवैध मतपत्र (सील करना है) (P-40) (11 x 5)

12. उप सरपंच चुनाव का अन्य रिकार्ड (सील करना है) (P-41) (11 x 5)

## परिशिष्ट–16
## [देखें भाग–6 खण्ड–II का पैरा 1 (ख) तथा पैरा 5]
## उपाबन्ध – I

**नगरपालिका ............................... के (वार्ड सं. ..........) के सदस्य/ग्राम पंचायत ........... ...... के सरपंच या (वार्ड सं. ..........) के पंच के पद के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ की जाने वाली स्वघोषणा।**

मैं ............................................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..........................................आयु .. .................... वर्ष, निवासी ...................................................................................................उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित कथन करता हूँ :–

1. मेरे विरूद्ध निम्नलिखित मामला (मामले) लम्बित है/हैं जिसमें/जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है:–

   (i) अधिनियम की धारा और अपराध का विवरण जिसके लिए संज्ञान लिया गया :
   (ii) वह न्यायालय जिसने संज्ञान लिया :
   (iii) वाद सं. :
   (iv) संज्ञान लेने वाले न्यायालय के आदेश की तारीख :
   (v) संज्ञान लेने के उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध फाइल की गयी अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण इत्यादि, यदि कोई हो, के आवेदन (आवेदनों) के ब्यौरे :

2. कि मेरे/मेरे पति या पत्नी/मेरे *आश्रितों के स्वामित्व में निम्नलिखित स्थावर संपत्तियां हैं, अर्थात्:–

**क. <u>भूमियां</u> :**

(i) कृषि भूमियों के, उसके स्वामी के नाम, उसकी अवस्थिति, विस्तार, मूल्य और अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

**

| |
|---|
| |

(ii) नगरीय भूमियों के, उसके स्वामी के नाम, उसकी अवस्थिति, विस्तार, मूल्य और अभ्यर्थी का स्वामी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

**

| |
|---|
| |

**ख. <u>भवन</u> :**

(i) भवनों के, उनकी अवस्थिति, प्लिन्थ क्षेत्र, मूल्य, स्वामी के नाम और अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

** 

| |
|---|
| |

3. मेरे/मेरे पति या पत्नी/*आश्रितों के स्वामित्व में निम्नलिखित जंगम संपत्तियां हैं, अर्थात्ः–

(i) स्वर्ण, आभूषण और बहुमूल्य रत्नों के, उनके स्वामी के नाम, उनके मूल्य और अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

** 

| |
|---|
| |

(ii) बैंक में अतिशेष/सावधि जमा और शेयरों के, जमाकर्ता या क्रेता के ब्यौरों सहित, उनके मूल्य, अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

** 

| |
|---|
| |

4. मैं/मेरे पति या पत्नी/मेरे *आश्रित लोक, वित्तीय संस्थाओं के निम्नलिखित शोध्यों और सरकारी शोध्यों का संदाय करने का/के दायी हूँ/हैं, ब्यौरे दें।

** 

| |
|---|
| |

नोट :– सरकारी शोध्यों/देयताओं से तात्पर्य सरकार के वे विभाग जो सार्वजनिक पदों पर कार्य करने वालों को आवास की सुविधा, पेयजल की सुविधा, बिजली की सुविधा, दूरसंचार की सुविधा, परिवहन की सुविधा (जिसमें हवाई जहाज एवं हैलीकोप्टर सम्मिलित है) तथा अन्य ऐसी सुविधायें जो उस पद के साथ जुडी हुई हों, का यदि कोई बकाया चल रहा हो तो उसका पूर्ण विवरण सहित सूचना संलग्न करें।

5. मेरी शैक्षणिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं :–
(विद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा का ब्यौरा दें )

**

मै ........................................ इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस स्वघोषणा की अन्र्तवस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है और कोई भी बात छुपायी नहीं गई है और इस घोषणा का कोई भी भाग मिथ्या नहीं है।

**घोषणाकर्ता**

---

* 'आश्रित' से अभ्यर्थी की आय पर पूर्णतया आश्रित व्यक्ति अभिप्रेत है।

** जहां कहीं भी दिया गया स्थान पर्याप्त नहीं हो, अतिरिक्त कागजों का प्रयोग किया जा सकेगा।

## परिशिष्ट–17
## [देखें भाग–6 खण्ड–II, पैरा 3(a)]
## राजस्थान में विधान सभा चुनाव में खड़े होने के लिए अपात्रताएं

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के अन्तर्गतः
   - (क) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी पद पर होना, {मंत्री पदों और उन पदों, जो राजस्थान विधानसभा सदस्य (निरर्हता का निवारण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत घोषित है, को छोड़कर}
   - (ख) सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित विकृतचित्त होना,
   - (ग) अनुमोचित दिवालिया होना, तथा
   - (घ) भारत की नागरिकता नहीं होना या विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करना या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा स्वीकार करना
   - (ङ.) यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अन्तर्गतः
   (अपराधों के लिये सक्षम न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध होने पर) –
   - क. उपधारा (1) में वर्णित अपराधों के लिये दोषसिद्ध ठहराने की तिथि से छः वर्ष तक, यदि जुर्माने से दण्डित हो। यदि कारावास की सजा सुनाई गयी हे तो दोषसिद्धि की तिथि से अपात्र होगा जो कारावास से मुक्ति के बाद 6 वर्ष की अवधि पूरी होने तक रहेगा।
   - ख. उपधारा (2) में वर्णित अपराधों के लिये यदि छः माह से अधिक की सजा सुनाई गयी है तो दोष सिद्ध ठहराने की तारीख से जेल से मुक्ति के बाद छः वर्ष तक,
   - ग. अन्य किसी भी अपराध में यदि दो वर्ष या अधिक की सजा सुनायी हुयी हो तो दोष सिद्ध ठहराने की तारीख से जेल से मुक्ति के छः वर्ष बाद तक
     (परिशिष्ट–18 में बताये गये चार्ट में उपधारा (1), (2) व (3) में वर्णित अपराध दर्शाये गये है)

3. लोक प्रति0 अधिनियम, 1951 की धारा 8 क के अन्तर्गतः
   निर्वाचन याचिका में न्यायालय द्वारा भ्रष्ट आचरण के लिये दोषी माने जाने का आदेश पारित होने पर भारत निर्वाचन आयोग की राय से राष्ट्रपति द्वारा अपात्र घोषित किया जाने पर। यह अपात्रता छः वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. <u>लोक प्रति0 अधिनियम, 1951 की धारा 9 के अन्तर्गतः</u>

भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद से पदच्युत होने पर पांच वर्ष तक (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है)।

5. <u>लोक प्रति0 अधिनियम, की धारा 9–क के अन्तर्गतः</u>

राज्य सरकार के साथ व्यापार या व्यवसाय के संबंध में सामान पूर्ति के लिये या निर्माण कार्यो के निष्पादन के लिये संविदा करने पर (संविदा के रहने तक की अवधि में)।

6. <u>लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गतः</u>

सहकारी समिति के अलावा किसी ऐसी कम्पनी या निगम, जिसमें राज्य सरकार की 25 प्रतिशत या अधिक पूंजी का निवेश है, का मैनेजिंग एजेण्ट या मैनेजर या सचिव होने पर।

7. <u>लोक प्रति0 अधिनियम, 1951 की धारा 10–क के अन्तर्गतः</u>

विधानसभा या लोकसभा के पिछले किसी चुनाव में खड़े हुये अभ्यर्थी द्वारा चुनाव–व्यय के लेखों को निर्धारित समय में और निर्धारित तरीके से दाखिल करने में असफल रहने पर निर्वाचन आयोग द्वारा अपात्र घोषित करने पर (ऐसे आदेश की तारीख से तीन वर्ष तक)

नोटः– लो.प्र. अधि. 1951 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार धारा 8, 9, 9क, 10 एवं 10क की अपात्रताओं में किसी भी अपात्रता (सिवाय धारा 8क के अधीन घोषित अपात्रता) की अवधि को भारत निर्वाचन आयोग कारणों को वर्णित करते हुए कम कर सकता है या हटा भी सकता है।

परिशिष्ट–18

[देखें भाग 6, खण्ड–II पैरा 3 (a) (ii)]

## DISQUALIFICATION ON THE GROUND OF CONVICTIONS FOR OFFENCES

The disqualification of candidature for elections under Section 8 of the Representation of the People Act, 1951 and under section 19 of the Raj. Panchayati Raj Act, 1994 would commence from the date of conviction, regardless of the fact that the person is out on bail or not (Except those who are covered under sub-section (4). Every candidate must furnish information relating to convition by courts of law for offences, before scrutiny of nominations papers in the prescribed format so that the Returning Officer may satisfy himself about the validity of the candidature of candidate.

### A – Under Section 8 of the R.P. Act, 1951

| Details of Offences | Period of imprisonment required for disqualification | Period for which a person shall be deemed to be disqualified |
|---|---|---|
| 1. Any offence Other than mentioned at S.No.2 and 3) | Not less than two years | From the date of conviction and shall continue for a further period of six years since his release. |
| 2. a. Any law for the prevention of **hoarding or profittering**<br>b. Any law relating to the **adulteration** of food or drugs;<br>c. Any provision of the **Dowry** Prohibition Act, 1961; | Not less than six months | From the date of conviction and shall continue for a further period of six years since his release. |
| 3. a. Offence of promoting **enmity** between different groups on ground of religion, race, place of birth, language, etc;<br>Offence of **bribery;**<br>Offence of undue influence or **personation** at an election:<br>Offences relating to **rape**;<br>Offences of **cruelty towards a woman** by husband or relative | (a) If only fine is imposed<br>(b) In case of imprisonment for any period | (a) For a period of six years from the date of conviction<br>(b) From the date of conviction and till six years after release from jail |

| | | |
|---|---|---|
| of a husband;<br>Offence of **making statement** creating or promoting enmity,<br>hatred or ill will between classes or offence relating to such<br>statement in any place worship or religious ceremony (all<br>offences are under IPC).<br>b. The Protection of Civil Rights Act, 1955 which provides for punishment for the preaching and practice of **untouchability**,<br>etc. | | |
| c. Offence of **promoting or exporting prohibited goods** (under<br>Sec.11 of the Customs Act.)<br>d. Offence of being a member of an **association declared unlawful**, offence relating to dealing with funds of an unlawful association or offence relating to contravention of an order made in respect of a notified place of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.<br>e. The **Foreign Exchange** (Regulation) Act, 1973<br>f. Narcotic **Drugs** and Psychotropic Substances Act, 1985<br>g. Offences of **committing terroist** act or offences of committing disruptive activities (TADA, 1987).<br>h. Offences of contravention of the provisions of the **Religious Institution** | | |

| | | |
|---|---|---|
| (Prevention of **Misuse**) Act, 1988<br>i. Offences of promoting enmity between classes in connection with the elections, offences of removal of **ballot papers from polling stations** or offence of **booth capturing** or offence of fraudulently defacing or fraudulently destroying any nomination paper (Offences under R.P. Act, 1951) | | |
| j. Offence of conversion of a **place of worship** (Places of Worship Sepcial Provision Act, 1991)<br>k. Offence of **insulting the Indian National Flag** or the **Constitution of India** or offence of preventing singing of National Anthem (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971).<br>l. The Commission of sati (Prevention) Act, 1987.<br>m. The Prevention of Corruption Act, 1988.<br>The Prevention of Terrorism Act, 2002 . | | |

**B – Under Section 19 of the Raj. Panchayati Raj Act, 1994**
**(Other than the provisions u/s 8 of R.P. Act, 1951)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Any offence<br><br>2. Offence under the Raj Prevention of Mritya Bhoj Act, 1960 | Not less than 6 months<br><br>Any period | Six years from the date of conviction |

# परिशिष्ट – 19

[देखें भाग 6, खण्ड–II, पैरा 13 (अ)]

## राजस्थान सरकार के भाषा विभाग द्वारा नागरी लिपि एवं वर्तनी के मानक स्वरूप के बारे में मार्गदर्शक पुस्तिका, 1992 से उद्धत

### मानक हिन्दी वर्णमाला

भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप हिन्दी का मानक रूप निर्धारित करना बहुत आवश्यक था, ताकि वर्णमाला में सर्वत्र एकरूपता रहे और टाइपराइटर आदि आधुनिक यंत्रों के उपयोग में लिपि की अनेकरूपता बाधक न हो।

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने शीर्षस्थ विद्वानों आदि के साथ वर्षो के विचार–विमर्श के पश्चात् हिन्दी वर्णमाला का जो मानक स्वरूप निर्धारित किया, वह इस प्रकार है :–

### मानक हिन्दी वर्णमाला

| | |
|---|---|
| स्वर | अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ |
| मात्राएँ | ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ |
| अनुस्वर, (अं) | |
| विसर्ग | : (अः) |
| अनुनासिकता चिन्ह् ँ | (अँ) (चन्द्रबिन्दु) |
| व्यंजन | क ख ग घ ड. |
| | च छ ज झ ञ |
| | ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़ |
| | त थ द ध न |
| | प फ ब भ म |
| | य र ल व ळ |
| | श ष स ह |
| संयुक्त व्यंजन | क्ष त्र ज्ञ श्र (द्य, द्व, द्ध) |
| हल् व्यंजन ्‌ | (ड्) |

गृहीत स्वन ऑ (ॉ) ख़, ज़ फ़ (अर्धचन्द्र नुक्ता)

# परिशिष्ट – 20
## (राजस्थान में अनु.जातियां/अनु.जनजातियां/अ.पि.वर्ग)

### अ. संविधान (अनसूचित जातियां) आदेश, 1950 के अनुसार राजस्थान में अनु. जातियां

1. Adi Dharmi
2. Aheri
3. Badi
4. Bagri, Bagdi
5. Bairwa, Berwa
6. Bajgar
7. Balai
8. Bansphor, Bansphod
9. Baori
10. Bargi, Vargi, Birgi
11. Bawaria
12. Bedia, Beria
13. Bhand
14. Bhangi, Chura, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor, Lalbegi, Balmiki, Valmiki, Korar, Zadmalli
15. Bidakia
16. Bola
17. Chamar, Bhambhi, Bambhi, Bhambi, Jatia, Jatav, Jatava, Mochi, Raidas, Rohidas, Regar, Raigar, Ramdasia, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chambhar, Chamgar, Haralayya, Harali, Khalpa, Machigai, Mochigar, Majar, Madig, Telugu Mochi, Kamati Mochi, Ranigar, Rohit, Samgar
18. Chandal
19. Dabgar
20. Dhanak, Dhanuk
21. Dhankia
22. Dhobi
23. Dholi
24. Dome, Dom
25. Gandia
26. Garancha, Gancha
27. Garo, Garura, Gurda, Garoda
28. Gavaria
29. Godhi
30. Jingar
31. Kalbelia, Sapera
32. Kamad, Kamadia
33. Kanjar, Kunjar
34. Kapadia Sansi
35. Khangar
36. Khatik
37. Koli, Kori
38. Kooch Band, Kuchband
39. Koria
40. Madari, Bazigar
41. Mahar, Taral, Dhegumegu
42. Mahayavanshi,Dhed, Dheda, Vankar, Maru Vankar
43. Majhabi
44. Mang, Matang, Minimadig
45. Mang Garodi, Mang Garudi
46. Megh, Meghval, Meghwal, Menghvar
47. Mehar
48. Nat, Nut
49. Pasi
50. Rawal
51. Salvi
52. Sansi
53. Santia, Satia
54. Sarbhangi
55. Sargara
56. Singiwala
57. Thori, Nayak
58. Tirgar, Tirbanda
59. Turi

## ब. संविधान (अनसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियां

1. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave
2. Bhil Mina
3. Damor, Damaria
4. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi
5. Garasia (excluding Rajput Garasia)
6. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Kathari
7. Kokna, Kokni, Kukna
8. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
9. Mina
10. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
11. Patelia
12. Seharia, Sehria, Sahariya

## स. राजस्थान में अन्य पिछड़े वर्गो की सूची

| क्र सं. | पिछड़े वर्गों के नाम |
|---|---|
| 1. | अहीर (यादव) |
| 2. | बड़वा, जाचक, भाट, जागा, राव |
| 3. | चारण |
| 4. | बागरिया |
| 5. | बंजारा, बालदिया, लबाना |
| 6. | बढ़ई, जांगिड़, खाती, सुथार, तरखान |
| 7. | भड़भूजा |
| 8. | छीपा (छीपी), भावसार, नामा, खट्टी छीपा, रंगरेज, नीलगर |
| 9. | डाकोत, देशांतरी, रंगासामी (अडभोपा) |
| 10. | नगारची–दमामी, राणा, बायती (बारोट) |
| 11. | दरोगा, रावणा–राजपूत, हजूरी, बजीर |
| 12. | दर्जी |
| 13. | धाकड़ |
| 14. | धीवर, कहार, भोई, सगरवंशी–माली, कीर, मेहरा, मल्लाह (निषाद), बारी, भिश्ती, मछुआरा |
| 15. | गडरिया (गाडरी), गायरी, घोसी (ग्वाला) |
| 16. | गाडिया–लोहार, गाडोलिया |
| 17. | घांची |
| 18. | तेली |
| 19. | गिरी, गोसाई (गुशांई) |
| 20. | गूजर, गुर्जर |
| 21. | हेला |
| 22. | जणवा, खारडीया (सीरवी) |
| 23. | जुलाहा |
| 24. | जोगी, नाथ, सिद्ध |
| 25. | काछी (कुशवाहा), शक्य |
| 26. | कलाल (टाक), कलाल (मेवाड़ा), कलाल (सुवालका), कलाल (जायसवाल), कलाल (अहलूवालिया), कलाल (पटेल) |
| 27. | कन्डोरा पिंजारा |
| 28. | कनबी, कलबी, पटेल, पाटीदार, आंजणां, डांगी पटेल, कुलमी |
| 29. | खारोल (खारवाल) |
| 30. | किरार (किराड़) |
| 31. | कुम्हार (प्रजापति), कुमावत, सुआरा |
| 32. | लखेरा (लखारा), कचेरा, मनिहार |
| 33. | लोधी (लोधा) |
| 34. | लोहार, पांचाल |
| 35. | महा–ब्राह्मण (अचारज), फकीर, (कब्रस्तिान में कार्य करने वाला) |
| 36. | माली, सैनी, बागवान |
| 37. | मेर (मेहरात–काठात, मेहरात–घोडात, चीता) |
| 38. | मिरासी, ढाड़ी, लंगा/मंगनियार |
| 39. | मोगिया (मोग्या) |
| 40. | नाई, सैन, वेदनाई |
| 41. | न्यारिया (न्यारगर) |
| 42. | ओड |
| 43. | पटवा (फदाल) |
| 44. | राईका, रैबारी (देबासी) |
| 45. | रावत |
| 46. | साद, स्वामी, बैरागी, जंगम |
| 47. | सतिया–सिंधी |
| 48. | सिकलीगर, बन्दूकसाज (उस्ता) |
| 49. | सिरकीवाल |
| 50. | स्वर्णकार, सुनार, सोनी, जड़िया |
| 51. | ठठेरा, कन्सारा (भरावा) |
| 52. | तमोली (तम्बोली) |
| 53. | जागरी |
| 54. | जाट |
| 55. | रायसिख |
| 56. | हलाली, कसाई |
| 57. | दांगी |
| 58. | लोढ़े–तंवर |
| 59. | सोंधिया |
| 60. | विश्नोई |
| 61. | मेव |
| 62. | गद्दी |
| 63. | फारूकी भटियारा |
| 64. | सिलावट (सोमपुरा, मूर्तिकार के अतिरिक्त), चेजारा |
| 65. | खेरवा |
| 66. | धोबी (मुस्लिम) |
| 67. | कायमखानी |
| 68. | कुंजडा, राइन |
| 69. | सपेरा (गैर हिन्दु जाति) |
| 70. | मदारी, बाजीगर (गैर हिन्दु जाति) |
| 71. | नट (गैर हिन्दु जाति) |
| 72. | गाडीत नागौरी |
| 73. | सिन्धी मुसलमान |
| 74. | खेलदार |
| 75. | चूनगर |
| 76. | राठ |
| 77. | मूल्तानीज |
| 78. | अनाथ बच्चे |
| 79. | मोची (गैर हिन्दु जाति) |
| 80. | देशवाली |
| 81. | कोतवाल/कोटवाल |
| 82. | चोबदार |

## ANNEXURE 21

### INTRODUCTIONS OPERATING BALLOT BOXES

#### 1. Godrej Type Ballot Box

**1. Figure:—** (i) Illustrates the Ballot Box in the balloting Position, Study this figure to know the names of the various parts. Note that the slit for insertion of ballot papers is open in this position.

**2. To Open Box:—**(i) Undo the wire which secures the window cover to the button.

(ii) Turn window cover clockwise so as to expose window fully as in Figure 2.

(iii) Hold your palm upwards and insert a finger through the window and extend it to the middle of thė bottom of the lid to contact the **BRACKET** (This bracket can be seen in Figure 4).

(iv) Pull bracket to wards the window and turn the button gently **ANTI-CLOCKWISE** until it stops, after less than a quarter turn, as in Figure 3 (the box is now unlocked and the lid can be opened to expose its inside). (See Figure 4).

(v) Allow the candidates or their agents to inspect the box without disturbing the mechanism.

**3. To prepare box for balloting:—** Figure 5 shows that frame into which the seal **if at all** to be used is to be inserted and also illustrates the correct method of inserting and securing it. To do this properly you have to proceed as follows:—

(i) Take the green paper seal, have it signed near its wider and on its white face by the candidates or their agents who may desire to sign. Also sign yourself and record the date.

(ii) Keep a record of the serial number of the papers seal in the Form prescribed and allow the candidates their agents to note the number.

(iii) Insert the ends of paper seal through the inner chinks (see Figure 4) on either side of the central part of the frame so that the white side of the paper seal with the signatures should be visible below the lid of the box.

(iv) Make the arrower end of the seal shorter so that widen end with the signatures thereon is longer in order to prevent accidental damage to the paper seal. Strengthen it by inserting in the central part of the frame, padding of card board of the size 2.1x10"x1.7/16" after applying a little gum on the inner surface of that the part of paper seal only which is enclosed within the frame–Figure 5D. The padding should be thick enough so that the paper seal is held firmly in position. Check this by pulling it gently. The paper seal should not move at all.

(v) Secure the two top corner of the card board to the paper seal and to the inner side of the lid of the ballot box by sealing wax (see Figure 5 E).

(vi) If any candidate or his agent arrives late and could not sign on the paper seal before its insertion into the frame he should be allowed to sign or affix his seal on the longer

portion of the paper seal at this stage if he so desires.

(vii) Then close the lid of box gently. Take care that the loose ends of the paper seal remain within the ballot box as in figure 5 F turn the button slightly clockwise until it stops with a click. The slit should now be fully open in the correct balloting position as in Figure 2. Do not turn the buttom further or the slit will get closed and no ballot paper can be inserted thereafter. In case this happens through carelessness, the box will have to be reopened after destroying the paper seal and will have to be prepared once again for balloting with a fresh paper seal.

(viii) Turn the window cover anti-clockwise so that the window is covered by it fully as in Figure 1. Run a piece of wire through the hole in the window-cover and the corresponding hole in the button and twist the ends of the wire together tightly a few times so that the window cover is secured effectively to the button which cannot be turned thereafter. Then run a piece of twine through the Holes in the window-cover and the button and tie it tightly with multiple knots. Hold the free ends of the twine together and put your seal on them as close to knots as practicable after placing the ends on a piece of the thick strong paper.

**4. To close the slit and seal the box after balloting:**—(i) After the last voter has voted remove the wire and cut the twine so as to free the window-cover.

(ii) Move the window-cover clockwise and turn the button hard

in the clockwise direction until it stops and closes the slit completely (Figure 6).

(iii) Turn the window-cover antilclockwise so as to close the window fully. Hold the button and the window-cover together, run a piece of wire through the hole in the window cover and the corresponding hole in the button and secure them together firmly by twisting the ends of the wire together tightly a few times (The box will not appear as in Figure 7).

(iv) After closing and securing the ballot box or boxes of the polling stations. Run a ribbon or tape on the four sides of the box lengthwise and breadthwise crossing each other on the lid passing under the handle if there is one and tie the knot firmly and seal the knot on a piece of thick paper or card board with your seal. The polling agents should also be asked to affix their seals or their signature if they so desire. After this ballot box should be either—

(a) Placed in a strong canvas beg with provision for closing it with a strong rope or other locking arrangement and the bag closed and sealed by you, or

(b) Wrapped with a new cloth which shall be sewn and the seams sealed by you.

In either case, the polling agents present should be asked to affix their seals if they so desire. Also attach properly the address teg and the table on the canvas bag of cloth cover as the case may be, you may write the particulars in ink. The box is now ready for despatch to the Returning Officer.

**5. At the Counting of Votes.**—(i) Remove the wire and twine

with seal (Damage to this seal does not by itself prove tempering).

(ii) **Shift window.**—Cover to expose window and see that the portion of papers seal visible through the window is intact.

(iii) **Shift window.**—Cover to expose window and button cannot be turned in either direction. Allow the candidates and their agents also to satisfy themselves about items (ii) and (iii).

(iv) Pioce the paper seals and the padding below it with a sharp pen knife and cut it along the edge of the window to made and aperture.

(v) Insert a finger through the aperture and contract the bracket. Pull back the bracket and turn the button **ANTI-CLOCK-WISE.** As soon as the button has turned a little let go the bracket and then continue turning the button till it stops. Pull the bracket back again and turn button further **ANTI-CLOAK-WISE** until it finally stops (The box is now open and the lid can be lifted).

(vi) Open the lid and check that—

(a) the paper seal is genuine and intact i.e., of full length,

(b) the signatures and seals, if any, on the paper seal are in order, and

(c) the serial number of the paper seal tallies with the corresponding number noted by the Presiding Officer, in the prescribed form.

(The candidates and their agents should also be allowed to satisfy themselves about this.)

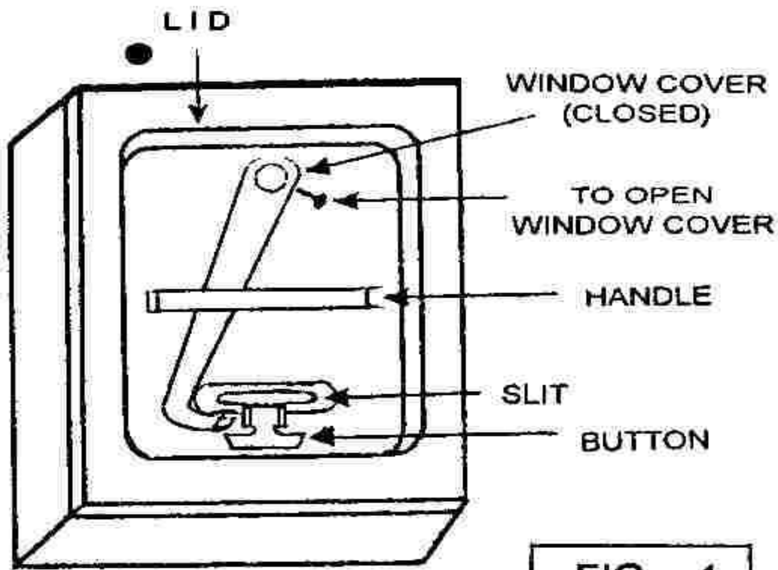
LID
WINDOW COVER (CLOSED)
TO OPEN WINDOW COVER
HANDLE
SLIT
BUTTON

FIG. - 1

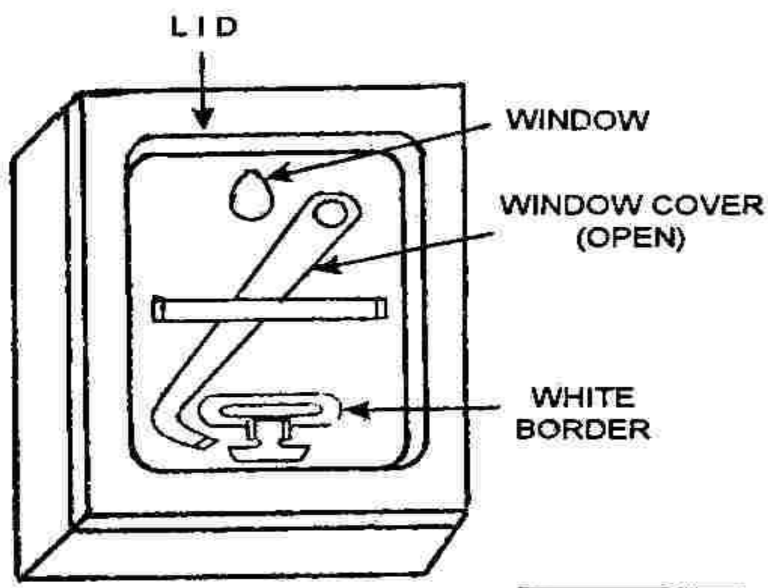
LID
WINDOW
WINDOW COVER (OPEN)
WHITE BORDER

FIG. - 2

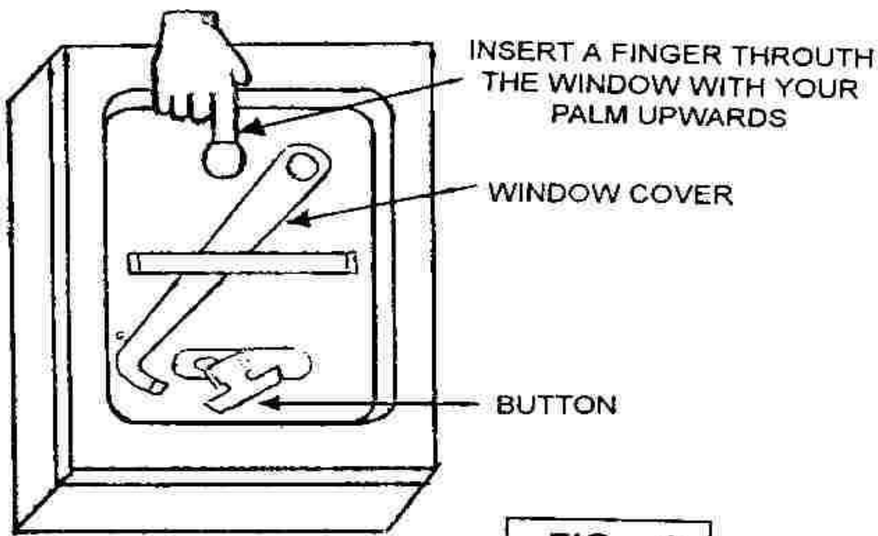
INSERT A FINGER THROUTH THE WINDOW WITH YOUR PALM UPWARDS
WINDOW COVER
BUTTON

FIG. - 3

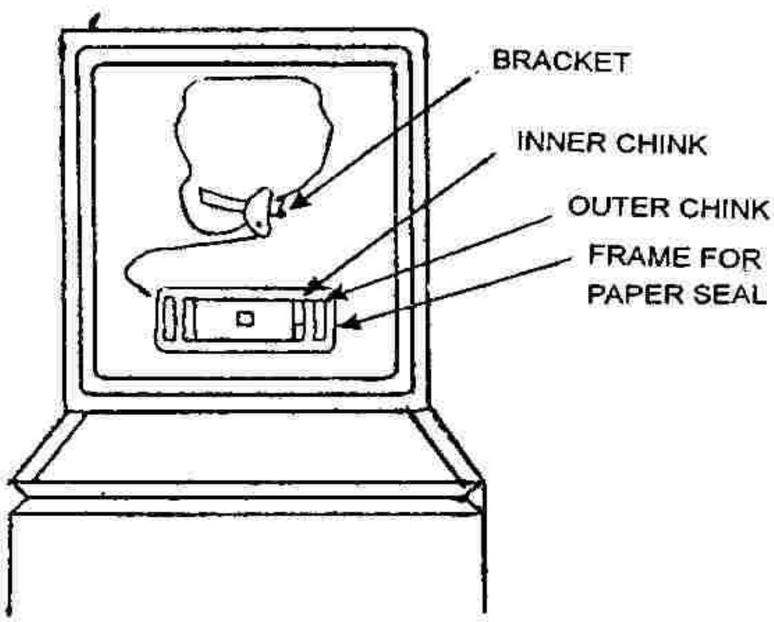
BRACKET
INNER CHINK
OUTER CHINK
FRAME FOR PAPER SEAL

FIG. - 4

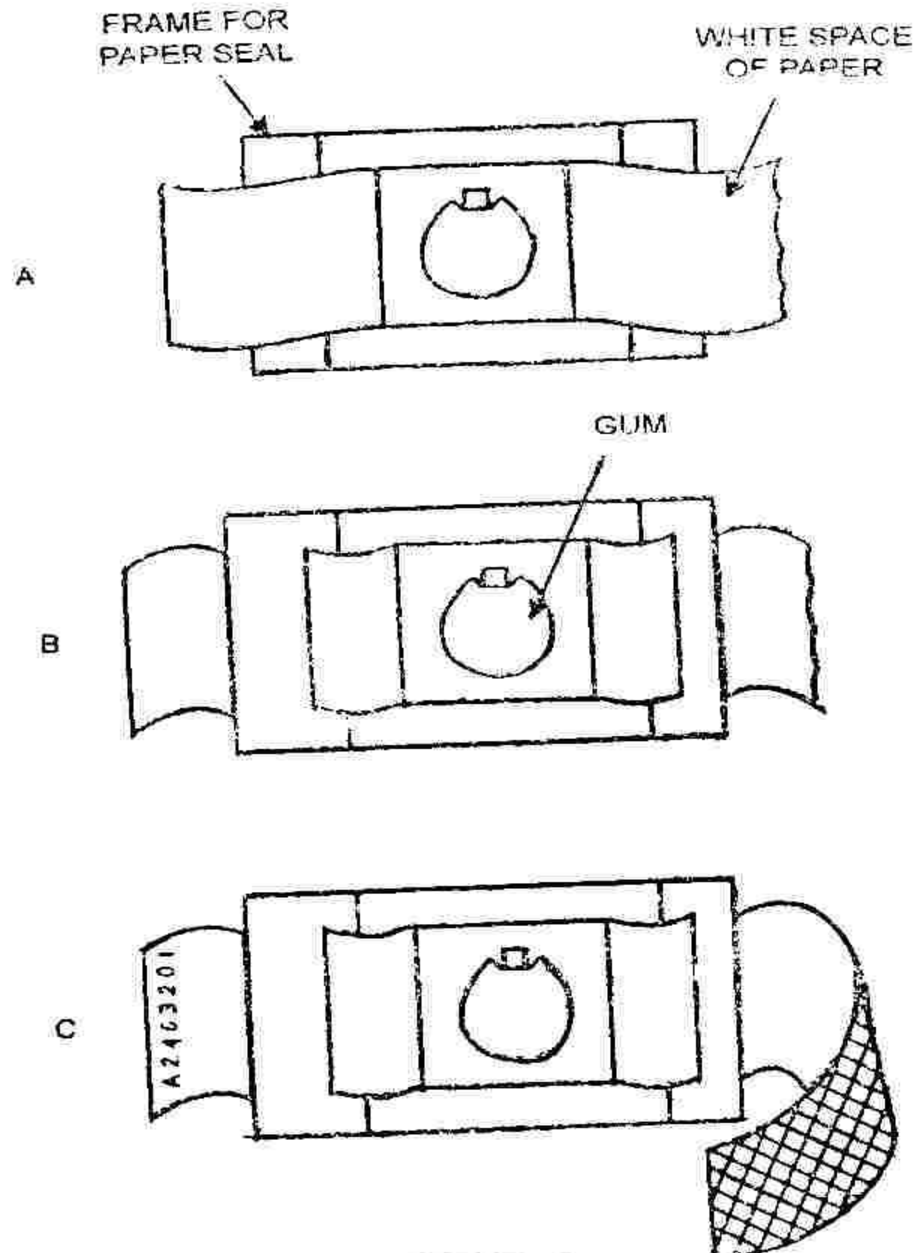


FIG. - 5

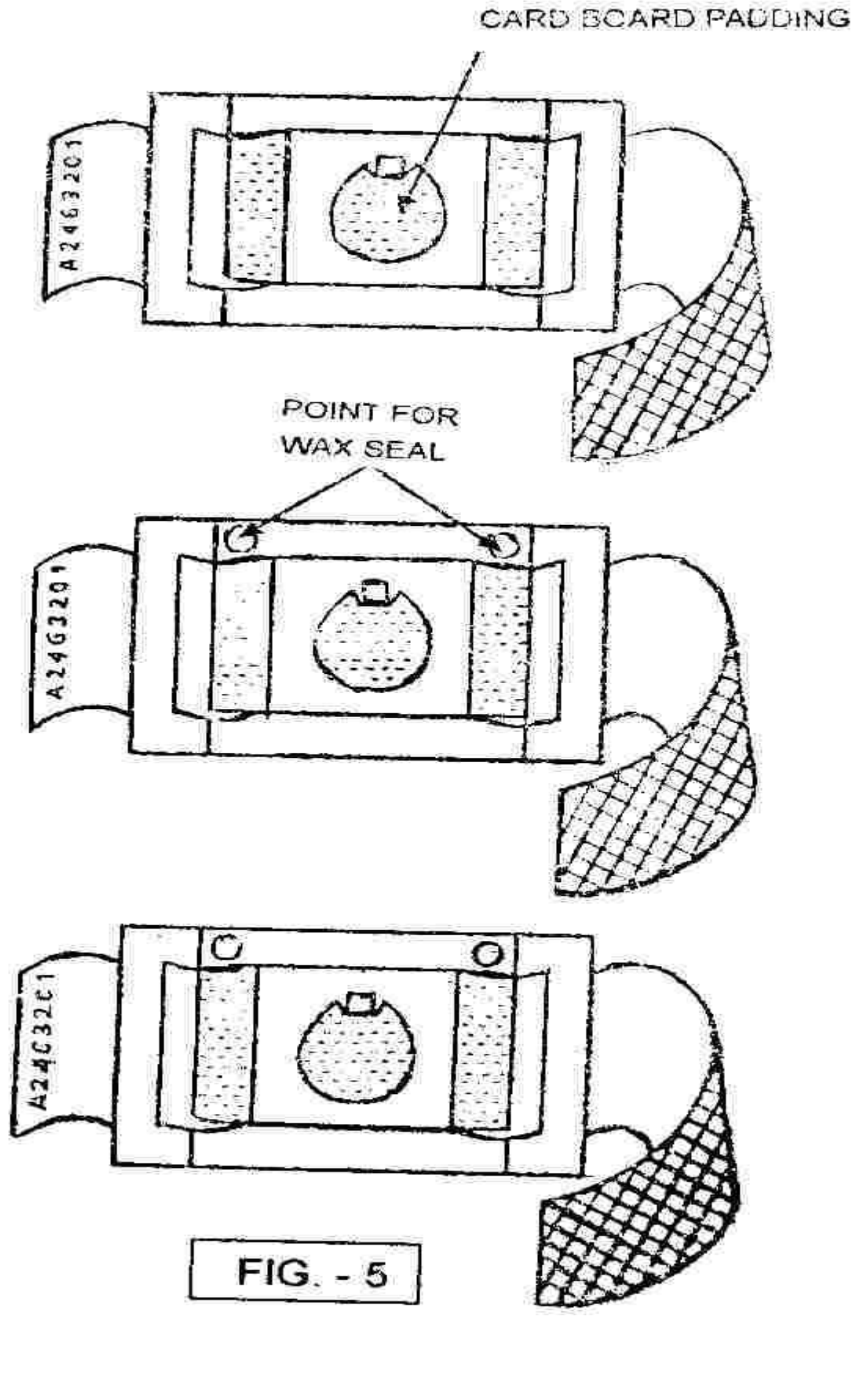


FIG. - 5

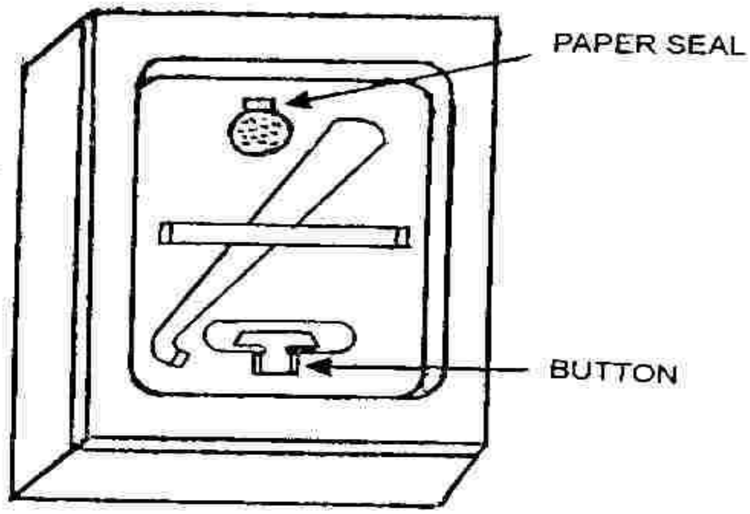


FIG. - 6

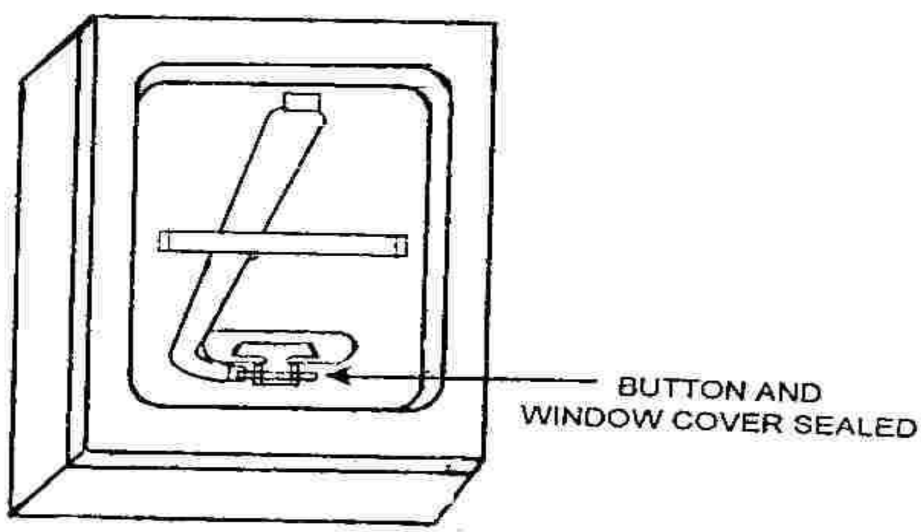


FIG. - 7

परिशिष्ठ–22

# *राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान*

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः प.4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/3131 दिंनाकः 10.09.09

## आदेश

यतः राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 37 में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उस निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टियों के संदर्भ में से निर्वाचक की पहचान के बारे मे स्वयं का समाधान करेगा, और

यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 40 में यह उपबंधित है कि किसी मतदाता को कोई मतपत्र दिये जाने के पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, यदि उसके पास मतदाता की पहचान या ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने के उसके अधिकार के बारे में सन्देह करने का कारण हो तो स्वप्रेरणा से, और यदि किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो, मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछकर जो वह आवश्यक समझे, अपना यह समाधान कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है, जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बंन्धित है, और

यतः भारत के निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 3/4/आई.डी./2009/एस0डी0आर0 दिनांक 6 अप्रैल, 2009 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए दिनांक 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया था और राज्य के निर्वाचन तंत्र ने सभी सम्भव प्रयत्नो द्वारा छूटे हुए निर्वाचको को ध्यान में रखते हुए पहचान पत्र जारी करने के लिए क्षेत्रो में अनेक चक्रों को दोहराते हुए प्रर्याप्त सख्या में निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये है, और

यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई गई निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचक वहीं पात्रता रखता है जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई जाने वाली निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचक रखता है,

अतः अव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुंच्छेद 243 K एवं अनुच्छेद 243 ZA के साथ पठित राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 12 क के उपबंधो के अधीन प्रदत शक्तियों एवं इस निमित्त इसे सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व आदेश सख्या एफ 7 (6)(5)पंचु/रानिआ/03/924 दिनांक 10 मई 2004 एवं आदेश संख्या एफ7(6)(5)पंचु/रानिआ/03/4057 दिनांक 18 नवम्बर 2004 के अतिक्रमण में यह निर्देश देता है कि राज्य की किसी भी नगरपालिका अथवा पंचायती राज संस्था में चुनाव हेतु मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नांकित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजो में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :–

1. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त राशन कार्ड।
2. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी गरीबी रेखा से नीचे के फोटोयुक्त फेमिली कार्ड।

3. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटो युक्त एन.आर.ई.जी.ए. (नरेगा) पारिवारिक नौकरी प्रमाणपत्र कार्ड।
4. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम योजना मंत्रालय द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
5. स्वतंत्रता सेनानी फोटो युक्त पहचान–पत्र।
6. फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र /वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन ओदश ( निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
7. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र।
8. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र।
9. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र।
10. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटो युक्त शारीरिक विक्लांगता प्रमाण–पत्र।
11. ड्राइविगं लाइसेन्स।
12. फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टे, रजिस्टर्ड डीड आदि।
13. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक और किसान पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व खोला गया खाता)
14. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान–पत्र।
15. आयकर पहचान पत्र (PAN)।
16. पासपोर्ट।
17. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस।

निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि नगरपालिका के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाये और पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जाये।

परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके।

**आदेश से,**
**(आर.के.जैन)**
**सचिव**

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः प.4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/4796 दिंनाक : 9.11.09

**आदेश**

आयोग के आदेश सं. प.4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/3131 दिनांक 10.09.09 के द्वारा मतदाता पहचान के संबंध में 17 दस्तावेंजों की सूची जारी की गई थी, के अनुक्रम में क्रम सं. 18 पर जैसलमेर जिले की जैसलमेर तहसील के मतदाताओं के लिए भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बहुदेशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (Multipurpose National Identy Card) को भी वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

आदेश से,<br>
(आर.के.जैन)<br>
सचिव

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर–302005

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/494 दिनांक :11.2.14

**आदेश**

आयोग के आदेश क्रमांक प.4(2)(1)नपा/रानिआ/03/3131 दिनांक 10.09.2009 के द्वारा मतदाता पहचान के संबंध में 17 दस्तावेजों एवं आदेश क्रमांक प.4(2)(1)नपा/रानिआ/03/4796 दिनांक 09.11.2009 के द्वारा 18वें दस्तावेज की सूची जारी की गई थी। इसी अनुक्रम में उक्त दस्तावेजों की सूची में क्रम संख्या 19 पर भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड (Aadhar Card) को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया जाता हैं।

आज्ञा से,<br>
(अशोक कुमार जैन)<br>
सचिव<br>
राज्य निर्वाचन आयोग<br>
राज., जयपुर